किसान संघर्ष

जुलाई–अगस्त 2022

आंध्र प्रदेश रायतू संघा (सम्बंधित अखिल भारतीय किसान सभा) के 22वें राज्य सम्मेलन की शुरुआत में आयोजित की गई रैली का दृश्य।

केंद्र सरकार द्वारा डेयरी उत्पादों व मशीनों पर थोपे गए जीएसटी के विरोध में दिल्ली जंतर–मंतर पर भारतीय डेयरी किसान फेडरेशन (सम्बंधित अखिल भारतीय किसान सभा) द्वारा 27 जुलाई को आयोजित किया गया धरने को संबोधित करते किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढवले।

विषय सूची

संपादकीय		1
किसान संघर्ष की जीत और उसके बाद	– हन्नान मौल्ला	3
मनुवादी कॉर्पोरेट साम्प्रदायिकता: सबसे खतरनाक वायरस	– डॉ अशोक ढ़वले	8
आजादी की 75वी सालगिरह तमाशा वे दिखा रहे हैं	– बादल सरोज	14
वामपंथी विकल्प केरल के किसानों और कृषि	– अखिल के एम तथा विजू कृष्णन	17
कृषि के सवाल में का० सुंदरैया की रुचि हमेशा बनी रही	– बी वी राघवुलु	20
डेयरी, कॉफी और सेब क्षेत्र किसानों की कार्यशालाएं	– पी कृष्णप्रसाद	22
महाशक्ति भारत से बेरोजगार भारत का "अग्निपथ"	– मनोज कुमार	28
लाखों किसानों ने देशव्यापी रास्ता रोको कार्रवाइयां की		31
दिल्ली और देश भर में धरना तथा विरोध प्रदर्शन		34
खेत मज़दूरों का अखिल भारतीय विरोध दिवस सफल रहा	– विक्रम सिंह	35
राजस्थान में स्थानीय मुद्ददा पर किसान का आन्दोलन	– छगन लाल चौधरी	37
महराष्ट्र के नासिक में वनाधिकार कानून पर रैली	– जे पी गावित	39
हरियाणा किसान सभा सम्मेलनों व संघर्षों का आह्वान	– इंद्रजीत सिंह	41
हिमाचल किसान सभा का 16वां सम्मेलन सम्पन्न	– सत्यवान पुण्डीर	42
मध्यप्रदेश:जीते किसान – रुका चम्बल का विनाश		44
हरियाणा पशुपालक व दुग्ध उत्पादक की राज्य कन्वेंशन	– दिनेश सिवाच	47
छत्तीसगढ़ में भूमि अधिकार आंदोलन का सम्मेलन		49
बिहार में AIKSCC की प्रमंडल स्तरीय किसान कन्वेंशन	– मदन प्रसाद	51
उत्तराखंड में किसान दिवस मनाया गया	– गंगाधर नौटियाल	52
झारखंड को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग	– सुफल महतो	53
हिमाचल प्रदेश आक्रोश रैली व सचिवालय घेराव	– संजय चौहान	56

* मुख्य पृष्ठ के लिए तस्वीर, छायाचित्रकार साथी विजय पांडेय से साभार ली गई।
* पिछले कवर पृष्ठ का डिजाईन साथी सुभोजीत द्वारा बनाया गया है।

संपादकीय

ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बाद दिल्ली की सीमओं से हटे किसानों को सात महीनों से जायदा का समय हो चूका है। पर आभी भी सरकार की तरफ से किसानों की बची हुई मांगों को पूरा करने की दिशा में कोई भी सकरात्मक कदम नहीं लिया गया है। सरकार द्वारा सात महीनों बाद एमएसपी पर कमेटी बनाई गई। इस में भी किसानों की शंकाओ का निवारण नहीं किया गया बल्कि जिन लोगो ने किसान विरोधी काले कानूनों का ख़ाका तैयार किया था, उन्हें ही इस कमेटी में रखा दिया गया। सरकार एक तरफ बड़े–बड़े दावे कर रही है कि वो किसानों के हित में काम कर रही है और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कटिबद्ध है पर असल में सरकार के कोर्पोरेर्ट प्रेम के चलते अपनाई जा रही किसान विरोधी नीतिया किसानी की मुश्किलें और बढ़ा रही है।

देश में विभिन्न समुदयो के बीच खाई बढाती जा रही है। अलगाववाद और आपसी रंजिश की सोची समझी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है और धार्मिक नफरत और हिंसा फैलाने वालो की एक हिस्से को सतारूढ़ भाजपा–संघ परिवार की सरकार की पूरी शय है। धार्मिक हिंसाओ के मामलों में चिन्हित कर के एक समुदाय विशेष के लोगो पर कार्यवाहीं की जाती है वो भी जनतंत्र को धता बताते हुए बिना किसी कोट–कचेहरी में सुनवाई के, आरोपियों के घरो–दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, बुलडोजर राज का अंतक एक समुदाय विशेष के लोगो के बीच डर फैलाने का काम कर रहा है। लगातार बढाई जा रही आपसी नफरत कटरपंथ और चरमपंथ को भी जन्म दे रही है।

महंगाई आज आम आदमी के 'जी का जंजाल' बन गई है। महंगाई दर अपने चरम पर है, खुदरा महंगाई दर पछले कई महीनों से 7 फिसद और थोक महंगाई दर 15 फिसद के पार रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और सरकार द्वारा फिर भी पेट्रोल डीजल पर भारी कर वसूला जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में डेयरी उत्पादों व मशीनों पर भी जीएसटी थोप दिया गया, जिस कारण इस से जुड़े किसानों और करोड़ों उपभोगताओं की जेब पर सीधा असर पड़ा है। रोजमर्रा की जरूरतों की अन्य चीजो पर भी जीएसटी लगा दिया गया है।

सरकार द्वारा हर तरह के विरोध को दबानें की कोशिश की जा रही है, सरकार और भाजपा के खिलाफ बालने वाले विभिन्न पत्रकारों, सामजिक कार्यकर्ताओं को झूठे व मनगढ़ंत मामलों में फसा कर जेलों में डाला जा रहा है। नागरिकों के लोकतान्त्रिक व संविधानिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं तक के खिलाफ सरकारी एजंसियों का दुरूपयोग करते हुए दबाव बनाने की कोशिशे की जा रही है। गैर–भजपा राज्य सरकारों से दुश्मनों सा व्यहवहार किया जा रहा है, तथा साम–दाम–दंड–भेद का इस्तेमाल करते हुए विधायकों को तोड़ा जा रहा है। हाल ही में महराष्ट्र में शिवसेना के विधायको को तोड़ कर महाविकास अगाडी की सरकार को गिराया जाना इस का ताज़ा उद्धरण है। देश की सब से बड़ी पंचायत संसद तक में मोदी सरकार के हर प्रकार के विरोध पर पाबंदी लगाने के प्रयास किये जा रहे है। सरकार का विरोध करने–सवाल पूछने वाले सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया जाता है। तमाम जनतांत्रिक प्रक्रियाओ को ताक पर रख कर सरकार सभी शक्तियों का केन्द्रीकरण कर रही है।

बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं के सामने अग्निपथ योजना ला कर और अंधकार बढ़ा दिया गया है। साथ ही देश की आतंरिक और बाहरी सुरक्षा को भी ताक पर रखा जा रहा है। फिल वक़्त जब देश महामारी के प्रकोप से उभर रहा है और पिछलें दो सालो से सभी भर्तिया रुकी हुई है, ऐसे में इस योजना का लाया जाना समझ से परे है।

फ़िलहाल जब हम भारत के आजादी के 75वें वर्ष को मना रहे है, ऐसे में फासीवादी ताकतों की गिरफ्त देश को बचाने का सिर्फ एक विकल्प हमारे सामने मौजूद है, आम जनता में मुद्दों पर व्यापक एकता बनाते हुए सांझा संघर्षो की श्रुंखला शुरू करनी होगी, जो की साम्प्रदायिक शक्तियों को बेनकाब करते हुए उन्हें अलग–थलग भी करेगा। □

किसान संघर्ष की जीत और उसके बाद

– हन्नान मौल्ला

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेतृत्व में 380 दिनों तक चले ऐतिहासिक किसान संघर्ष के बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी को19 नवंबर 2021 को तीन काले कृषि अधिनियमों को निरस्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने इसे भी अपनी अधिनायकवादी शैली में ही किया। जैसे की वह इन अध्यादेशों को बिना किसी से सलाह लिए लाए थे, उसी तरह उन्होंने इसे वापस भी लिया, बिना किसी से कोई चर्चा किए। मोदी जी द्वारा इन कानूनों के वापसी की घोषणा के कुछ दिनों के बाद, उनके मंत्रिमंडल ने द्वारा भी औपचारिक रूप से इसे मंजूरी दे दी। हालांकि मोदी जी पहले कहा रहे थे "इन काले कानूनों में काला क्याहै?"पर यूपी चुनाव के उनके दरवाजे पर दस्तक देते ही उन्हें अचानक से समझ आ गया के इन में काला क्या है।

किसान खुश थे कि उनकी एकजुट शांतिपूर्ण लंबी लड़ाई ने मोदी सरकार को मुख्य मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो एसकेएम ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी फसलों की कीमत, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग उठाई। एसकेएम ने किसान विरोधी बिजली बिल को वापस लेने और विभिन्न राज्यों में किसानों के खिलाफ हजारों झूठे मामलों को वापस लेने तथा 715 शहीदों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने की भी मांग की थी। एसकेएम ने लखीमपुर खीरी में किसानों के खिलाफ किये गए अपराध के लिए अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने और उनके बेटे आशीष मिश्रा, जिन्होंने आरएसएस के गुंडों के एक समूह के साथ मिलकर चार किसानों एवं एक पत्रकार को उनकी कार से कुचल कर मार डाला था,की गिरफ्तारी की भी मांग की थी। सरकार की चुप्पी पर एसकेएम ने इन मांगों को दोहराते हुए सरकार को पत्र लिखा और मंत्रीयों द्वारा मीडिया से बात करने के बजाय सरकार से लिखित सहमति मांगी।

अंततः 9 दिसंबर 2021 को कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल ने एसकेएम को पत्र लिखकर लगभग इन सभी मांगों को लागू करने का आश्वासन दिया। लेकिन उसके बाद सरकार उन मांगों पर खामोश है। पंजाब और कुछ जगहोंहरियाणा की छोड़कर मामले वापस नहीं लिए गए। संघर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में रेलवे द्वारा किसानों पर फर्जी मुकदमे वापस लेने के लिए एसकेएम ने रेल मंत्री को पत्र भी लिखा था। शहीदों के परिवारों को मुआवजा देने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। मीडिया के माध्यम से सरकार ने कहा कि वह एमएसपी के लिए एक समिति का गठन करेगी और इसके लिए उन्हें एसकेएम से नाम चाहिए थे। लेकिन एसकेएम से कोई सीधा संवाद नहीं किया गया । एसकेएम की समन्वय समिति ने कई बैठकें कीं और जब से दो महीने से अधिक समय बीत गया और सरकार चुप रही, तब एसकेएम ने सरकार की निष्क्रियता

और विश्वासघात की आलोचना की और 31 जनवरी 2022 को "विश्वासघात दिवस" मनाने का आह्वान किया। एसकेएम ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा जिसमें भारत सरकार की भूमिका की व्याख्या करते हुए, उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। पूरे देश में किसानों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, लेकिन सरकार अपनी हठ से नहीं डीगी।

इसलिए एसकेएम ने आने वाले विधानसभा चुनावों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में "भाजपा को वोट नहीं" अभियान आयोजित करने का फैसला किया। 1 फरवरी 2022 को एसकेएम की यूपी कमेटी की बैठक हुई और इस अभियान को जमीनी स्तर तक ले जाने का फैसला किया। अभियान को हर जगह ले जाए के लिए एसकेएम नेतृत्व ने यूपी के महत्वपूर्ण जिला केंद्रों पर प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। हमने मुरादाबाद, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, बनारस, झांसी, मेरठ, इलाहाबाद, अखबारपुर आदि तथा नई दिल्ली के प्रेस क्लब सहित कुछ अन्य केंद्रों पर विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जिस का चुनाव के दौरान प्रचार पर अच्छा प्रभाव पड़ा।

हालाँकि,आन्दोलन की अगुवाई करने वाले पंजाब में एक समस्या थी। पंजाब के कुछ किसान संगठन और एसकेएम सदस्य चुनाव के संबंध में एसकेएम के सैद्धांतिक रुख के खिलाफ चले गए। एसकेएम ने पहले तय किया थाकी, किसान संगठन किसानों के जन संगठन हैं, वहकोई राजनीतिक दल नहीं है और चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत भी नहीं है। वह किसान मुद्दों पर संघर्ष करते थे और किसान विरोधी नीतियों एवं सरकार की किसान विरोधी कार्रवाई पर लड़ते रहे है। वह एसकेएम के नेतृत्व में चल रहे अपने संघर्ष में किसी राजनीतिक दल को आमंत्रित नहीं करेंगे। कोई भी किसान संगठन अपने नाम से चुनाव नहीं लड़ेगा और कोई भी चुनाव में एसकेएम के नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। विभिन्न चुनावों में इसका पालन किया गया। लेकिन पंजाब के विधानसभा चुनाव में कुछ किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया।उन्होंने नए राजनीतिक दलों का गठन किया, उन्हें चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण करवाया और सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार को खड़े किए। संयुक्त समाज मोर्चा (एसएसएम) नामक एक पार्टी का नेतृत्व बलबीर सिंह राजेवाल ने किया और दूसरी संयुक्ता संघर्ष पार्टी (एसएसपी) जिस की अगुवाई गुरनाम सिंह चादुनी कर रहे थे।

15 जनवरी 2022 को एसकेएम की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और जिन संगठनों ने राजनीतिक दल बनाया था, उन्हें एसकेएम के फैसलों के उल्लंघन के लिए एसकेएम से निलंबित कर दिया गया था। पंजाब के कई संगठन पार्टी में शामिल नहीं हुए और उन्होंने भाजपा व अन्य दलों के खिलाफ प्रचार किया। चुनावों में नई किसान पार्टी सभी सीटों पर हार गईऔर उसके पक्ष में बहुत कम वोट पड़े।

चूंकि एसकेएम हमेशा किसान आंदोलन में एकता के पक्ष में था, इसलिए यह घोषणा की कि अगर वे संगठन जिन से गलती हुई है, अपनी गलती स्वीकार लेते हैं साथ ही राजनेतिक पार्टी को खत्म कर देते है और एसकेएम में वापस आते है, तो उनका किसान संगठनों के रूप में स्वागत किया जाएगा। एसकेएम द्वारा पंजाब के कुछ नेताओं को इन लोगों से बातचीत करने और उन्हें वापस आने के लिए राजी करने की जिम्मेदारी भी सौपी। इस कार्य के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। बाद में लगभग 16 संगठनों ने मुलाकात की और घोषणा की कि वे एसकेएम के खिलाफ जाने वालों के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। इसलिए एकता के लिए प्रयास जारी था और यदि कोई अन्य संगठन इस में शामिल होता है तो उसका स्वागत तथा एसकेएम की अगली बैठक में स्वीकृति दी जाएगी।

पंजाब में भाजपा का लगभग सफाया हो गया था लेकिन यूपी में भाजपा की सीटों और वोटों घटने के बावजूद जीत हासिल की।यूपी चुनाव पर किसान आंदोलन का असर नहीं होने वाला प्रचार सच नहीं था। बड़ी संख्या में किसानों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। ग्रामीण इलाकों में विपक्ष के वोटों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि भाजपा के वोटों में 3 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि गैर किसान वोट भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति से अधिक प्रभावित थे और उन्होंने भाजपा को वोट दिया। भाजपा की जीत के मुख्य कारण अलग थे। विपक्षी फूट और कुछ विपक्षी दलों का भाजपा को मदद करना। सांप्रदायिककारको ने भी काम किया। तो एसकेएम सांप्रदायिक व जाति विभाजन के खिलाफ यूपी के किसानों को संगठित करना जारी रखेगाऔर किसान मुद्दों पर संघर्ष के आधार पर किसान एकता को और ज्यदा मजबूत करेगा।

जब केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 का बजट संसद में पेश किया गया था तब एसकेएम ने इस किसान विरोधी बजट की आलोचना की और इसे किसानों के खिलाफ मोदी शासन का बदला करार दिया था । कृषि क्षेत्र के लिए बजट में आवंटन पिछले साल के लगातार घटाया गया था।

इस मेंएमएसपी का कोई जिक्र नहीं था। एसकेएम ने बजट की गंभीर आलोचना की और नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में इसके विरोध का आह्वान किया, साथ ही चुनावी राज्यों के मतदाताओं से भाजपा के खिलाफ मतदान करने की अपील भी की।

इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी के अपराधी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। एसकेएम ने इसे यूपी सरकार, प्रशासन, जांच एजेंसियों, पुलिस और सरकारी कानूनी टीमों के बीच मिलीभगत बताते हुए इसकी निंदा की। एसकेएम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की व्यवस्था भी की। पीड़ित परिवारों ने अपील की और एसकेएम ने सक्षम वकीलों के साथ इस पर चर्चा की जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी ढंग से मामला लड़ा। अंततः आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई और उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा देने का निर्देश दिया। यह एक बड़ी जीत थी जिसने देश के किसानों को प्रोत्साहित किया। चूंकि लखीमपुर खीरी का मामला गंभीर था, इसलिएएसकेएम ने अपनी समन्वय समिति के सभी सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारोंके यह भेजा, प्रशासन से मुलाकात की और लखीमपुर समस्या पर प्रशासन को मांग शौंपा तथा वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसकेएम ने मुद्दे पर लगातार दबाव बनाया।

इस बीच, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के आदिवासी जो अपनी वन भूमि पर कॉर्पोरेट कब्जे के खिलाफ लड़ रहे थे, जो की ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार की मदद से कोयला खनन के लिएकॉर्पोरेट को दी गई थी। एसकेएम ने इसका विरोध किया और आदिवासियों व उनके अधिकारों का समर्थन किया।

इस दौरान वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और भविष्य की कार्ययोजना पर निर्णय लेने के लिए 14 मार्च 2022 को गांधी शांति प्रतिष्ठान में एसकेएम की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विघटनकारी घटनाएँ हुई, निष्काषित सदस्य अपने समर्थकों के साथ पहुच गए। इसलिए एसकेएम ने अलग से बैठक कर कुछ अहम फैसले लिए । अधूरी मांगों को मजबूती से उठाने के लिए पूरे देश में 11 से 17 अप्रैल तक सरकारी विश्वासघात के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और अभियान चलाने तथा एमएसपी गारंटी सप्ताह का मनाने का निर्णय लिया गया। इस अभियान के साथ–साथ लखीमपुर खीरी की साजिश को भी उजागर किया जाना था और मंत्री द्वारा

किये गए वादों को पूरा ना कर दिए गए धोखे का पर्दाफाश भी किया जाएगा था।

28– 29 मार्च 2022 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने दो दिवसीय आम हड़ताल का आह्वान कियाथा। हड़ताल में लाखों मजदूरों ने हिस्सा लिया। एसकेएम ने इसे पूर्ण और सक्रिय समर्थनआह्वानकिया और किसान बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों में हड़ताल में शामिल हुए।

इस बीच कृषि मंत्री ने एसकेएम के एक नेता से संपर्क किया और एसकेएम से एमएसपी समिति के लिए दो नाम देने का अनुरोध किया। एसकेएम ने बैठक कर मंत्री से इस पर लिखित स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया। उन्हें समिति की प्रकृति, इसके अन्य सदस्यों, इसके अध्यक्ष, इस का संदर्भ, समय सीमा, सिफारिश पर कार्रवाई आदि के बारे में सूचित आदि मांगी। भेजा गया पत्र का कोई जवाब प्राप्त नहीं होने पर, एक अनुस्मारक दिया गया था लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इससे किसानों की मांगों को लेकर सरकार की किसान विरोधी मंशा का पता चलता है।

इन सभी मामलों पर विचार करने के बाद, एसकेएम की समन्वय समिति ने आगे की कार्रवाई सहित हर चीज पर चर्चा करने के लिए एसकेएम की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक ठीक से हो, उसकी उपस्थिति नियमों और निर्णयों के अनुसार हो और तथा उचित व जनतांत्रिक तरीके से आयोजित की जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए एसकेएम को अपनीव्यवस्थित कार्यप्रणाली, उचित जानकारी के आधार पर सदस्यता के युक्तिकरण, बैठक के व्यवस्थित संचालन, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही, समन्वय समिति के विस्तार आदि के लिए दिशानिर्देशों की भी आवश्यकता थी।

एसकेएम को भी भविष्य के आंदोलन की भी उचित योजना बनानी है। एसकेएम एक व्यापक मंच और इसे मुद्दे आधारित संघर्ष के आधार पर बनाया गया है। काले कृषि कानूनों को निरस्त करने के मुख मुद्दे पर, एसकेएम ने जीत भी हासिल की है। इसी के आधार पर हमें आंदोलन के अगले चरण में हमें एमएसपी पर तैयार करनी होगी। यह इस समय की प्रमुख मांग है। हमें इसकी प्रकृति, विस्तार, रूप और संयुक्त क्रिया पर चर्चा करनी चाहिए। साथ ही संघर्ष के अगले चरण में बिजली संशोधन विधयक वापस लेने, एकमुश्त कर्जमाफी, इनपुट सब्सिडी, जमीन के मुद्दे, मनरेगा आदि मुद्दों को भी लिया जाना है।

3 जुलाई को गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी किसान संगठनों के चुनिंदा प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय बैठक हुई। जिस में देश के 15 राज्यों से लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पंजाब चुनाव के मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा से अलग किए गए 16 संगठनों को मोर्चे में पुनः शामिल किया गया और मोर्चा एक बार फिर किसानों कि सयुक्त ताकत बन कर उभरा। इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 9 दिसंबर 2021 को मोर्चा उठाने पर सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे उन पर केंद्र सरकार पूरी तरह मुकर गई है। ना तो एमएसपी पर कमेटी का गठन हुआ है और ना ही आंदोलन के दौरान किसानों पर लगाए गए झूठे मुकदमें वापस लिए गए हैं। सरकार बिजली बिल को संसद में लाने का प्रयास कर रही है। किसानों की सबसे बड़ी मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, पर सरकार विचार करने को भी तैयार नहीं है। सरकार के इस वादाखिलाफी के विरोध में, 18 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से 31 जुलाई शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस तक, देशभर में जिला स्तर पर "वादाखिलाफी विरोधी सभा" आयोजित की जाएगी। इस अभियान के अंत में 31 जुलाई को सरदार उधम सिंह के शहादत दिवस पर सुबह 11:00 से दोपहर 3:00 बजे तक देशभर में मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा। इस आयोजन से आम जनता को परेशानी ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अग्निपथ योजना के विरुद्ध किसान संगठन, बेरोजगार युवाओं और पूर्व सैनिकों को लामबंद करेगा, क्योंकि यह योजना राष्ट्र–विरोधी और युवा–विरोधी होने के साथ–साथ किसान–विरोधी भी है। अग्निपथ योजना के चरित्र का पर्दाफ़ाश करने के लिए 7 अगस्त से 14 अगस्त के बीच देशभर में "जय–जवान जय–किसान" सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पूर्व सैनिकों और बेरोजगार युवाओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के 10 महीने बाद भी अजय मिश्र टेनी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहना देश की कानून व्यवस्था के साथ एक भद्दा मजाक है। संयुक्त किसान मोर्चा शुरू से किसानों को न्याय दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है, और पीड़ित परिवारों को कानूनी व अन्य हर तरह की सहायता देता रहा है। इसी मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी में 18–19–20 अगस्त को 75 घंटे का पक्का मोर्चा आयोजित करेगा, जिसमें देश भर से

किसान नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 जुलाई 2022 को भारत सरकार द्वारा एमएसपी व अन्य कई मुद्दों पर बनाई गई समिति को सिरे से खारिज करते हुए इसमें कोई भी प्रतिनिधि नामांकित न करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री द्वारा 19 नवंबर को तीन काले कानून रद्द करने की घोषणा के साथ जब इस समिति की घोषणा की गई थी, तभी से मोर्चा ने ऐसी किसी कमेटी के बारे में अपने संदेह सार्वजनिक किए हैं। मार्च के महीने में जब सरकार ने मोर्चे से इस समिति के लिए नाम मांगे थे तब भी मोर्चा ने सरकार से कमेटी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, जिसका जवाब कभी नहीं मिला। 3 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक ने सर्वसम्मति से फैसला किया था कि "जब तक सरकार इस समिति के अधिकार क्षेत्र और टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पष्ट नहीं करती तब तक इस कमिटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि का नामांकन करने का औचित्य नहीं है।" सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन से इस कमेटी के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संदेह सच निकले हैं। जाहिर है ऐसी किसान–विरोधी और अर्थहीन कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भेजने का कोई औचित्य नहीं है।

अखिल भारतीय किसान सभा ने देश में किसान आन्दोलन के निर्माण की पहल की थी। इसने भूमि अधिकार आंदोलन (बीएए), अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) और बाद में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसान सभा ने हमेशा संयुक्त संघर्षों में एकता बनाए रखने की कोशिश की। पिछले एक दशक के दौरान किसान सभा ने कड़ी मेहनत और अथक प्रयास किये की, इन मंचो का विस्तार हो और यह मजबूतबन कर उभरे। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर किसान सभा को इस प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करनेहोगा। इस व्यापक एकता के साथ–साथ हमें वामपंथी किसान और खेतिहर मजदूर संगठनों तथा मजदूर वर्ग की ट्रेड यूनियनों के बीच भी एकता को मजबूत करना होगा।

देश सत्तारूढ़ दल के कॉरपोरेट–सांप्रदायिकगठजोड़ के गंभीरचौतरफा हमले का सामना कर रहा है। वे लोगों और किसानों को सांप्रदायिक, जातिगत, भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नवउदारवादी नीतियों के कारण होने वाले उत्पीड़न और अन्य आर्थिक कठिनाइयों से लड़ने के लिए लोगों की एकताको मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें अपने संविधान सभी जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करनी होगी। हमें अपनी सांस्कृतिकविविध की रक्षा के लिए लड़ना होगा। हमें भारत गणराज्य को हिंदू राष्ट्र मेंतब्दील होने से रोकने के लिए आरएसएस की साजिश का विरोध करना होगा। हमारे देश के जनवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, किसान सभा को अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभानी होगी और देश को सांप्रदायिक ताकतों द्वारा किए जा रहे विनाश से बचाने में मदद करनी होगी। □

मनुवादी कॉर्पोरेट सांप्रदायिकताः सबसे खतरनाक वायरस

– डॉ अशोक ढ़वले

राजनीतिक रूप से, अप्रैल–मई 2021 में राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान जब किसानों का संघर्ष जोरों पर था, तब केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी हार हुई। केरल में, एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार शानदार जीत दर्ज की। भाजपा मुश्किल से सिर्फ असम में अपनी सरकार बचा सकी। लगभग उसी समय, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और पंजाब में नगरपालिका चुनावों में भी भाजपा को हार का मूंह देखना पड़ा था। अक्टूबर 2021 में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में संसदीय और विधानसभा उपचुनावों में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। यही एक मुख्य कारण था कि मोदी सरकार को कृषि कानूनों को निरस्त करने पर मजबूर होना पड़ा।

हालांकि, मार्च–अप्रैल 2022 में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में स्थिति बदल गई। केवल पंजाब में ही भाजपा की हार हुई। अन्य चार राज्यों – उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा ने जीत हासिल की। यह नतीजें कई कारकों का परिणाम थे। जिनमें से मुख्य भाजपा द्वारा उकसाया गया उन्मादी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण था। इस के अलावा जाति समूहों और गठबंधनों का प्रबंधन, विपक्ष में फूट और बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट धन तथा मीडिया शक्ति उपयोग के साथ–साथ भाजपा द्वारा आधिकारिक मशीनरी का अपना चुनाव जितने के लिए इस्तेमाल अन्य कारण थे।

सांप्रदायिक खतरा

इस जीत के बाद आरएसएस, भाजपा, विहिप और संघ परिवार शातिर तरीके से अपने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबरी मस्जिद को गिराने और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद, उन्होंने अब वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक की ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर भी विवादों को पैदा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991, जो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में रहे किसी भी पूजा स्थल के बदले जाने को प्रतिबंधित करता है और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने की बात करता है, को दरकिनार करते हुए अदालतें इन जगहों की यथास्थिति को बदलने की दलीलों की सुनवाई कर रही हैं। यह बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगो का कारण बन सकता है, जैसा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुआ था।

वही न्यायपालिका जो इस तरह की दलीलों पर विचार कर रही है, लंबे समय से चले आ रहे अत्यन्त जरुरी मामलों और महत्वपूर्ण संवैधानिक याचिकाओं जैसे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू–कश्मीर राज्य को खत्म करने, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) में कठोर धाराओं के खिलाफ, और चुनावी बांड की भ्रष्ट धोखाधड़ी के खिलाफ, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को बाधित करता हैं, पर भी चुप है तथा सुनवाई को खींच रही है।

संघ परिवार द्वारा अप्रैल 2022 में कई राज्यों में अल्पसंख्यकों पर हमला करने के लिए व्यवस्थित रूप से राम नवमी और हनुमान जयंती जुलूस का इस्तेमाल किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के घरों और दुकानों को अंधाधुंध तरीके से तबाह करने के लिए बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया। सेकंदो में उनके जीवन की जमा पूँजी नष्ट कर दी गई। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए हिजाब और हलाल जैसे मुद्दे उठाए गए। लेकिन यह केवल मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक नहीं हैं जिन पर हमले हो रहे हैं; दलित, आदिवासी और महिलाएं भी मनुस्मृति के इन सांप्रदायिक समर्थकों के निशाने पर हैं। महिलाओं को हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने वाले सभी कानूनों को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया जा रहा है। उन की पसंद के स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा रहा है तथा 'ऑनर किलिंग' में वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है।

नफरत की यह मानसिकता भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के क्रमशः राष्ट्रीय टेलीविजन और सोशल मीडिया पर पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ दियें गए आक्रामक बयानों में परिलक्षित होती है। भारत में इसके खिलाफ किये जा रहे विरोध को बेरहमी से दबा दिया गया। लेकिन जब

कई खाड़ी देशों ने इसकी कड़ा निंदा की, तो भाजपा ने नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया और नवीन जिंदल को पार्टी से निश्काशित कर दिया।

फिर राजस्थान के उदयपुर जिले में एक दर्जी कन्हैया लाल की भीषण हत्या कर दी गई। नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर सहमति जताने वाली पोस्ट करने के लिए दो मुस्लिम युवकों द्वारा उनका सिर कलम कर दिया गया था। अब यह पता चला है कि उनमें से एक रियाज़ अख्तरी, भाजपा के करीबी था और उस की तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें उनके गले में भाजपा का पट्टा दिखाई दे रहा है।

एक और उदाहरण हाल ही में जम्मू का है। हथियारों और गोला–बारूद के साथ दो आतंकवादियों को स्थानीय लोगों ने काबू कर लिया। उनमें से एक, तालिब हुसैन शाह एक सक्रिय भाजपा सदस्य था। अमित शाह के साथ उनकी फोटो सोशल मीडिया पर जारी की गई है। इससे पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव बम धमाकों में स्पष्ट रूप से शामिल होने के सबूत मिल चुकें है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और अब उन्हें भोपाल से सांसद बना दिया गया है।

अधिनायकवादी खतरा

इसके साथ ही जनतंत्र और संघीय ढांचे दोनों पर इस सरकार द्वारा अधिनायकवादी हमला किया जा रहा है। एक तरफ राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ राजद्रोह कानून , राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) व यूएपीए के दुरुपयोग तथा दूसरी तरफ सीबीआई, ईडी, आईटी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के कठोर उपयोग ने सभी सीमाओं को पार कर दिया है। भीमा कोरेगांव बंदी और दिल्ली दंगों के बंदियों जैसे सैकड़ों निर्दोष मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, छात्रों और पत्रकारों को वर्षों तक जेल में सडाया जा रहा है। अब हाल ही में पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट के चौंकाने वाले फैसले ने ईडी को और भी कठोर शक्तियां प्रदान की हैं।

शिवसेना में विभाजन के कारण महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी राज्य सरकारको गिराने, भाजपा केंद्र सरकार के सबसे बेशर्मभरे, भ्रष्ट और अनैतिक कृत्यों में से एक था। आरोप है कि शिवसेना के करीब 40 विधायकों को 50–50 करोड़ रुपये देकर खरीदा गया, साथ ही ईडी से सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया। उन्हें चार्टर्ड उड़ानों से सूरत, गुवाहाटी और गोवा, तीनों भाजपा शासित राज्य ले जाया गया और पांच सितारा होटलों में उनकें रुकने का प्रबंध किया गया।

भाजपा के अधिनायकवाद का सबसे हालिया उदाहरण तीस्ता सीतलवाड़, आर बी श्रीकुमार और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हैं। संजीव भट्ट पिछले कुछ सालों से जेल में ही हैं। जाकिया जाफरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के खेदजनक फैसले ने भाजपा शासन को पहली दो गिरफ्तारी करने के लिए प्रोत्साहित किया। तीस्ता सीतलवाड़ ने पिछले 20 वर्षों से गुजरात सांप्रदायिक दंगो में प्रभावित लोगों के अधिकारों के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। उन्होंने असम में सीएए से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों के लिए भी लड़ाई लड़ी है।

मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज़ के सह–संपादक हैं, जिन्होंने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली फर्जी/झूठी ख़बरों के सत्य को उजागर करने का काम किया है। सांप्रदायिक घृणा को शांत करने में उनका योगदान रहा है। अब उन्हें हास्यास्पद आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें हिरासत में भेज दिया था। अदालत के फैसले से पहले ही पुलिस अधिकारियों ने उनकी जमानत खारिज होने की घोषणा कर दी थी। अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है।

'वी–डेम संस्थान' ने भारत को 'चुनावी निरंकुशता' कहा है। 'फ्रीडम हाउस' ने भारत को 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' बताया है। 'अंतर्राष्ट्रीय आईडिया' ने कहा है कि इस समय

भारत का स्कोर '1975 के औपचारिक आपातकाल के स्तर पर' है। 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' ने 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' में भारत को 180 देशों में 150वें नंबर पर रखा है। वित्तीय क्षेत्र और अन्य सभी क्षेत्रों में राज्यों के अधिकारों पर केंद्र द्वारा बेरहमी से हमला किया जा रहा है।

गंभीर सामाजिक–आर्थिक स्थितियां

यह सब तब हो रहा है, और ठीक इसलिए क्योंकि लोग अपनी आजीविका पर राक्षसी हमलों के कारण गंभीर सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। लोगों का इस विपदा से ध्यान भटकाने के लिए ही आरएसएस–भाजपा उन्हें सांप्रदायिकता की अफीम चटा रही है।

महामारी से प्रेरित मंदी के कारण भारत में गरीबों की संख्या (प्रति दिन 2 डॉलर की आय से कम वाले लोग) केवल एक वर्ष में 6 करोड़ से बढ़कर 13.4 करोड़ हो गई है। यह अनुमान है कि 2021 के अंत तक 15 करोड़ से 19.9 करोड़ अतिरिक्त लोग गरीबी के चपेट में आ चुके होंगे। महामारी के दौरान, भारत में गरीबी में वैश्विक वृद्धि का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा था।

नौकरियों में भारत के लोगों की कुल संख्या 2013 में 44 करोड़ से घटकर 2021 में 38 करोड़ हो गई। हालांकि, इसी अवधि के दौरान कामकाजी उम्र की आबादी 79 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़ हो गई थी। नौकरी पाने में असमर्थ 61प्रतिशत,याने करोड़ों लोगों ने इसकी तलाश ही बंद कर दी और जीवित रहने के लिए ग्रामीण भारत में वापस चले गए, जब की वहां की स्थिति भी अत्यंत मुश्किल थी। 2013 में कार्यबल में महिलाएं 36 प्रतिशत थी जो गिरकर 2019 में महामारी के लॉकडाउन से भी पहले 18 प्रतिशत रह गया था, फरवरी 2021 में यह आंकड़ा गिर कर केवल 9.24 प्रतिशत पर आ पंहुचा, जो महिलाओं के गंभीर संकट को रेखांकित करता है।

2021 की 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' ने भारत को 116 देशों में से 101वें स्थान पर रखा है। पिछले साल रैंक 94 था। भारत को अब 'गंभीर स्तर की भूखमरी' वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर भी मोदी सरकार शासनकाल 2014 और 2021 के बीच स्कूलों की मध्यंतर भोजन योजना के लिए आवंटन में भी 32.3 प्रतिशत की कमी की गई। भारत में दुनिया के 25 प्रतिशत कुपोषित बच्चे हैं। 40 करोड़ पात्र लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पूरी तरह छूट गए हैं। पीडीएस को जानबूझकर नष्ट किया जा रहा है।

पूरे कोविड काल के दौरान जब लोगों का दुख इजाफा हो रहा था, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग दैनिक आधार पर बढ़ोतरी जारी थी। सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क, अधिभार और उपकर के स्तर को तब तक लगातार बढ़ाया जब तक कि पेट्रोल और डीजल दोनों अभूतपूर्व रूप से 100 रुपये प्रति लीटर को पार नहीं हो गए। वित्त मंत्री ने संसद को सूचित किया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र ने इस लूट के माध्यम से 2018 और 2021 के बीच 8.02 लाख करोड़ रुपये की कमाई की है। जनता के दबाव में, आखिरकार, पेट्रोल और डीजल पर टेक्स में थोड़ा कम किया गया। हालांकि, इससे ज्यादा फर्क नही पडा।

रसोई गैस सिलेंडर के दाम आसमान छूकर एक हजार रुपये प्रति सिलेंडर के ऊपर पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है। बहुप्रचारित उज्ज्वला गैस योजना अंधेरे में गायब हो गई है। पाइप्ड गैस और सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की इस असहनीय कीमत बढ़ोतरी से परिवहन और अन्य इनपुट लागतों में वृद्धि के कारण एक मुद्रास्फीति में उछाल को जन्म दिया है। भोजन, सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, जो 12 साल का उच्चतम रिकॉर्ड है। गरीबों के लिए अब जीना भी मुश्किल हो गया है।

कंपनियों के लिए मुनाफा, देश की लूट

बेरोजगारी में खतरनाक वृद्धि, बढ़ती गरीबी और तेजी से बढ़ती असमानताओं के बावजूद, आर्थिक सुस्ती के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया ने केवल आय और धन की असमानताओं को बढ़ने का काम किया। बड़े क्रोनी कॉर्पोरेट समूहों द्वारा लिए गए भारी ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया और बैंकों को करदाताओं के पैसे का उपयोग करके पुनर्पूंजीकरण किया गया। मोदी सरकार के पिछले सात वर्षों में, कॉरपोरेट्स द्वारा लिए गए 10.72 लाख करोड़ रूपये ऋण को बट्टे खाते में डाले गए हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट्स को लाखों करोड़ रुपये की कर रियायते देकर भी मदद पहुचाई गई है।

बजट 2021–22 में विनिवेश (मतलब निजीकरण) से 1,75,000 करोड़ रुपये की प्राप्तियों हुई, इस में कुछ सबसे अच्छा लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों और वित्तीय संस्थानों को घरेलू व विदेशी कॉर्पोरेट्स को बिक्री के लिए रखा गया था। हाल के आईपीओ के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम में शेयरों के विनिवेश के साथ ही सार्वजनिक

क्षेत्र के बैंकों और जीआईसी का निजीकरण किया जाना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में 6 लाख करोड़ रुपये की जमीन, रेलवे ट्रैक, स्टेशनों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, ईंधन पाइपलाइनों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति को कॉर्पोरेट लॉबी को बेचने का प्रस्ताव है।

इन सबका परिणाम पिरामिड के शीर्ष पर कुछ लोगों के लिए आय का हस्तांतरण हो रहा है। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार, 2016 और 2020 के बीच मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में 350 प्रतिशत की वृद्धि हुई; इसी अवधि के दौरान गौतम अडानी की कुल संपत्ति में 750 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2020–2021 में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 7.18 लाख करोड़ रुपये; गौतम अडानी की कुल संपत्ति 5.06 लाख करोड़ रुपये थी। अन्य अति–समृद्ध व्यक्तियों और परिवारों की संपत्ति में भी भारी वृद्धि देखी गई है। ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत में शीर्ष दस लोगों के पास देश की 57 प्रतिशत संपत्ति है; निचले आधी आबादी के हिस्से केवल 13 फीसदी है।

बड़े पैमाने पर जनता के संघर्ष, केंद्रित राजनीतिक–वैचारिक अभियान जरुरत

ऐसे में लोगों के ज्वलंत मुद्दों पर व्यापक संघर्ष के साथ मनुवादी कॉर्पोरेट सांप्रदायिकता के खिलाफ ठोस राजनीतिक–वैचारिक अभियान इस समय की जरूरत है। हमारी संगठनात्मक ताकत को कई गुना बढ़ाकर इसे आगे बढ़ाना होगा।

23 मई 2022 को दिल्ली में आयोजित सीटू, किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन के केंद्रीय नेतृत्व की एक संयुक्त बैठक ने नवउदारवादी नीतियों और आरएसएस–निर्देशित मोदी नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सांप्रदायिक विभाजनकारी एजेंडे के लिए एक मजबूत देशव्यापी प्रतिरोध विकसित करने के लिए एक संयुक्त अभियान व कार्यक्रम तैयार किया है।

तीन संगठनों द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर एक संयुक्त अभियान चलाया जाएगाः मूल्य वृद्धि, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, मुफ्त शिक्षा, वैधानिक एमएसपी और सुनिश्चित सरकारी खरीद, कर्ज़ा माफी, फसल बीमा, निजीकरण पर रोक, श्रम संहिता के निरस्तीकरण, मनरेगा का विस्तार, सामाजिक न्याय, जनता की एकता कायम रखना और जहरीली सांप्रदायिक विभाजनकारी ताकतों को हराना। बैठक में तीन संगठनों द्वारा निम्नलिखित कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की गई हैः

1–15 अगस्त 2022 तक पखवाड़े भर चलने वाला एक व्यापक देशव्यापी संयुक्त अभियान चलाया जाएगा, जिस का समापन 15 अगस्त को हमारे देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 14 अगस्त की रात को 'सामुहिक जागृती' के रूप में किया जायेगा। यह संयुक्त अभियान स्वतंत्रता संग्राम में मजदूरों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों की भूमिका और एक जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी स्वतंत्र भारत के लिए उनका दृष्टिकोण व्याख्या करेगा । यह आरएसएस के विघटनकारी रवैये तथा स्वतंत्रता संग्राम में

उसके विश्वासघात के साथ–साथ आरएसएस–भाजप नेतृत्व वाली सरकारों की वर्तमान विनाशकारी राष्ट्र–विरोधी व जन–विरोधी नीतियों को भी उजागर करेगा। इस के साथ ही भाजपा सरकारों के विपरीत केरल की वाम जनतांत्रिक मोर्चा की सरकार द्वारा देश के सामने रखे गए जन–पक्षीय विकल्प को दूर–दूर तक लोकप्रिय बनाया जाएगा। देश भर में संयुक्त पर्चे प्रकाशित किये जाएंगे, बैठकें, रैलियां आयोजित की जाएंगे।

8 अगस्त 2022 को 'भारत छोड़ो दिवस' के उपलक्ष्य में, संयुक्त रूप से जिला और स्थानीय स्तर पर व्यापक गोलबंदी आयोजित की जाएगी – जैसा कि हम पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं, ऊपर दिए गए मुददों को उठाते हुए।

2023 में संसद के बजट सत्र के दौरान एक विशाल संयुक्त 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' की तैयारी के लिये देशभर से 5000 से अधिक कार्यकर्ताओ को जुटाकर 5 सितंबर 2022 को दिल्ली में तीन संगठनों का एक बड़ा संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। 1 अगस्त 2022 को खेत मजदूर संगठनों द्वारा दिया गया संघर्ष का आह्वान को भी किसान सभा द्वारा समर्थन दिया गया है।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 3 जुलाई 2022 को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में अपनी राष्ट्रीय बैठक आयोजित की, जिस के फैसले के तहत 18 से 31 जुलाई तक मोदी सरकार द्वारा कियें गए विश्वासघात के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया गया । एसकेएम के निर्णय अनुसार सरदार उधम सिंह की शहादत दिवस 31 जुलाई को देश भर में सैकड़ों स्थानों पर लाखों किसानों द्वारा व्यापक स्तर पर चक्का जाम किया गया। 7 से 14 अगस्त तक अग्निपथ योजना के खिलाफ और 18 से 20 अगस्त तक लखीमपुर खीरी मुद्दे पर भी आन्दोलन का आह्वान किया गया।

अखिल भारतीय किसान सभा का 35 वां राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2022 में केरल के त्रिचूर में आयोजित किया जाएगा। 34 वां सम्मेलन पांच साल पहले अक्टूबर 2017 में हरियाणा के हिसार में आयोजित किया गया था। 35 वे सम्मेलन से पहले ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक किसान सभा के हजारों सम्मलेन किये जाएंगे। इन सभी सम्मेलनों में, महिलाओं और युवाओं की अधिकतम भागीदारी और प्रतिनिधित्व पर विशेष ध्यान देते हुए संगठन को हर स्तर पर सुव्यवस्थित, सक्रिय और मजबूत किया जाएगा। किसान सभा के 2021–22 की सदस्यता को अंतिम रूप दिया जा चुका है और ऐतिहासिक किसानों के संघर्ष के मद्देनजर पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस में बडी वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की सदस्यता में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। आज अखिल भारतीय किसान सभा की सदस्यता 1 करोड 36 लाख के ऊपर चली गयी है।

आने वाले संघर्षों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेतृत्व में दिल्ली एवं देश भर में साल भर चले लाखों किसानों का शानदार संघर्ष तब विजयी हुआ जब मोदी नेतृत्व वाली भाजपा–आरएसएस की केंद्र सरकार को तीन कुख्यात कृषि कानूनों को नवम्बर 2021 में निरस्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह न केवल किसानों की बल्कि देश की जनता की ऐतिहासिक जीत थी। यह एक हिंसक, अधिनायकवादी और सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ उल्लेखनीय रूप से शांतिपूर्ण, जनतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष संघर्ष की जीत थी। इस संघर्ष के दौरान 715 किसान शहीद हुए थे। भारत और दुनिया ने किसानों का इतना बड़ा और लंबा संघर्ष पहले कभी नहीं देखा था।

इन किसान–विरोधी, जन–विरोधी और कॉर्पोरेट–पक्षीय कृषि कानूनों का उद्देश्य अंततः न्यूनतम समर्थन मूल्य (डैच) व्यवस्था, 'मंडी' प्रणाली, खाद्यान्न की सरकारी खरीद को कमजोर करना तथा इस प्रकार संपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (च्वै) को ख़त्म करना था। जो भारत के 81 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करती है। यह कानूनों धीरे–धीरे किसानों को उनकी ही भूमि से भी बेदखल कर देते। इन कृषि कानूनों के पीछे का उद्देश्य पूरे कृषि क्षेत्र को घरेलू व विदेशी कॉर्पोरेट लॉबी को सौंपना था।

28–29 मार्च 2022 को, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) ने उपरोक्त कुछ मुद्दों पर दो दिवसीय देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया था। जिसे जबरदस्त समर्थन मिला और देश भर में कई करोड़ मजदूरों और कर्मचारियों ने सभी काम धंधों को ठप्प कर दिया। मजदूर–किसान एकता की सच्ची भावना के साथ सीटीयू ने साल भर चले किसानों के संघर्ष को सक्रिय रूप से समर्थन दिया था। इसी तरह, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने मजदूरों की दो दिवसीय आम हड़ताल का सक्रिय रूप से समर्थन किया और लाखों किसानों ने उन दिनों ग्रामीण बंद का आयोजन किया। यह याद किया जाना चाहिए कि मजदूर वर्ग की आम हड़ताल और उसी दिन किसानों की 'चलो दिल्ली' के आह्वान पर "मजदूर–किसान एकता जिंदाबाद" के जोरदार नारों के साथ, 26 नवंबर 2020 को ही साल भर चले किसान संघर्ष की शुरुवात हुई थी।

जबकि किसानों की इस ऐतिहासिक जीत का हमारे देश तथा दुनिया में व्यापक रूप से स्वागत किया गया, पर किसानों और लोगों के कई महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी बाकी हैं। इन में शामिल हैं:

- एमएसपी की कानूनी गारंटी और उत्पादन की कुल लागत के डेढ़ गुना (सी2 + 50प्रतिशत) पर कृषि उपज की खरीद, जैसा कि डॉ एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सिफ़ारिश की गई है।
- कृषि में बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे आदानों की कीमतों में भारी कमी।
- डीजल और पेट्रोल पर केंद्र सरकार के अधिभार/उपकर को तत्काल हटाना, रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बहाल करना, और भारी कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करना।
- बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेना जो न केवल किसानों के लिए बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए भी बिजली की दरें बढ़ाएगा।
- किसानों को एकमुश्त कर्ज़ा माफी। नव–उदारवादी नीतियों के पिछले 25 वर्षों में ऋणग्रस्तता के कारण चार लाख किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए हैं, तथा इन में से भी एक लाख ने पिछले आठ वर्षों में अकेले भाजपा सरकार के शासनकाल के दौरान अपना जीवन समाप्त कर लिया है। ।
- मनरेगा के तहत खेत मजदूरों के लिए काम के दिनों और मजदूरी को दोगुना करना, और देश भर में बेरोजगारी में भारी वृद्धि को देखते हुए एक नया शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू करना।
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का आमूलचूल पुनर्गठन करने की जरुरत, जो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप संकट झेल रहे किसानों की कीमत पर, केवल कॉर्पोरेट बीमा कंपनियों को मदद पंहुचा रहा है।
- कृषि में सस्ते कर्ज़, सिंचाई, बिजली और विस्तार सुविधाओं का विस्तार।
- 14 आवश्यक वस्तुओं को शामिल करते हुए इसे सार्वभौमिक बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और विस्तार।
- कोविड महामारी के मद्देनज़र पूरे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं में सुधार और विस्तार करना तथा व्यावसायीकरण, केंद्रीकरण और साम्प्रदायिकरण के साथ त्रिस्तरीय हमला कर रही नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए।
- क्रान्तिकारी भूमि सुधार और भूमिहीन खेत मजदूरों, गरीब और सीमांत किसानों को भूमि का पुनर्वितरण; वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का सख्त कार्यान्वयन।
- बेलगाम निजीकरण अभियान के ज़रिये घरेलू और विदेशी कॉर्पोरेटों को देश का बेचना बंद किया जाए, चार मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं का निरसन किया जाए।

आने वाले महीनों का उपयोग हम सभी को अपने संघर्षों, अपने संगठन और अपने राजनीतिक प्रभाव को कई गुना बढ़ाने के लिए करना होगा! मनुवादी कॉर्पोरेट सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में देश के हर किसान सभा कार्यकर्ता और इकाई को पूरी ताकत के साथ शामिल होना होगा। □

आजादी की 75वी सालगिरह
तमाशा वे दिखा रहे हैं जो तमाशबीन भी न थे

– बादल सरोज

विडम्बनाओं के इतिहास बने या न बने इतिहास में विडम्बनाये अक्सर आती जाती रहती हैं और यदाकदा खुद को दोहराती भी रहती हैं। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगाँठ का मुबारक मौके पर दिख रही विसंगति इसका एक ताजा उदाहरण है – यहां आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का तमाशा वे दिखा रहे हैं जो भारत की जनता द्वारा लड़ी गयी आजादी की महान लड़ाई में तमाशबीन भी नहीं थे – उसकी सुप्त कामना भी उनके मन में नहीं थी। अलबत्ता सारे दस्तावेज गवाह हैं कि वे और उनके पुरखे इस महान स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ थे ; 190 वर्ष भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजी राज के चाकर और ताबेदार थे।

जिस संगठन – आरएसएस – का निर्माण ही आमतौर से 1857 और खासतौर से प्रथम विश्वयुद्द के बाद के काल के जनांदोलनों में बनी और रौलट एक्ट, असहयोग, खिलाफत से मजबूत हुयी विभिन्न धर्मावलम्बियों खासकर हिन्दू मुस्लिम फौलादी एकता को तोड़ने के मकसद से हुआ है ; जो संगठन जोतिबा फुले के सत्यशोधक समाज के जबरदस्त आंदोलन और तेजी से उभरे दलित जागरण से "हिन्दू समाज की रक्षा" के लिए इटली के मुसोलिनी से गुरुमंत्र और जर्मनी के हिटलर से प्रेरणा लेकर आया हो ; जिसका भारत की आजादी की लड़ाई में रत्ती भर का योगदान नहीं हो, आज वही आजादी के अमृत महोत्सव के बहाने खुद के चेहरे पर पुती कालिख को जगमग सफेदी बताने की असफल कोशिशों में जुटा है। मगर कालिख इतनी गाढ़ी है कि सारे तामझाम के बावजूद धुल नहीं रही।

ऐसा नहीं कि जतन में कोई कसर है। सारे घोड़े और खच्चर खोल दिए गए हैं। पहले देश की कथित नामचीन हस्तियों – सेलेब्रिटीज – को साम दाम दण्ड भेद से अपनी रेवड़ में दाखिल किया गया। फिर लेनदेन के सौदे के साथ कार्पोरेट्स को साझीदार बनाया – उनकी अंधाधुंध कमाई की एवज में उनके मीडिया के जरिये मोदी को न भूतो न भविष्यतः महामानव साबित करने की अंधाधुंध मुहिम छेड़ी गयी। इससे भी काम नहीं बना तो इसी के साथ पटेल और शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस और अम्बेडकर और न जाने कितने औरों को पिता के रूप में गोद लेने की तिकड़में रचीं। इस बीच इसी के साथ नेहरू, गांधी और कम्युनिस्टों पर झूठे आरोपों का तूफ़ान सा लाकर स्वतंत्रता संग्राम के उन बुनियादी मूल्यों को ध्वस्त करना चाहा – जिनकी बुनियाद पर भारत एक देश बना है। कुपढ़ों के गिरोह को इतिहास बदलने और उसकी जगह झूठा और कल्पित इतिहास रचने के काम पर लगा दिया। करोड़ों फूंक कर झूठ से अधिक खतरनाक अर्धसत्य की कीच फैलाने वाली फिल्मो का ताँता सा लगा दिया। धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों का नारा देने वाले, भारत विभाजन के पहले सिद्धांतकार और खुद को रानी विक्टोरिया की सेवा के लिए उत्सुक तत्पर चाकर के रूप में सदैव हाजिर और प्रस्तुत रहने के माफीनामे लिखने वाले सावरकर को वीर बताने के लिए दुनिया इधर से उधर कर दी। मगर कलंक इतना पक्का चिपका है कि सारे धत्करमों के बावजूद उसे छुड़ाना संभव नहीं हो पा रहा है। छूटे भी तो आखिर छूटे कैसे, आदतें, कारनामे और दिशा वही है तो मुखौटे कितने भी लगा लें शक्ल तो वही रहेगा ना।

कहते हैं कि पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, जन्मजात विकार तो लाख उपाय करने के बाद भी नहीं जाते। आजादी के अमृत महोत्सव के इन स्वयंभू उतसवियों का भी यही हाल है। लड़ाई अंग्रेजों से आजादी

के लिए लड़ी गयी थी – इनके विमर्श और प्रचार में अंगरेजी राज, अंग्रेजों की लूट, डकैती की तरह से हड़पी गयी भारतीय जनता की विराट सम्पदा से चमचमाता ब्रितानी ऐश्वर्य नहीं है। उस जमाने में हुए अत्याचार और नरसंहार नहीं है। भारत को दो सैकड़ा वर्ष पीछे धकेल देने की अंग्रेजों की वह आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक आपराधिक हरकत नहीं है जिसके लिए खुद ब्रिटिश समाज और इतिहासकारो ने कम्पनी और वायसरायों के राज की निंदा और भर्त्सना की है, आज भी कर रहे हैं। उनका पूरा कुप्रचार मुगलों के खिलाफ है। इसे कहते हैं राजा से भी ज्यादा वफादार बनने की शेखचिल्लियाना कोशिश। मगर मसला यहीं तक नहीं है – स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर भाजपा सहित आरएसएस की सारी भुजायें उसी एजेंडे को लागू करने पर आमादा हैं जिसे भारत की जनता की एकता को बिखेरने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें सौंपा था।

मुसलमानों के खिलाफ नफरती अभियान और उनके साथ सरासर गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक बर्ताव सावरकर के उसी द्विराष्ट्रवाद पर अमल है जिसे उस जमाने में बाद में जिन्ना ने लपक लिया था और मौके का फायदा उठाकर अंग्रेज उपनिवेशवादियों ने भारत पर विभाजन थोप दिया था। इसी जहर को आगे तक फैलाने के लिए पिछली बार मोदी ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का आव्हान किया था। जाहिर है इसके माध्यम से दोनों तरफ सूख चुके घाव हरे किए जाएंगे। आठ अप्रैल, 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में जिन दो कानूनों – मजदूरों को बेड़ियों में जकड़ने वाले ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सरकार के विरोध को रोकने के लिए लाये जाने वाले पब्लिक सेफ्टी एक्ट – के लाये जाने के खिलाफ बम फेंके थे उनसे ज्यादा बदतर क़ानून सारे श्रम क़ानून समाप्त करके चार लेबर कोड लाने के जरिये लाये जा चुके हैं। भारतीय जनता के लोकतांत्रिक प्रतिरोध को कुचलने के लिए, सरकार विरोधी आवाजों को खामोश करने के लिए सत्ता के सारे अंग और निकाय झोंके जा रहे हैं। भारत में दो दो अकाल लाने, खेती को बर्बाद कर देने वाली अंग्रेजों जैसी नीतियां अब अमरीकी अगुआई वाले साम्राज्यवाद के कहने पर लाई जा रही हैं। किसानो के ऐतिहासिक

आंदोलन ने इसे फिलहाल भले ठहरा दिया हो, तिकड़में और साजिशें जारी हैं। विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को भी डर लगता था। भारत की जनता ने अपने पैसे से ही उस वक़्त शिक्षा के विस्तार के जरिये खोले थे – संघ भाजपा ठीक अंग्रेजों के दिखाए रास्ते पर चलकर शिक्षा को हर तरह से जनता की पहुँच से बाहर और अंधविश्वासी बना देने के इंतजाम कर रही है। अमृत महोत्सव का तमाशा इसी प्रहसन का एक और अंक है।

निर्लज्ज दीदादिलेरी की हद यह है कि अपने इन आपराधिक कामों में वह तिरंगे सहित राष्ट्रीय प्रतीकों का ही इस्तेमाल कर रही है। वह तिरंगा जिसे आरएसएस ने कभी भारतीय ध्वज नहीं माना, उसके तीन रंगों को अशुभ और उसमे बने चक्र को अभारतीय बताया, जिसे आजादी के बाद के 52 वर्षों तक उसने कभी नहीं फहराया। जिसने भारत के संविधान का विरोध किया और आजाद भारत का राज मनुस्मृति के आधार पर चलाने की मांग की। जिसने स्वतन्त्रता प्राप्ति के दिन 15 अगस्त 1947 को देश भर में काले झण्डे फहराने का आव्हान किया, नाथूराम गोडसे सहित जिससे जुड़े लोगों ने आजादी मिलने के पांच महीनो के भीतर ही महात्मा गांधी की हत्या करवाके स्वतंत्र राष्ट्र को अस्थिर करने की कोशिश की ; आज वही राष्ट्रवाद और देशभक्ति का शोर मचाकर एक कुहासा खड़ा कर देना चाहते हैं। ताकि इस कुहासे की आड़ में में देश और जनता की सम्पत्तियों की देसी विदेशी धनपिशाचों द्वारा लूट और भारत को मध्ययुग में धकेलने के कुचक्र रचे जा सकें।

अच्छी बात यह है कि भारत की जनता के विराट बहुमत ने इस विडम्बना को समझना शुरू कर दिया है। मगर सारे संचार और प्रचार तंत्र पर इसी गिरोह के एकांगी वर्चस्व के चलते यह काम आसान नहीं है। यूं भी "सच जब तक जूते के फीते बांध रहा होता है तब तक झूठ पूरे शहर में घूम आया होता है" की कहावत से सीखकर असली सच को जोरशोर से जनता में ले जाने की जरूरत है। देश की मेहनतकश जनता के करीब तीन करोड़ सदस्यता वाले तीन प्रतिनिधि संगठनो अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने इस जरूरत को समझा है और आजादी की 75वीं सालगिरह के पखवाड़े में स्वतन्त्रता आंदोलन में आरएसएस की गद्दारी को जनता के बीच ले जाने का अभियान चलाने का फैसला लिया है।

वर्ष 1947 में अगस्त महीने की 14 तारीख की रात 12 बजे आजादी का एलान करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने "नियति के साथ करार" (ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी) के नाम से प्रसिद्द भाषण में कहा था कि "आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, वो महज एक कदम है, नए अवसरों के खुलने का, इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या हममें इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें?" वे इसे और ठोस रूप देते हुए बोलते हैं कि ; "भारत की सेवा का अर्थ है लाखों–करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आँख से आंसू मिट जाएँ। शायद ये हमारे लिए संभव न हो पर जब तक लोगों की आँखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा।"

और यह भी कि "भविष्य हमें बुला रहा है। हमें किधर जाना चाहिए और हमारे क्या प्रयास होने चाहिए, जिससे हम आम आदमी,किसानो और कामगारों के लिए स्वतंत्रता और अवसर ला सकें, हम गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों से लड़ सकें, हम एक समृद्ध, लोकतान्त्रिक और प्रगतिशील देश का का निर्माण कर सकें, और हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना कर सकें जो हर एक आदमी–औरत के लिए जीवन की परिपूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सके।"

इस आजादी और इस भाषण दोनों की 75 वी सालगिरह के दिन देश के मजदूर किसान यह पड़ताल करेंगे कि उस रात भाषण में जो कहा गया था वह कितना हुआ ? नहीं हुआ तो क्यों ? और अब होगा तो कैसे?

शायर फ़ज़ल ताबिश ने कहा था कि; "रेशा रेशा उधेड़कर देखो, रोशनी किस जगह से काली है। " स्वतन्त्रता की 75 वी सालगिरह के मौके पर फैलाई जा रही कृत्रिम चकाचौंध में अपने अपराधों को छुपाने की कोशिश करती कालिमा के रेशे रेशे को उधेड़ कर ही अन्धेरा लाया और बचाया जा सकता है।

मजदूर किसानो के यह तीनो संगठन पखवाड़े भर के अभियान के बाद 14 अगस्त 2022 की रात 12 भारत के मजदूर किसान शहीदे आज़म भगत सिंह के कहे कि ''मैं ऐसा भारत चाहता हूं जिसमें गोरे अंग्रेजों का स्थान हमारे देश के काले दिलों वाले भूरे या काले–अंग्रेज न लें। मैं ऐसा भारत नहीं देखना चाहता जिसमें सरकार और उसे चलाने वाले नौकरशाह व्यवस्था पर प्रभावी बने रहें।" को दोहराते हुए संकल्प लेंगे कि इस लक्ष्य को हासिल करने के मंसूबे बनाएंगे। कुल जमा ये कि स्वतन्त्रता के 75 वे साल में "हम भारत के लोग" उन्हें बेनकाब करेंगे जो तब भी उपनिवेशवाद और जुल्मियों के साथ थे, आज भी साम्राज्यवाद और कूढ़मगजी के साथ हैं। □

वामपंथी विकल्प केरल के किसानों और कृषि के लिए आशा पैदा करता है...

– अखिल के एम तथा विजू कृष्णन

पिछले तीन दशकों से भारत में सामान्य धारणा यह रही है कि कृषि अब किसानों के लिए व्यावहारिक विकल्प का क्षेत्र नहीं है। नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के शुरू होने पर यह देखा गया कि राज्य द्वारा धीरे–धीरे सार्वजनिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के खर्च में कटौती की गयी । कृषि व्यवसायियों के इशारे पर लागत पर से नियंत्रण का हटना, कीमतों और मूल्य नियंत्रणों को हटाने के साथ–साथ सब्सिडी में कटौती के कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई, जो केवल व्यापारियों के लाभ को ज्यादा से ज्यादा करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। वित्तीय उदारीकरण ने किसानों के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण की उपलब्धता को कम किया। व्यापार उदारीकरण और आयात कर और शुल्कों को हटाने के साथ–साथ मात्रात्मक प्रतिबंधों के कारण सस्ते कृषि उत्पादों की डंपिंग हुई, परिणामस्वरूप मूल्य में भयानक कमी आई। विश्व बाजार की कीमतों की अस्थिरता ने किसानों पर मूल्यों में गिरावट का बोझ भी डाला, जबकि इसी दौरान कॉर्पोरेट कंपनियों ने कभी न खत्म होने वाले मुनाफे के असीमित प्रवाह को देखा। इस परिदृश्य ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां किसान कर्ज में धकेल दिए गए और संकट में फंसे लाखों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्ष 2006 में जब केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने सत्ता संभाली थी, उससे पहले वहाँ भी यही स्थिति थी ।

केरल एक अनोखा उदाहरण है, जहां वाणिज्यिक फसलों जैसे मसाले, काजू, नारियल, सुपारी, कोको, चाय, कॉफी और रबर की फसलों का उत्पादन कुल कृषि उत्पादन के अस्सी प्रतिशत से अधिक है। राज्य में धान एक अन्य प्रमुख फसल है, लेकिन राज्य अपनी जरूरतों के बड़े हिस्से की पूर्ति के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहता है। वायनाड, इडुक्की और अन्य जिलों में कई आत्महत्याएं देखी गई थीं क्योंकि श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते में चाय, कॉफी और मसालों के सस्ते आयात के कारण केरल में किसानों के लिए कीमतों में गिरावट आई थी। केरल कृषक संघम (एआईकेएस) द्वारा निर्मित संयुक्त संघर्षों ने किसानों के सभी संगठनों के साथ रैली की और ऋण राहत की मांग को सही ढंग से व्यक्त किया और एक ऋण राहत आयोग की स्थापना की।

कॉम. वी.एस. अच्युतानंदन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार ने 2006 में कृषि के लिए त्रिस्तरीय रणनीति के साथ कृषि संकट को दूर करने की कोशिश की। इस रणनीति का उद्देश्य किसानों को कर्ज में तत्काल राहत प्रदान करना, कृषि कीमतों को स्थिर करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था। इसने ऋण राहत आयोग की स्थापना की और किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के राहत कार्यों को अंजाम दिया। ऋण राहत आयोग ने किसानों के ऋण माफ किए और उन्हें कर्ज के जाल से बचाया। किसान आंदोलन ने उत्पादन में हस्तक्षेप के लिए किसानों को सामूहिक रूप से संगठित करने की आवश्यकता को भी व्यक्त किया – लागत के उपयोग का अनुकूलन, उत्पादन की लागत को कम करना, और उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में हस्तक्षेप के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि उपज को लाभकारी मूल्य मिले और किसानों को उत्पन्न अधिशेष का एक हिस्सा भी मिले। कई पहल 2006, 2016 और 2021 में सत्ता में आई तीन एलडीएफ सरकारों के दौरान लिया गया था। इस दौरान किए गए हस्तक्षेपों ने सुनिश्चित किया कि किसानों को उस अंधकारमय परिदृश्य से निकाला जा सकता है जिसमें उन्हें धकेला गया था। जिन क्षेत्रों में किसान आत्महत्या की अधिकता थी वहां के कृषकों के चेहरे पर मुस्कान वापस आई।

कृषि को व्यवहार्य और लाभकारी बनाना

कृषि आय में गिरावट का एक प्रमुख मुद्दा यह है कि उत्पादन की लागत में लगातार वृद्धि के साथ साथ लागत की कीमतों में वृद्धि हो रही है और कृषि उत्पादों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे कृषि अव्यवहारिक हो रही है। कृषि को एक लाभकारी कैसे बनाया जाए? यह एक ऐसा मामला है जिसे विभिन्न वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकारों ने उच्च प्राथमिकता पर रखा है। सब्सिडी वाले इनपुट प्रदान करके उत्पादन लागत को कम करना, उच्च उपज वाली किस्मों के साथ उत्पादकता बढ़ाना, लाभकारी कीमतों पर खरीद सुनिश्चित करना और प्रसंस्करण, मूल्य–वर्धन के माध्यम से उत्पन्न अधिशेष के हिस्से की उपयुक्तता बढ़ाना और विपणन इस तरह से हो कि किसानों को उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक मिलने का आश्वासन हो, केवल स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद ही किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित हो सकती है।

चावल केरलवासियों का मुख्य भोजन है, लेकिन केरल को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ा क्योंकि धान की भूमि के लुप्त होने के साथ–साथ खेती के तहत आनेवाले क्षेत्र सिकुड़ने के कारण इसकी उत्पादकता में कमी का सामना करना पड़ा था। 2006 में एलडीएफ सरकार ने पाया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के रूप में अधिकतम समर्थन मूल्य खेती की उच्च

लागत और कम पैदावार को देखते हुए केरल के किसान के लिए लाभ सुनिश्चित नहीं करेगा। धान का केंद्र निर्धारित एमएसपी 570 रुपये / क्विंटल था, एलडीएफ सरकार ने 2006 में 707 रुपए/क्विंटल और 2011 तक यह बढ़कर 1,400 रुपये/क्विंटल हो गया, जबकि उस समय केंद्र द्वारा निर्धारित एमएसपी केवल 1000 रुपये/क्विंटल था। केंद्र द्वारा घोषित 2020–21 फसल वर्ष के लिए धान के लिए एमएसपी 1868 रुपये/क्विंटल था, जबकि केरल में, धान की खरीद 2800 रुपये प्रति क्विंटल थी। 2006 के बाद धान की खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया था। नवीनतम बजट में इसे बढ़ाकर 2820 रुपये/क्विंटल कर दिया गया है, जबकि केंद्र द्वारा तय किया गया, एमएसपी मात्र 1940/क्विंटल है, 2020 में धान की खेती करने वालों के लिए पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में धान के खेतों द्वारा किए जा रहे योगदान की भूमिका को देखते हुए 2000 रुपये/हेक्टेयर की रॉयल्टी की घोषणा की गई थी, जिसे नवीनतम बजट में बढ़ाकर 3000 रुपये/हेक्टेयर कर दिया गया है। 2008 में केरल में धान के खेतों को अन्य उद्देश्यों के लिए रूपांतरण से बचाने के लिए उनके संरक्षण के लिए धान भूमि और आर्द्रभूमि अधिनियम पारित किया गया था। धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए परती भूमि के उपयोग को प्रोत्साहित करने, महिला स्वयं सहायता समूहों, कुडुम्बश्री आदि को पट्टे की अनुमति देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए थे। 2021–22 में धान की खेती के विकास के लिए 116.14 करोड़ रुपये का बजट अलग रखा गया है। सुभिक्षा केरलम के तहत परती भूमि में धान की खेती के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। सक्रिय भागीदारी के साथ चावल की परती खेती को टिकाऊ खेती के तहत लाया जाएगा और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREG), कुडुम्बश्री, PACS/FPO और LSGD संस्थानों का उपयोग किया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 3. 42 लाख महिला किसान संस्थाओं कुडुंबश्री 74640 व्यक्तियों संयुक्त दायित्व समूहों द्वारा भूमि जोतने के लिए पट्टा दिया गया है और वे 33,259 हेक्टेयर में धान और सब्जियों की खेती के लिए लगाए गए हैं। इन नीतियों के परिणामस्वरूप, राज्य में धान की खेती 1.7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2.3 लाख हेक्टेयर हो गई है।

इस किसान–केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप, राज्य सरकार द्वारा और ग्राम पंचायतों के माध्यम से किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी पूरे भारत में अपने आपमें इकलौती है। 2020 में सब्सिडी को खेती के खर्च के रूप में संशोधित किया गया, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, रोपण सामग्री जैसे इनपुट शामिल थे। जैसा कि श्रम और सिंचाई में तेजी से वृद्धि हुई है। कुछ फसलों (प्रति हेक्टेयर) के लिए सब्सिडी इस प्रकार हैः धान (एक वर्ष में एक फसल) 22,000/– रुपये, सब्जियां 25,000/– रुपये ठंडी मौसम सब्जियां रुपये 30,000/– दालें– 20,000/– टैपिओका और अन्य कंद– 30,000/– रुपये और केले 30,000/–। परती भूमि को धान की खेती में बदलने के लिए प्रोत्साहन भी हैं, उदाहरण के लिए, करीवेलूर–पेरालम ग्राम पंचायत एक देती है 17,000/हेक्टेयर की सब्सिडी। किसानों की मदद के लिए प्रत्येक पंचायत की समान योजनाएं और अलग–अलग सब्सिडी हैं। नवीनतम बजट में राज्य में धान की खेती के विकास के लिए 76 करोड़ आवंटित किए गए थे। 50 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी क्रय करना समूहों को कृषि उपकरण और मशीनरी। सब्जियों की खेती में हस्तक्षेप के लिए इस वर्ष 39 करोड़ आवंटित किए गए थे जबकि पिछली बार 19 करोड़ आवंटित किए गए थे। 2015–16 की तुलना में, केरल में सब्जी उत्पादन 2018 में 6.5 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 12.12 लाख मीट्रिक टन हो गया। –19, जो बाद में 2020 में बढ़कर 15 लाख हो गया और पिछली एलडीएफ सरकार की अवधि के दौरान 3.5 लाख टन सब्जियों की वृद्धि दर्ज करते हुए खेती को 24,000 हेक्टेयर तक बढ़ा दिया गया।सरकार ने 78 लाख सब्जी बीज किट और 248 लाख पौधे मुफ्त में वितरित किए लागत और वर्षा आश्रयों और ड्रिप सिंचाई सुविधाओं जैसे अन्य समर्थन दिए। उत्पादित सब्जियों का एक बड़ा हिस्सा कीटनाशक मुक्त था, किसान सभा जैसे संगठनों ने उनकी खेती में बड़ी भूमिका निभाई थी। पिछली एलडीएफ सरकार ने 16 सब्जियों और फलों के लिए आधार मूल्य की घोषणा की थी। यह देश में अपनी तरह की पहली पहल थी।उत्पादन लागत प्लस 20þ की गणना करके आधार मूल्य तय किया गया है। राज्य कृषि मूल्य बोर्ड द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार प्रति किलोग्राम आधार मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया है – टैपिओका 12 रुपये, केला 24–30 रुपये, अनानास 15 रुपये, राख 9 रुपये, ककड़ी 8 रुपये, करेला 30 रुपये, सांप लौकी 30 रुपये, स्ट्रिंग बीन्स 34 रुपये, टमाटर 8 रुपये, भिंडी 20 रुपये, गोभी 11 रुपये, गाजर 21 रुपये, आलू 20 रुपये, बीन्स 28 रुपये, चुकंदर 21 रुपये और लहसुन 139 रुपये।

विशेष रूप से, जब ब्व्टप्क महामारी ने किसानों के लिए तीव्र संकट पैदा किया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने उनकी दुर्दशा के प्रति असंवेदनशील उदासीनता बनाए रखी, जबकि उनके कॉर्पोरेट साथियों के लिए भारी रियायतें दीं, एलडीएफ सरकार ने स्पष्ट बयान दिया कि उनकी प्राथमिकता कहाँ है। मूल्यवर्धन और विपणन प्रसंस्करण के लिए कृषि, खाद्य सुरक्षा और सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए 2020–21 में सुभिक्षा केरलम नामक एक परियोजना की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य खाद्य कमी से मुकाबला करना है और केरल राज्य कृषि विभाग ने परती भूमि को खेतों में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। इसके लिए लगभग 25,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना का प्राथमिक कार्य खाद्य उत्पादन में राज्य की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है जिसे विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से लागू किया जाता है और लोगों की

भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है। को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और सहायता प्रदान की जा रही है खेती विशेष रूप से बंजर भूमि में। केरल में पहले से ही कूपर का एक नेटवर्क है राज्य भर में सक्रिय बैंक वामपंथी अपने संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। 13 जिला सहकारी बैंकों को मिलाकर केरल बैंक या केरल सहकारी बैंक की स्थापना से भी किसानों को बहुत आवश्यक मदद मिल रही है। हाल ही में इसने एक ऋण बढ़ाया है कुक्कुट किसानों को 51 करोड़ रुपये की सहायता से 2000 पोल्ट्री फार्म स्थापित करने में सहायता के लिए 1.5 लाख रुपये तक बिना किसी संपार्श्विक के और 4 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ। किसान सभा ने प्रसंस्करण के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की भी पहल की है। ,मूल्यवर्धन और विपणन। यहां तक कि पहले उल्लेख किए गए मुक्त व्यापार समझौतों के साथ–साथ भारत–आसियान एफटीए ने वाणिज्यिक फसलों की कीमतों में गिरावट का कारण बना दिया है, एलडीएफ सरकार ने किसानों की रक्षा, कीमतों को स्थिर करने और बेहतर कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। एक नई कंपनी को बुलाया गया केरल एग्रो बिजनेस कंपनी की कल्पना मूल्य वर्धित कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए की गई है और कंपनी के पूंजी निवेश के लिए 100 करोड़ की प्रारंभिक राशि आवंटित की गई थी। बहुफसली कृषि फार्मों को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना के साथ–साथ 100 करोड़ रुपये आवंटित कर 10 फूड पार्कों की भी कल्पना बजट में की गई थी।रबर किसानों की सुरक्षा के लिए नवीनतम बजट में 500 करोड़ रुपये अलग रखे गए थे।

केरल जनता के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अग्रणी रहा है। इसने पहले केरल कृषि श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना की है और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगे किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसान कल्याण कोष बोर्ड या केरल कृषक क्षेमनिधि बोर्ड का गठन किया है। किसानों को भी पेंशन और वित्तीय सहायता दी जाएगी।अभी दी जाने वाली पेंशन 1600 रुपये प्रति माह है और एलडीएफ ने इसे बढ़ाकर कम से कम 2,500 रुपये प्रति माह करने की परिकल्पना की है।

केरल में कुल कृषि भूमि लगभग 25.69 हेक्टेयर है। जिसमें खाद्य फसल की खेती की मात्रा 11.03 प्रतिशत है। उठाए गए विभिन्न कदम खाद्य फसल की खेती के तहत क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करेंगे। केरल को प्रतिदिन 87 लाख लीटर दूध की आवश्यकता है। आवश्यकता का 95 प्रतिशत से अधिक उत्पादन केरल में ही होता है। राज्य में उत्पादन सहकारी मिल्मा के पास लगभग 3,400 दुग्ध सहकारी समितियों में लगभग 10 लाख डेयरी किसान हैं। गुणवत्ता के आधार पर किसानों को रु.35/– से रु. 42/– प्रति लीटर दूध, विभिन्न प्रोत्साहनों के साथ, जैसे कि केंद्रित पशु–चारा प्रदान करना, जिसकी कीमत 1345/50 किलोग्राम बैग है। हरी घास / चारा। सरकार ने मवेशियों के लिए टीकाकरण और बीमा सुनिश्चित करने में भी हस्तक्षेप किया। फसल बीमा योजना जो 1995 से चल रही थी, जिसमें उगाई गई 25 प्रमुख फसलों को शामिल किया गया था, जिसे 2016–17 में पुनर्गठित किया गया था। फसल हानि के लिए आक्रोश। फसल बीमा कोष का संचालन पंजीकरण शुल्क और प्रीमियम और सरकारी अंशदान के रूप में भाग लेने वाले किसानों के योगदान से किया जाता है। मौजूदा फसलों के अलावा, लघु फल, मधुमक्खी पालन और फूलों की खेती को भी योजना के तहत शामिल किया जाएगा। एक राशि 2021–22 के दौरान इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। केरल सरकार भी केरल में शहरी खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की योजना बना रही है। हरित नगरी (ग्रीन सिटी) परियोजना को शहरों में लागू किया गया था।

2021 में केरल में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों ने 2020 में 8. 38 से 9.44 की वृद्धि दर्ज की। एलडीएफ सरकार कृषि क्षेत्र में खर्च में वृद्धि की कल्पना करती है। भले ही भाजपा सरकार कृषि में निवेश से हट रही हो, केरल ने एक अलग विकल्प चुना है जिसके तहत यह घोषणा की है कि दृढ़ता से किसानों और कृषि श्रमिकों के साथ है। इसने भाजपा सरकार द्वारा लाए गए तीन किसान विरोधी अधिनियमों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ–साथ सहकारी समितियों के माध्यम से प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, विपणन को मजबूत करने की मांग कर रहा है। इन नीतियों ने राज्य में और कृषि संकट और आत्महत्याओं के एक अंधकारमय अतीत से एक परिवर्तन का नेतृत्व किया है। वाम विकल्प ने केरल में किसानों और कृषि के लिए आशा पैदा की है। एक नया आत्मविश्वास जगा है और केरल के उदाहरण से अन्य राज्यों द्वारा महत्वपूर्ण सबक सीखे जा सकते हैं। □

कृषि के सवाल में का० सुंदरैया की रुचि हमेशा बनी रही

– बी वी राघवुलु

पुत्चलपल्ली सुंदरैया ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके सैद्धांतिक प्रयास हमेशा व्यवहार से जुड़े रहे। अध्ययन के लिए उन्होंने जो भी विषय चुना, फिर चाहे वह कृषि संबंधों की उनकी पड़ताल रही हो या फिर साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र के घटनाविकास, वह हमेशा व्यवहार की फौरी जरूरतों से जुड़ा रहा।

सुंदरैया ने ठोस सामाजिक आर्थिक हालात के अध्ययन को सर्वप्रमुख महत्व दिया। व्यापक आंकड़ों तथा अन्य किस्म के प्रमाणों समेत व्यापक सूचनाओं की पड़ताल के बिना, वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पंहुचते थे। उनके तर्क हमेशा तथ्यों पर आधारित होते थे। यही वजह है कि अपने पूरे जीवन में वह एक शोधकर्ता और छात्र बने रहे। हर छोटे–छोटे ब्यौरे पर उनकी नजर होती थी। आम लोग क्या कह रहे हैं, इस पर वह हमेशा पूरा ध्यान देते थे। वह हमेशा एक बड़ी सी नोटबुक अपने पास रखते थे, जिसमें वे काम की हर सूचना को दर्ज कर लेते थे। वे जहां से भी मिलें तथ्य और आंकड़े एकत्रित करते रहते थे, ताकि बाद में वे उनका इस्तेमाल कर सकें। इस नोटबुक को रखने के लिए उनकी कमीज में एक बड़ी सी जेब होती थी।

कृषि के सवाल पर उन्हें विशेषज्ञ माना जाता था। कृषि संबंधों के अध्ययन में उनकी रुचि पूरी जिंदगी बनी रही।

अपने बचपन से ही सुंदरैया सामाजिक बदलाव लाने में गांव की भूमिका को समझ गए थे। अपने राजनीतिक जीवन के एकदम शुरूआत में ही वह इस निष्कर्ष पर पंहुच गए थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझे बिना, देश में सामाजिक बदलाव लाना संभव नहीं है। उनका मानना था कि गांव को समझना, देश को समझने के बराबर है। इसीलिए, 1929 से 1934 तक उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त अपने पैतृक गांव में मेहनतकश अवाम के बीच गुजारा था।

गांव में उन्होंने जाति प्रथा का अध्ययन किया, जो सामाजिक दमन की मूल वजह थी और उन्होंने उसके खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने बहुत नजदीक से पितृसत्तात्मक संबंधों को देखा, जो गांव में व्याप्त थे। उन्होंने देखा कि हर परिवार में महिलाओं का दर्जा असमान ही है। उन्होंने महिलाओं की समानता के महत्व को समझा। उन्होंने बहुत गौर से ग्रामीण गरीबों के आर्थिक शोषण के रूपों को देखा।

उन्होंने यह नोट किया कि कैसे खेतमजदूरों को, कमतर नाप के बर्तनों में उनकी मजदूरी का भुगतान किया जाता है और कैसे दलितों को दूसरों से कम मजदूरी दी जाती है और किराने आदि की दुकानों में उनसे ज्यादा दाम वसूल किया जाता है। सुंदरैया ने यह समझा कि जमीन की मिल्कियत और शोषणकारी तथा दमनकारी सामाजिक संबंधों के बीच, बहुत गहरा संबंध है और यह समझ उन्हें अपने गांव के इन अनुभवों से ही सबसे पहले मिली थी।

अपने बचपन के दिनों में खेतों में काम करनेवालों के साथ उन्होंने मेल–जोल कायम कर लिया था और वे उन्हें अपनी जीवन स्थितियों और उन वंचनाओं के बारे में बताते थे, जिनसे उन्हें गांव के भूस्वामियों तथा धनी किसानों के हाथों गुजरना पड़ता था। उनके वर्गीय दृष्टिकोण में बदलाव लाने में इस सबने बड़ा प्रभाव डाला और गरीब किसानों तथा खेतमजदूरों की ओर से एक मांग पत्र तैयार करने में उनकी मदद की।

उन्होंने पूरी गहराई से पूरी समस्या का अध्ययन किया और उन्होंने किसानी के वर्गीकरण के लिए और किसानी के उन वर्गों की पहचान के लिए जिन्हें सामंतवाद के खिलाफ हमारे संघर्ष से जोड़ा जाना चाहिए, सिद्धांत सूत्रबद्ध किए। आंध्र में इस तरह का वर्गीकरण पहली बार किया गया था। वर्ष 1937 में उन्होंने न्यू एज में एक लेख लिखा। राजस्व रिकार्डों के आधार पर लिखे गए अपने इस लेख में उन्होंने आंध्र के तटीय जिलों में व्याप्त पूरी वर्गीय हायरार्की (पदानुक्रम) की विस्तार से जानकारी दी थी।

इस लेख में संयुक्त पट्टों के मुद्दे पर चर्चा की गयी थी और बताया गया था कि किसान भूस्वामियों को कितना माल (किराया) दे रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धांत को लागू करते हुए, किसान समुदाय का एक व्यापक वर्गीकरण किया गया था। इस लेख में कृषि के क्षेत्र में शोषित–पीडित वर्गों के एक गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया था। उस वक्त उपलब्ध मामूली से राजस्व रिकार्डों का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से यह वर्गीकरण किया गया था, वह उस जमाने में एक असाधारण काम था।

तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के वक्त अपने भूमिगतकाल के दौरान उन्होंने गांवों का दौरा किया और अनेक एरिया कमेटियों से मुलाकात की और मार्क्सवादी सिद्धांतों को लागू करते हुए किसानी के वर्गीय गठन को समझने के लिए एक प्रश्नावली के आधार पर उनसे सूचनाएं एकत्रित कीं। उन सूचनाओं का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने द एग्रेरियन क्वेश्चन एट प्रेजेंट (आज कृषिगत सवाल) शीर्षक से एक पैना लेख

लिखा जो जनता में प्रकाशित हुआ।

1950 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर कृषिगत मुद्दों पर बड़ी सघन बहस चली थी। सुंदरैया उन अनेक प्रमुख नेताओं में सबसे प्रमुख थे, जिन्होंने इस बहस में भाग लिया कि पार्टी की कृषि नीतियों को कैसे सूत्रबद्ध किया जाए। वह उस सब–कमेटी के सदस्य थे, जिसने कृषि नीति के दस्तावेज का मसौदा तैयार किया था, जिसे अंततरू 1954 में केंद्रीय कमेटी ने अवर टास्क्स अमंग द पीजेंट मासेज (किसान जनता के बीच हमारे काम) शीर्षक दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने 1958 में कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय काउंसिल द्वारा स्वीकार किए गए च्वसम आस्पेक्ट्स ऑफ द एग्रेरियन क्वेश्चन (कृषिगत सवाल के कुछ पहलू) नामक दस्तावेज को सूत्रबद्ध करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

इस अवधि के दौरान सुंदरैया ने कृषि के सवाल पर काफी शोध किया था। वर्ष 1954 में आंध्र प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा गठित एक कमेटी ने द पार्टीज एग्रेरियन प्रोग्राम इन आंध्रा डिस्ट्रिक्ट्स (आंध्र के जिलों में पार्टी का कृषिगत कार्यक्रम) शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने में सुंदरैया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

वर्ष 1958 में उन्होंने द पार्टी एंड एग्रीकल्चरल लेबर (पार्टी और खेतमजदूर) शीर्षक से एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने खेतमजदूरों के बीच पार्टी के काम में सुधार करने की जरूरत बतायी थी और उन्होंने हमेशा की तरह ही जमीन पर हासिल अपने अनुभवों तथा वहां से एकत्रित सूचनाओं की मदद से, अपना पक्ष रखा था। वर्ष 1958 में उन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म बिलरू सजेशन्स (कृषि सुधार विधेयकरू कुछ सुझाव) शीर्षक से एक और नोट भी लिखा था।

जीवनभर सुंदरैया जमीन पर आधारित अपने अनुभव तथा अध्ययन के तरीके का इस्तेमाल करते रहे, जिसे गांवों में अपने काम के दौरान उन्होंने जज्ब कर लिया था। इस तरीके के इस्तेमाल का एक अच्छा उदाहरण, वर्ष 1974 में आंध्र प्रदेश में दो गांवों के उनके शोध के रूप में देखने को मिलता है, जिस पर 1976 का उनका प्रसिद्ध निबंध द लैंड क्वेश्चन (जमीन का सवाल) आधारित था। उन्होंने अध्ययन के इस तरीके को प्रशिक्षण कक्षाओं में भी इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए 1969 में उन्होंने खेतमजदूर मोर्चे पर काम करनेवाले कार्यकर्ताओं को कृषि में सरप्लस वैल्यू निकालने के विभिन्न तरीकों पर एक लेक्चर दिया था। उनका यह लेक्चर जमीन पर एकत्रित की गयी अनुभवगत सूचनाओं पर आध ाारित था।

क्रांतिकारी आंदोलन के लिए गांवों तथा कृषि संबंधों के महत्व को सुंदरैया ने अपने बचपन में ही समझ लिया था और यह महत्व आज तक बना हुआ है। तब अगर 80 फीसद लोग गांवों में रह रहे थे तो, हमारी 69 फीसद आबादी आज भी गांवों में रहती है (वर्ष 2011 की आबादी)। पिछले छरू–सात दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आए प्रमुख बदलावों के बावजूद, कृषि का महत्व कम नहीं हुआ है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का हिस्सा गिर कर वर्ष 2019 में 15 फीसद रह गया था, लेकिन हमारी दो–तिहाई आबादी अभी भी अपने जीवनयापन के लिए कृषि पर निर्भर है। इसीलिए, कृषि संबंधी अध्ययन अभी भी क्रांतिकारी आंदोलन का निर्णायक पहलू बना हुआ है।

किसी भी दूसरे देश के मुकाबले भारत में कृषि का सवाल न सिर्फ निर्णायक महत्व का राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, बल्कि सबसे ज्यादा विवादास्पद भी बना हुआ है। यह बहुत ही जटिल मुद्दा है। कुछ कारणों के चलते कृषि का सवाल हमारे देश में बेहद जटिल हो गया है। ये कारण इस प्रकार हैंरू हमारे देश का आकार करीब–करीब एक उप–महाद्वीप का होना, कृषि संबंधी विविध तरह के कामों की ऐतिहासिक उत्पत्ति और विभिन्न क्षेत्रों में कृषिगत संबंध, कृषि संबंधी बदलाव औपनिवेशिक शासक द्वारा किए गए, स्वतंत्रोत्तर भारत में बदलाव आधुनिक पूंजीवाद की जरूरतों से संचालित थे और कुछ बदलाव नव–उदारवाद के दौर में हमारी कृषि को विश्व आर्थिक व्यवस्था से जोडने के चलते हुए हैं।

भाजपा की मौजूदा सांप्रदायिक सरकार जिस तरह भारतीयध विदेशी कार्पोरेट क्षेत्र के लिए कृषि क्षेत्र को अनियंत्रित ढ़ंग से खोलने की जोरदार कोशिशों में लगी है, उसके चलते न सिर्फ कृषि संकट और तेज हुआ है बल्कि कृषि संबंधों की गतिकी भी तीखी हुयी है। इस जटिलता ने स्वाभाविक रूप से विविध तरह की सोचों तथा दलीलों को एक उभार दिया है और और साझा देशव्यापी निष्कर्षों तक पंहुचने में भी बाध ाएं उत्पन्न की हैं।

दूसरे तमाम मतभेदों के बावजूद, ज्यादातर वामपंथी इस विचार के हामी हैं कि मूलगामी कृषि सुधारों की जरूरत है, जिनमें जमींदारी का खात्मा भी शामिल है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के समक्ष यह सबसे प्रमुख काम है। लेकिन ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर्विरोधों के महत्व और मूलगामी सामाजिक बदलाव के लिए चलनेवाले संघर्ष में विभिन्न ग्रामीण वर्गों द्वारा अदा की जानेवाली भूमिका को लेकर, विचारों में भिन्नता है।

अगर हमें कृषिगत हालात की जटिलता को समझना है और क्रांतिकारी आंदोलन के लिए इस जटिलता ने जो विभिन्न सवाल खड़े किए है, उनका समुचित उत्तर पाना है, तो ठोस हालात का ठोस अध्ययन करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसा सुंदरैया ने किया, वैसे ही हमें भी कृषिगत संबंधों का और खासतौर से क्षेत्रीय तथा उप–क्षेत्रीय स्तरों पर कृषि संबंधों का अध्ययन करते रहने का काम, निरंतर करते रहना होगा। □

डेयरी, कॉफी और सेब क्षेत्र किसानों की अखिल भारतीय कार्यशालाएं

– पी कृष्णप्रसाद

डेयरी क्षेत्र में किसानों की फसल–वार लामबंदी

अखिल भारतीय किसान सभा और पी सुंदरैया मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पहली अखिल भारतीय डेयरी किसान कार्यशाला 14–15 मई, 2022 को केरल के कोझिकोड में संपन्न हुई। इसमें 17 राज्यों के 71 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन एआइकेएस के अध्यक्ष अशोक ढवले ने किया और एआइकेएस के संयुक्त सचिव वीजू कृष्णन ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। स्वागत समिति के अध्यक्ष और सीपीआइ (एम) के कोझीकोड जिले के सचिव, पी मोहनन मास्टर और केरल के राज्य सचिव संघम पनोली वालसन ने भी अपने विचार रखे।

विभिन्न सत्रों को सुधीर बाबू, दिनेश अब्रोल, विजयम्बा आर, इंद्रजीत सिंह, अजीत नवाले, रंजिनी बसु और निधीश जॉनी विलट ने संबोधित किया। देश भर से आय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला में प्रस्तुत किए गए विभिन्न दस्तावेज, भारत में डेयरी क्षेत्र के विकास की पड़ताल करते हैं, इस क्षेत्र में हो रहे शोषण के स्तर की एक ठोस समझ विकसित करने में मदद करते हैं और संभावित नीति विकल्प की खोज करते हैं। मिल्मा के तहत कोझीकोड डेयरी के दौरे की व्यवस्था की गई, और मिल्मा के मालाबार यूनियन के अध्यक्ष के एस मणि और प्रमुख अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उपयोगी बातचीत हुई।

डेयरी, भारत में सबसे बड़ी एकल फसल है जो वर्तमान में लगभग आठ करोड़ परिवारों को काफी आय प्रदान करती है। पशुधन खेती में लगे श्रम का 70 प्रतिशत, महिला कार्यबल है। ग्रामीण आजीविका के संबंध में डेयरी क्षेत्र, जिसमें भारत पिछले 22 वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है, पूरे देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2019 के अनुसार, 2017–18 में दूध के उत्पादन का मूल्य 7,01,530 करोड़ रुपये (मौजूदा कीमतों पर) था, जो शीर्ष दो खाद्यान्नों, धान–2,72,221 करोड़ रुपये और गेहूं 1,73,984 करोड़ रुपये के कुल मूल्य उत्पादन से अधिक है। भारत के कृषि और संबद्ध क्षेत्र का उत्पादन मूल्य लगभग 28 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसका अर्थ यह है कि दूध का योगदान, कुल मूल्य उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक है।

महामारी ने डेयरी क्षेत्र में एक अभूतपूर्व संकट पैदा किया है और इसने स्पष्टतरू लिंग और जाति के आधार पर छोटे और सीमांत किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया। सामाजिक समर्थन तंत्र के न्यूनतम होने से सबसे निचले सामाजिक तबके से संबंधित महिलाएं और किसान, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए

हैं। उदाहरण के लिए, लॉकडाउन से पहले, महाराष्ट्र में डेयरी किसानों को एक लीटर दूध के लिए 35 रुपये मिलते थे। महामारी के चरम पर, यह घटकर मात्र 18 रुपये रह गया। अनुमान है कि महाराष्ट्र में एक लीटर दूध के उत्पादन की औसत लागत 29 रुपये थी। इस गंभीर स्थिति ने महाराष्ट्र में किसानों को डेयरी क्षेत्र में खरीद और एमएसपी के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। राज्य में किसान वर्ग के अग्रणी संगठित आंदोलन के रूप में एआइकेएस, इस आंदोलन में बहुत सक्रिय था।

एआइकेएस केंद्र को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी महाराष्ट्र जैसे संकट देखे गए। दोनों राज्यों ने खरीद मूल्य 20 रुपये से कम बताया। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों राज्यों में निजी डेयरियों का दबदबा है। यह संकट नवउदारवादी शासन के छिछले दावों पर भी प्रकाश डालता है कि एक विनियंत्रित डेयरी क्षेत्र, छोटे और सीमांत किसानों का पोषण करेगा। हालात पर करीब से नजर डालने से हमें पता चलता है कि नवउदारवादी नीतियां, डेयरी किसानों को असंख्य तरीकों से मार रही थीं, और लॉकडाउन ने इसे तेज कर दिया।

केरल डेयरी कोऑपरेटिव, मिल्मा दूध के लिए 38 रुपये प्रति लीटर देती है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में गाय के दूध की कीमत 17 रुपये से 35 रुपये के बीच है। मिल्मा के लिए ऐसी कीमत देना संभव है क्योंकि दूध की बिक्री से होने वाली आय का 83 प्रतिशत, दूध उत्पादकों के लिए दिया जाता है। दूसरी ओर शेष देश में अधिकांश दूध–उत्पादक किसानों को उत्पादन की लागत नहीं मिल रही है और उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।

निजी डेयरी कॉर्पोरेट कंपनियों के बड़े पैमाने पर प्रवेश और विदेशी डेयरी उत्पादों के आयात से, डेयरी सहकारी समितियों के अस्तित्व के लिए खतरा है। कई विदेशी कंपनियां, भारतीय डेयरी कंपनियों के साथ विलय कर चुकी हैं और आज बाजार पर हावी हैं। डेयरी सहकारी समितियां, अपनी सरकारों से भारी सब्सिडी प्राप्त करने वाली विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती हैं। केंद्र सरकार को साम्राज्यवादी ताकतों के दबाव में दूध और दूध आधारित उत्पादों पर मुक्त व्यापार की अनुमति देकर, भारतीय दूध बाजार के दरवाजे खोलने की अपनी योजना से पीछे हटना चाहिए।

मोदी शासन के नीतिगत निर्णय निजी उत्पादन के ही पक्ष में रहे हैं। यह तब स्पष्ट हुआ जब एनडीए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये के एनीमल हस्बेंडरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एएचआईडीएफ) की स्थापना को मंजूरी दी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में, पहली बार सरकार ने देश में डेयरी और प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए, निजी क्षेत्र के लिए एक विशेष कोष की घोषणा की है। फिक्की की एक रिपोर्ट में यह बात कही गयी। यह इंगित किया गया कि एएचआईडीएफ डेयरी और मांस प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना और निजी क्षेत्र में पशु चारा संयंत्रों की स्थापना और मूल्यवद्र्धन बुनियादी ढांचे की स्थापना में, निवेश को प्रोत्साहित करेगा।च डेयरी क्षेत्र में बड़ी पूंजी का बढ़ता प्रभाव और एकाधिकार– जो हमेशा विदेशी पूंजी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहती है – सहकारी समितियों की कीमत पर किसानों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जैसा कि हमने महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान देखा।

एआइकेएस का मानना है कि डेयरी में वित्त–संचालित कॉर्पोरेट पूंजी की बाजीगरी का मुकाबला करने के लिए वित्तपोषण, उत्पादन और विपणन में उत्पादक सहकारी समितियों की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों की अपर्याप्तताओं पर काम करके, हम एक ऐसा मॉडल विकसित करने का प्रस्ताव करते हैं, जहां औद्योगिक अधिशेष या सरप्लस को प्राथमिक उत्पादकों के साथ साझा किया जाए। अमूल जैसी पारंपरिक और सफल सहकारी समितियां – जो सभी सहकारी समितियों द्वारा दूध की कुल खरीद का 45 प्रतिशत नियंत्रित करती हैं – औद्योगिक अधिशेष को प्राथमिक उत्पादकों के साथ साझा करने में विफल रहती हैं। उचित मूल्य पर दूध की खरीद और आवश्यक पशु चिकित्सा और चारा सहायता प्रदान करके, पारंपरिक सहकारी समितियां, छोटे और मध्यम किसानों के लिए एक खरीद प्रणाली सुनिश्चित करती हैं। डेयरी क्षेत्र में अमूल या मदर डेयरी जैसी राज्य की इजारेदार कंपनियां, अपने अंतर्निहित चरित्र के चलते, किसान–श्रमिक उत्पादक से उसकी पैदावार के रूप में ऋण नहीं ले सकती हैं और उत्पादन की प्रक्रिया में, गुणवत्ता संवर्द्र्घन के प्राथमिक चरण में भी और उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से खाद्य प्रसंस्करण के उच्चतर चरणों में भी, दोनों में उत्पन्न अधिशेष मूल्य का एक हिस्सा प्रदान नहीं कर सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी संरचना फसलों को ऋण के रूप में लेने और प्राथमिक उत्पादकों को कुल उत्पादन में हितधारकों के रूप में मानने के लिए नहीं बनाई गई है। उन्हें सहकारी समितियों की आवरण कंपनियों के रूप में काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है।

कार्यशाला ने आरएसएस–भाजपा की सांप्रदायिक मानसिकता की भी कड़ी निंदा की, जिसने विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से, पशु व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया

(जो ग्रामीण घरेलू आय का 27 प्रतिशत प्रदान करता है)। कार्यशाला ने मांग की कि तुरंत पशु व्यापार बाजार खोले जाएं या संबंधित राज्य सरकारें मवेशियों के लिए बाजार मूल्य का भुगतान करने और उन्हें गौशालाओं में उनकी खरीद तथा उनके पालन की व्यवस्था करें।

कार्यशाला ने केंद्र सरकार द्वारा सभी डेयरी किसानों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया है। केंद्र सरकार सहकारी समितियों और कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा मूल्यवद्र्धित दुग्ध उत्पादों के औद्योगिक अधिशेष का दूध उत्पादकों के साथ, अतिरिक्त मूल्य के रूप में उनसे प्राप्त दूध के अनुपात के अनुसार साझा करने के लिए एक कानून बनाए।

केरल की एलडीएफ सरकार द्वारा अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना (एयूइजीएस) के माध्यम से लागू किया गया मॉडल, शहरी क्षेत्र के सभी डेयरी किसानों को, जो कम से कम दो दूध वाले जानवरों के मालिक हैं और उन्हें दूध देते हैं, प्रति वर्ष 32,400 रुपये का वेतन देता मुहैया कराता है। सहकारी समिति उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करती है। कार्यशाला ने केंद्र सरकार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में संशोधन करके, इस प्रावधान को पूरे देश में विस्तारित करने की मांग की। इससे भारत में डेयरी क्षेत्र और दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि होगी।

कार्यशाला में पी कृष्णप्रसाद, अजीत नवाले, वी एस पद्मकुमार और मोहम्मद अली के साथ समन्वयक और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों और डेयरी सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के साथ, एक संयोजन समिति बनाने का निर्णय लिया गया।

राज्य स्तर पर इसी तरह की कार्यशालाएं जुलाई–अगस्त 2022 में आयोजित की जाएंगी। अखिल भारतीय डेयरी किसान फेडरेशन का गठन, इस क्षेत्र में संघर्ष को आगे बढ़ाएगा।

कॉफी फार्मर्स फेडरेशन के गठन का आह्वान

अखिल भारतीय किसान सभा तथा पी सुंदरैया मेमोरियल ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से गत 11–12 जून को कर्नाटक के विराजपेट में कॉफी किसानों की एक अखिल भारतीय मीटिंग तथा एक सार्वजनिक सेमिनार का आयोजन किया। इस मीटिंग तथा सेमिनार में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के कॉफी किसानों के नेताओं ने, बागान क्षेत्र के ट्रेड यूनियन नेताओं और कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी उद्योग तथा शोध संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर, कॉफी क्षेत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों तथा संभावनाओं पर चर्चा की।

अखिल भारतीय किसान सभा के सहसचिव वीजू कृष्णन ने इस मीटिंग का उद्घाटन किया और अखिल भारतीय किसान सभा की केरल राज्य इकाई के सचिव वालसन पनोली ने अध्यक्षता की। अखिल भारतीय किसान सभा के कर्नाटक राज्य सचिव जी एस बैयारेड्डी ने मीटिंग में शामिल लोगों का स्वागत किया। कॉफी बोर्ड (दक्षिण कोडाकु) ने प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया। कॉफी बोर्ड (उत्तर कोडाकु) के उपनिदेशक बी शिवकुमारस्वामी ने भारत में कॉफी उद्योग के इतिहास, कॉफी की किस्मों और उत्पादन तथा उत्पादकता के मानकों पर, एक पर्चा पेश किया। दुर्गा प्रसाद ने कुर्ग में कॉफी की खेती, जमीन से जुड़े मुद्दों, पर्यावरण तथा मानव–पशु टकराव के विषय को रखा।

सीटू से संबद्ध कर्नाटक राज्य प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेश ने उन चुनौतियों के बारे में बताया जिनका सामना खेतमजदूरों को करना पड़ रहा है। पी सुंदरैया ट्रस्ट के नीतीश जे विल्लांट ने किसानों की अगुवाईवाली उत्पादक सहकारिताओं, पूंजी जुटाने तथा मूल्य संवद्र्धन के लिए तकनीक हासिल करने, प्रोसेसिंग तथा मार्केटिंग और प्राथमिक उत्पादकों के साथ सरप्लस शेयरिंग कैसे की जाए, जैसे मुद्दों पर एक पर्चा पेश किया।

दोपहर बाद के सत्र को कुर्ग प्लांटर्स एसोसिएशन के नेता तथा कॉफी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष बोस मन्नान्ना, तमिलनाडु व्यसायीकल संघम के डी रवींद्रन, केरल कृषक संघम के पी के सुरेश और कर्नाटक प्रदेश रैयत संघम के संयुक्त सचिव, नवीन कुमार ने संबोधित किया।

इसके बाद ब्रह्मागिरी डेवलपमेंट सोसायटी के वायनाड कॉफी डिवीजन के के आर जुबुनु ने वायनाड कॉफी प्रोजेक्ट–फ्रॉम बेरी टू रोस्ट एंड ग्राउंड कॉफी–पर एक प्रेजेंटेशन दिया, जो कि वायनाड कृषि क्षेत्र में नयी चुनौती की दिशा में एक छोटा सा कदम है। अंतिम पर्चा थनाल, केरल के निदेशक सी जयकुमार ने पेश किया, जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वायनाड कार्बन न्यूट्रल ब्रांड से संबंधित था।

दूसरा दिन भी प्रेजेंटेशन से समृद्ध रहा। कॉफी बोर्ड के रिसर्च चेयर अश्विनी कुमार ने अगले 20 वर्षों के लिए कॉफी उद्योग की संभावना पर एक दृष्टि से संबंधित प्रेजेंटेशन दिया।

एग्री बाजार के डावे चेरीवुल्ला ने गुणवत्तापूर्ण कॉफी उत्पादन, उत्पादन विविधता, खरीद तथा मूल्य संवद्र्धन और बदलते बाजार तथा उपभोक्ताओं पर प्रेजेंटेशन दिया।

पी कृष्णाप्रसाद ने नीतिगत परिप्रेक्ष्य, मांग पत्र तथा कार्रवाई की भविष्य की योजना पर, अखिल भारतीय किसान सभा के विचार रखे।

इस सार्वजनिक सेमिनार में कुर्ग जिले के अनेक कॉफी किसानों ने भाग लिया। वीजू कृष्णन, सी पी ए के नंदा सुबैया, नवीन कुमार तथा पी कृष्णाप्रसाद ने इस सेमिनार को संबोधित किया। अब्दुल लतीफ ने सेमिनार में आए लोगों का स्वागत किया।

ब्रह्मागिरी डेवलेपमेंट सोसायटी ने सेमिनार स्थल पर एक वायनाड कॉफी कियोस्क की व्यवस्था की थी और ब्रांडिड ताजा ब्रह्मागिरी वायनाड कॉफी पेश की थी। वायनाड कॉफी प्रोजेक्ट को केरल की एलडीएफ सरकार का समर्थन हासिल है और वह सरप्लस को कॉफी किसानों के साथ बांटता है। ब्रह्मागिरी वायनाड कॉफी डिवीजन के चेयरमैन पी के सुरेश ने कॉफी बोर्ड के अश्विनी कुमार को वायनाड कॉफी का पहला कप पेश करके, वायनाड कॉफी डिवीजन की कॉफी कियोस्क का उद्घाटन किया।

इस मीटिंग में कीमत, मजदूरी, जमीन, बीमा, मानव–पशु टकराव से जुड़ी विभिन्न मांगों समेत जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय प्रभाव और उत्पादन, प्रसंस्करण तथा कॉफी क्षेत्र में मार्केटिंग की शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ नीतिगत परिप्रेक्ष्य पर चर्चा की। ये मांगें कॉफी उत्पादक किसानों और खासतौर से छोटे तथा मध्यम दर्जे के कॉफी उत्पादन किसानों तथा खेतमजदूरों के हितों की रक्षा के लिए लक्षित हैं और कार्पोरेट औद्योगिक प्रोसेसरों और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बड़े व्यापारिक निगमों के तहत जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हैं।

इस अवसर पर पेश किए गए विभिन्न पेपर कॉफी किसानों के बीच काम करनेवाले कार्यकर्ताओं की मदद के लिए एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे।

कच्चे तेल के बाद कॉफी ही वैश्विक बाजार में खरीदी तथा बेचे जानेवाली दूसरी सबसे मुनाफादेह चीज है। बहरहाल, इस उच्च मुनाफा अनुपात से दुनिया भर में प्राइमरी कॉफी उत्पादकों को कोई लाभ नहीं होता। कच्ची कॉफी बेरियों या हरी बीन्स की खरीद के बाद इसमें मूल्य संवर्द्घन होता है और उसके बाद ही विभिन्न तरह के कॉफी उत्पाद बाजार में आते हैं और इस तरह जो सरप्लस पैदा होता है, उसे बड़े पैमाने के प्रोसेसरों, ट्रांसपोर्टरों, एडवर्टाइजरों, मीडिया, खुदरा व्यापारियों की शृंखला और कर के रूप में सरकारों के बीच बांटा जाता है।

विश्व पैमाने पर अध्ययनों से यह पता चलता है कि प्राइमरी कृषि उत्पादों से उत्पादित उपभोक्ता उत्पादों का सिर्फ 10 फीसद या उपभोक्ता उत्पादों के मूल्य का उससे कम ही वापस, प्राइमरी उत्पादकों के पास पंहुचता है।

बाजार को नियमित करने और कॉफी उत्पादकों के लिए मूल्य संरक्षण का एक तय स्तर सुनिश्चित करने के लिए 1942 में इंडियन कॉफी एक्ट के तहत कॉफी बोर्ड का गठन किया गया था, जो 1947 में देश के आजाद होने के बाद भी जारी रहा। बहरहाल, डब्लूटीओ तथा आइएमएफ के निर्देश के अनुसार केंद्र सरकार ने कॉफी बोर्ड की इस भूमिका को खत्म कर दिया और 1994 में नव–उदारवादी सुधारों के हिस्से के तौर पर, कॉफी बोर्ड को खरीद बाजार से बाहर कर दिया गया।

नव–उदारवादी हमले के परिणामस्वरूप वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2007 की अवधि के दौरान भारत की पूरी कॉफी पट्टड्डी में एक लंबा श्कॉफी संकटश्च सामने आया और केरल का वायनाड जिला इससे सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस संकट ने खासतौर से छोटे तथा मध्यम दर्जे के किसानों के आर्थिक तथा सामाजिक आधार को तबाह कर दिया।

इसका परिणाम यह हुआ कि वे भारी कर्ज में फंस गए और इन मुश्किलात के चलते वायनाड में किसानों के बीच आत्महत्या करने की प्रवृत्ति सामने आयी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2006 तक जिले में 948 किसानों ने आत्महत्या की थी, जबकि इसी बीच हुए गैरसरकारी सर्वेक्षणों से पता चला कि 3000 किसानों ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र में विदर्भ और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर के साथ वायनाड, किसान आत्महत्याओं के लिए जाने जानेवाले चर्चित स्थानों में से एक बन गया था।

कॉफी का संकट, कॉफी उद्योग में कार्पोरेट शक्तियों के लिए वरदान बन गया। एक किलो इंस्टेंट कॉफी पाउडर तैयार करने के लिए करीब 2.5 किलोग्राम ग्रीन बीन्स की जरूरत होती है और जब ग्रीन बीन्स की कीमत 90 रु0 प्रति किलो थी, तब उसे तैयार करनेवाले कच्चे माल की कीमत 225 रु0 थी। दूसरी ओर वर्ष 1997–99 की अवधि के दौरान इन्स्टेंट कॉफी की कीमत 450 रु0 से 900 रू0 प्रति किलो थी। 1999 के बाद जब ग्रीन बीन्स की कीमत गिर कर 24 रु0 प्रति किलो पर आ गयी, तो कच्चे माल की कीमत भी 2. 5 किलो ग्राम ग्रीन बीन्स के लिए गिर कर 60 रु0 रह गयी।

लेकिन कार्पोरेट कंपनियों ने इंस्टेंट कॉफी की कीमत बढ़ाकर 900 से 1400 रु0 प्रति किलो कर दी। इस तरह कॉफी संकट कार्पोरेट ताकतों के लिए छप्परफाड़ मुनाफे कमाने का एक अवसर बन गया था। अब कोई डेढ़ दशक बाद भी कॉफी बीन्स की कीमत 140 से 180 रु0 प्रति किलो ही है, जबकि इंस्टेंट कॉफी की औसत कीमत 1400 से 3000 रु0 प्रति किलो के बीच है।

भारत में तकरीबन 99 फीसद कॉफी उत्पादक छोटे तथा मध्यम दर्जे के उत्पादक हैं, जिनके पास 10 एकड़ से कम जमीनें हैं। खेतमजदूरों के साथ मिलकर छोटे तथा मध्यम दर्जे के उत्पादकों को, कार्पोरेट मार्केट के शोषण के तहत दरिद्रीकरण तथा सर्वहाराकरण के वास्तविक खतरे का सामना करना होगा।

औपनिवेशिक जमींदारी काल के दौरान 'जोतनेवाले को जमीन' का जो नारा दिय गया था, उसी तरह नवउदारवाद के मौजूदा दौर में 'फसलवार प्रासेसिंग उद्योगों तथा ब्रांडेड कोमोडिटी मार्केट के तहत उत्पादक सहकारिताओं' जैसा कोई नारा तैयार करने की जरूरत है, ताकि उसे किसानों के बीच लोकप्रिय बनाया जा सके। इस सिलसिले में अखिल भारतीय किसान सभा कॉफी किसानों की विभिन्न एसोसिएशनों के साथ संपर्क बनाए हुए है और कार्पोरेट उद्योग की लूट के खिलाफ कॉफी किसानों के एकजुट आंदोलन का निर्माण करने संभावनाएं तलाश रही है।

मीटिंग ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को मांग पत्र देने, कॉफी फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्यता करने, आगामी 24 जुलाई का दिन राष्ट्रीय कॉफी दिवस के रूप में मनाने, आगामी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के मौके पर श्श्कॉफी हमारी रोजी–रोटी हैच्च के नारे को लोकप्रिय बनाने और आगामी 27–28 अक्टूबर को केरल के वायनाड में कॉफी फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अखिल भारतीय कन्वेंशन आयोजित करने का निर्णय लिया।

श्रीनगर में हुई सेब किसानों की कार्यशाला

लगातार तीसरी पहल के रूप में किसान सभा और पी सुंदरैया मेमोरियल ट्रस्ट ने 22–23 जून, 2022 को श्रीनगर में सेब किसानों की अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन किया। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों के साथ–साथ केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान– सीआईटीएच, शेर–ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर (एसकेयूएएसटी– के)– श्रीनगरं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय–दिल्ली और अखिल भारतीय पीपुल्स साइंस नेटवर्क के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन किसान सभा के महासचिव हन्नान मौल्ला ने किया। जम्मू–कश्मीर किसान तहरीक के महासचिव गुलाम नबी मलिक ने प्रतिभागियों और मेहमानों का स्वागत किया। किसान सभा के वित्त सचिव पी कृ ष्णप्रसाद ने कार्यक्रम की जानकारी दी।

पहला सत्र भारत में सेब की खेती का इतिहास, उत्पादन व उत्पादकता के मुद्दों और उदत्पान एवं गुणवत्ता बढ़ाने में सेब की किस्मों की भूमिका पर था। यह पेपर सीआईटीएच के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक वसीम हसन राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जेएनयू के अर्थशास्त्री विकास रावल ने उत्पादन के पैटर्न, खेती की लागत, विपणन और अंतरराष्ट्रीय सेब व्यापार पर पेपर रखा। निसार अली ने बागवानी के सतत विकास एवं जम्मू और कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था के महत्व पर बात की।

दूसरे सत्र में सीआइटीएच वैज्ञानिक सज्जाद उन नबी ने सेब के बागों पर बीमारी के प्रभाव और उनके प्रबंधन पर एक पेपर रखा। पीपुल्स साइंस नेटवर्क के के ओपी भुरैटा ने सेब

के बागों में मानव–पशु संघर्ष, मौसम एवं पर्यावरणीय प्रभाव, फसल बीमा की आवश्यकता और हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादकों की लम्बंधी के अनुभव के मुद्दों पर बात रखी। एसकेयूएएसटी– के तारिक ए राजा ने बागवानी परीक्षणों में सटीक परिणाम प्राप्त करने पर एक पेपर प्रस्तुत किया। पी सुंदरय्या मेमोरियल ट्रस्ट के शुभोजीत डे ने खरीद, आपूर्ति श्रृंखला, मूल्यवर्धन और अधिशेष बंटवारे के पैटर्न पर पेपर प्रस्तुत किया।

तीसरे सत्र में, कश्मीर और हिमाचल के किसान नेताओं ने अपने अनुभव साझा किए और भविष्य की कार्य योजना का प्रस्ताव रखा। इनमें शोपियां से अब्दुल रशीद, कुलगाम से बशीर अहमद, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से गौरव ठाकुर, शोपियां से गुलाम रसूल और कुलगाम से मशकूर अली, जावेद गनी अहमद और हिमाचल प्रदेश से सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन सिंह ठाकुर इस में शामिल रहे।

अंतिम सत्र में, पी कृष्णप्रसाद ने छोटे और मंझोले उत्पादकों के लिए लाभकारी आय सुनिश्चित करने के लिए सेब क्षेत्र पर मांगों का मांग पत्र, भविष्य की कार्य योजना और नीतिगत विकल्पों के महत्व को रखा। खुले सत्र और प्रेस कॉन्फ्रेंस को हन्नान मौल्ला, मुहम्मद यूसुफ तारिगामी, पूर्व विधायक, पी कृ ष्णप्रसाद, गुलाम नबी मलिक और सोहन सिंह ठाकुर ने संबोधित किया।

सेब भारत में लगभग नौ लाख परिवारों को आय और जीविका प्रदान करता है, मुख्य रूप से कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से, और लगभग 42 लाख लोग सेब की आय पर निर्भर हैं। भारत द्वारा लगभग 24 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन किया जाता है, जिसमें कश्मीर का 77 प्रतिशत उत्पादन होता है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है। जम्मू–कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद का आठ प्रतिशत सेब से है। उत्पादित अधिकांश सेब का फल के रूप में सेवन किया जाता है, लगभग 95 प्रतिशत। हालांकि सेब के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में भी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है।

सेब किसानों की अखिल भारतीय कार्यशाला ने सेब किसानों के नेताओं को इस विशेष क्षेत्र में किसान आंदोलन की क्षमताओं और संभावनाओं को पहचानने में मदद की। कार्यशाला ने अखिल भारतीय सेब किसान सभा –एएफएफआई का गठन करने और निकट भविष्य में अपने बैनर तले सभी सेब किसानों और खेत मजदूरों को लामबंध करने का निर्णय लिया। 25 जुलाई 2022 को संबंधित केंद्रीय मंत्री को मांग पत्र सौपने का भी निर्णय लिया गया। मांग पत्र पर आधारित संघर्ष की भावी योजना पर चर्चा करने के लिए सभी सेब किसान संघों और संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाएगी। 21 अक्टूबर 2022 को सेब उत्पादक क्षेत्र में राष्ट्रीय सेब दिवस के रूप में मनाया जाएगा । सेब किसान सभा का अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 के अप्रैल के महीनें में श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा।

इस क्रन्तिकारी परिप्रेक्ष्य से कृषि प्रश्न को संबोधित करने से छोटे व मध्यम किसानों और खेत मजदूरों के साथ–साथ धनी किसान भी आकर्षित होंगे। मजदूर वर्ग के आंदोलन द्वारा सक्रिय रूप से समर्थित किसान वर्गों की एकता कश्मीर सहित सेब उत्पादक क्षेत्र में वामपंथी और जनवादी ताकतों के हितों की सहायता के लिए नए राजनीतिक ध्रुरुवीकरण लाएगी। □

कहाँ तो तय था, चिरागां हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं भाहर के लिए

महाशक्ति भारत से बेरोजगार भारत का "अग्निपथ"

– मनोज कुमार

पछले दिनों मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई कि आने वाले डेढ़ साल में वो 10 लाख नौकरियां देने वाले है पर अगर हम भाजपा के 2014 के चुनावी वायदे को याद करे तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही थी। अब जबकि भाजपा को सत्ता में आये हुए 8 साल हो चुके है, हालत यह है कि बेरोजगारी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है और जो रोजगार पहले से उपलब्ध थे उन की संख्या में भी गिरावट आई है। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से पहले से ही रोजगार बाजार में भारी मंदी रही है,जैसा की हम जानते है 2019 में 45 साल की सब से अधिक बेरोजगारी थी (कोविड के दौर से पहले), अगस्त 2019 में बेरोजगारी दर 8–3 फीसदी थी और दिसम्बर 2019 में भी यह दर 7–9फीसदी थी। इस के बाद कोविड और उस से जुडी तालाबंदी के समय तो देश ने भयानक दौर देखा ही है, जिस ने करोड़ों लोगो के काम धंधो को बर्बाद कर दिया और करोड़ों प्रवासी मजदूरों को अपने गावों में लौटने पर मजबूर होना पड़ा था। एक वर्तमान शोध के अनुसार 2017 से 2022 के बीच भारत की जनसंख्या में कुल काम करने योग्य जनसंख्या जो की 90 करोड़ के लगभग है, उसमें से 46 से 40 फीसदी ने परेशान होकर काम की तलाश ही बंद कर दी है और इसमें भी महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा भयंकर है जहां 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा महिलाएं श्रम बाजार से गायब हो गई है तथा उन की कुल काम करने योग्य आबादी का 9 फीसदी ही काम कर पा रही है या काम की तलाश कर रही है। लॉकडाउन के समय को छोड़ दिया जाए तो जून 2022 का महीना रोजगार बाजार का सब से खराब समय रहा , इस महीने में बेरोजगारी दर बढ़ कर 7–8 फीसदी पर पंहुच गई जो मई के महीने में 7–12फीसदी थी। ग्रामीण इलाकों में हालत और भी खराब है, यहाँ काम करने योग्य आबादी को काम नहीं मिल रहा।ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 6–62 फीसदी से बढ़ कर 8 फीसदी के पर चली गई है।

यह बेरोजगारी सिर्फ आंकड़ो तक सीमित नहीं है, इस का असर देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग घटनाओं में देखा जा सकता है। इस की हताशा जमीन पर भी साफ देखी जा सकती है। विभिन्न राजनितिक दलों द्वारा चुनावी वादों में लाखों सरकारी नौकरियां देने की बात कही जाती है पर सत्ता में आने के बाद नौजवानों को सिर्फ आश्वासन और कभी न खत्म होने वाली भर्ती प्रक्रियाएं मिलती है। इसपुर पूरी व्यवस्था से निराश हो कर ही युवाओ ने पिछले दिनों देश के अलग–अलग हिस्सों में विभिन्न अभियान भी चलायें, जिस में युवाओं द्वारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के "मन की बात" कार्यक्रम के प्रसारण को व्यापक स्तर पर डिसलाइक किया जाना और मोदी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाना शामिल है। पहली बात तो सरकारों द्वारा भर्तिया नहीं निकाली जा रही है और जो निकाली भी जा रही है उन की प्रक्रिया सालों से अटकी हुई है, कहीं बात नौकरियों की अधिसूचना से आगे नहीं बढ़ी तो कही परीक्षा पेपर लीक या स्थगित होने से बात अटकी पडीं है, कही परीक्षा हो गई तो नतीजो के इंतजार में सालों गुजर गए, किसी–किसी मामले में ये भी हो गया तो साक्षात्कार या उस के बाद अंतिम सूचि जारी करने में देरी, यह सब हो जाए तो कार्यग्रहण पर बात रुकी हुई है और अगर वो भी हो जाये तो अपनाई गई प्रक्रिया में अपारदर्शीता के कारण मामले न्यायालयों में लंबित पड़े है। पूरी प्रक्रिया इतनी बोझिल और हताश करने वाली हो चुकी है जो की दिन–रात तैयारी करने वाले नौजवानों को अन्धकार में डूबा रही है। निजी नौकरियों में भी व्यवस्थागत मंदी के चलते संकट की स्थिति है। 30 साल पहले सुनहरे सपने दिखा कर जो नवउदारीकरण की नीतियों के पक्ष में जो छवि बनाई गई थी, उस सपने की हकीकत अब जग जाहिर हो चुकी है, जो निजी क्षेत्र एक समय नौजवानों को आकर्षित करता था, उस के शोषण की हकीकत उजागर होने के बाद अपना आकर्षण खो चुका है। "हायर एंड फायर" की नीति के तहत किसी का रोजगार सुरक्षित नहीं बचा है। सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण से स्थाई रोजगार की संभावनाएंक तो कमजोर हुई है और ऊपर से सरकारी महकमों में भी लाई गई ठेका प्रथा ने सम्मानजनक स्थाई रोजगार की अवधारणा पर भी गंभीर चोट की है। युवाओं में सरकार के प्रति उपजे असंतोष के पीछे बेरोजगारी की अहम समस्या है और इसी लिए देश में जगह जगह उन का गुस्सा फुट रहा है और विरोध

ा–प्रदर्शन व धरने चलायें जा रहे है तथा सरकार उन की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय इन के विरोध को बलपूर्वक दबाने की कोशिश कर रही है। जब की भय और हिंसा से नौजवानों को दबाना लगभग असंभव है।

"अग्निपथ" की अंगार भरी राह

हाल ही में हरियाणा के पलवल जिले से एक खबर आई सुबह–सुबह फौज की भर्ती के तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे 17–18साल के पांच युवाओं को पीछे से आते एक वाहन ने टक्कर मारी और चार नौजवानों की मौत हो गई। इस घटना का जिक्र हमारे सामने कई तस्वीरें उकेरता है जिस में पक्के रोजगार की चाह और फौज में भर्ती होने के जुनून लिए देश के अनेक गाँवों के नौजवान सुबह– शाम मेहनत करते दिखाई देते है। पर आज जी–जान से मेहनत करने बावजूद इन युवाओं का स्थाई रोजगार व फौजी बनने का सपना पूरा हो यह और मुश्किल हो गया है।

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में सैन्य बलों में भर्ती के लिए नई योजना "अग्निपथ" की घोषणा की गई। योजना के घोषित होते ही इस पर चर्चाए शुरू हो गई व देश भर में इस का भारी विरोध होने लगा। जिस के बाद सरकार का पूरा तंत्र इस योजना के फायदे गिनवाने लगा और तीनो सेनाओं का नेतृत्व भी इस की वकालत में उतार दिया गया। इस के बावजूद जगह–जगह विरोध कार्यवाहियों में नौजवानों, पूर्व सैनिकों व समाज के अन्य हिस्सों के लोग सड़कों पर उतरे। पर मौजूदा सरकार जैसा हर मामले में करती आई है, वैसा ही रुख उस ने इस मामले में भी अपनाया है। लोगों के विरोध को दरकिनार करते हुए, इस योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू का दी। साथ ही साथ यह भी कह दिया कि, जो भी युवा इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होगा उसे भर्ती से बाहर रखा जाएगा और इस के सबूत के तौर पर कि वह किसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं था उसे पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही भर्ती किया जाएगा। सैन्य बलों में अनुशासन के चलते किसी प्रकार की यूनियन निर्माण और प्रदर्शन पर रोक तो समझ में आती है पर, सेना में भर्ती होने से पहले ही सरकार की नीति का विरोध करने के खिलाफ रोक, क्या हमारे संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध नहीं है?

इस योजना के तहत तीनों सेनाओं के हिस्सों में पहले की तरह सीधी भर्ती करने के बजाय 17–23 वर्षीय युवाओ को अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जायेगा और चार साल बाद इन अग्निवीरो में से 25 प्रतिशत को सेना में स्थाई पद पर रखा जायगा और बाकि बचे 75 प्रतिशत अग्निवीरो की सेवाएँ इस अवधि के बाद समाप्त हो जायगी तथा उन्हें वापस से रोजगार की तलाश की दौड़ में लगना होगा। इस योजना के पक्ष में सरकार में मंत्रियो, सरकार के समर्थको व सरकार द्वारा इस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उतारे गए फौजी अफसरों द्वारा विभिन्न तर्क दिए जा रहे है, पर उस के बाद भी वो सेना में भर्ती होने के इच्छुक नौजवानों की शंकाओ का निवारण नहीं कर पाए है। साथ ही इस योजना के गिनवाए जा रहे कुप्रभावो का भी तार्किक ढंग से जवाब देने में अक्षम

है। इस योजना कि पैरोकारी करते हुए इस के समर्थकों के जो तर्क है उस में सब से प्रमुख है की इस से सेना के आधुनिकरण को मदद मिलेगी। पर क्या आधुनिकरण के नाम पर किये जा रहे प्रयोग के कुप्रभावो से हमारे देश की सेना कमजोर नहीं होगी? साथ ही साथ बॉर्डर पर तैनात इन नौजवानों को अपने भविष्य की भी चिंता होगी जो इन के मनोबल को गिराएगा। दूसरा सरकार की तरफ से, 4 सालों बाद वापस आने वाले अग्निवीरो को रोजगार मुहैया करने का जो दावा सरकार द्वारा किया गया है इन चार सालों में अग्निवीर इतने कुशल होंगे की उन्हें कही भी काम मिल जाएगा, इन्हें केंद्र सरकार ने केन्द्रीय बलों की भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही और बाद में कई राज्य सरकरो ने भी भर्ती में उन के लिए आरक्षण के प्रावधान की घोषणा कर दी। पर अगर हम पिछले अनुभव देखे तो भूतपूर्व सैनिको की संख्या उन सरकारी नौकरियों में भी 10 प्रतिशत से भी कम है, जहा उन के लिए भर्तीयों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तो कम से कम हम इस भ्रम में तो ना रहे की सरकार जैसा दिखाना चाहतीं है वैसा सभी अग्निवीरो को चार साल बाद भी सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध होगा, इस के सच होने के लिए कोई आधार नहीं है। दूसरा हमारें देश में वर्त्तमान में लगातार गहराता बेरोजगारी संकट भी इस संशय को जन्म देता है कि चार साल बाद लौटने पर कोई रोजगार उन्हें मिल पायेगा भी या नहीं। इस के अलावा देश के कुछ पूंजीपतियों द्वारा भी यह घोषणाएं कि गई कि इन अग्निवीरो को हम नौकरियों में प्राथमिकता देगें, उन से भी यह पूछा जाना चाहियें कि जो भूतपूर्व सैनिक अभी भी रोजगार बाजार में नौकरियों की तलाश कर रहे है, आप उन्हें रोजगार देने में क्यों नाकामयाब है।

यह योजना हर साल 40 हजार से ज्यादा ऐसे बेरोजगारों की फौज तैयार करेगी जो की आधुनिक से आधुनिक हथियार चलाने में पारांगत होगें। इन नौजवानों में से अगर कुछ नौजवान बेरोजगारी और जीवन की अन्य जटिलताओं से तंग आ कर अपराध की और मुड़े तो इस के परिणाम क्या हो सकते है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। यह निजी फौजों का हिस्सा भी हो सकते है और खुद की फौजे भी तैयार कर सकते है। कहीं ना कहीं यह राष्ट्रीय स्वंय सेवक के हिन्दुराष्ट्र और हिन्दुओं के सैन्यकरण की मकसद को हासिल करने में भी मदद करेगा, जो कि देश की अखंडता के लिए भयानक होगा। देश की सेना में अनुशासन और गंभीरता को भी यह प्रभावित करेगा। सरकार का एक अन्य तर्क अग्निपथ के पक्ष में यह है की वो सैनिकों की औसत आयु को घटना चाहतीं है,जब के आज के दिन भारतीय सैनिकों की औसत आयु 32–33वर्ष है जो की कोई बहुत ज्यदा नहीं है, देश के लिए खलने वाले कई खिलाडियों तक की उम्र इस के लगभग है। 17 की उम्र के युवा अनुभव के मामले में तो बिलकुल ही कोरे होंगे और उन में से बड़ा हिस्सा अपनी चार साल की सेवाओ के बाद सेना से बाहर चले जाएगे व अपनी युवा अवस्था में ही देश की सेना में अपना योगदान दे पाने से महरूम हो जाएगे। इस योजना का जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा, वो उन नौजवानों पर पड़ेगा जो देश की सेवा ये साथ–साथ जीविका के लिए सुरक्षित रोजगार की कामना रखते है। बढती बेरोजगारी देश के नौजवानों के सामने एक गंभीर समस्या है ऐसे में सेना में मिलने वाले स्थाई रोजगार की भी संख्या घटने से रोजगार के इच्छुक युवाओं में और निराशा जन्मेगी। यह सर्विदित है कि, सेना में निचले पदों पर सैनिक के तौर पर भर्ती होने वाले सैनिकों में बहुमत ग्रामीण आंचल से आते है जिन के परिवार वाले खेती–किसानी से जुड़े होते है। खेती के संकट के चलते इन को पहले ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है अब ऊपर से उन के स्थाई रोजगार की संभावनाएं भी और कमजोर हो जाएगीं। पहली बार अग्निवीरो की भर्ती के लिए मंगाए गए आवेदन में, लाखों की संख्या में आए आवेदनों को सरकार अपनी सफलता के तौर पर दिखाने का प्रयास कर रही है, जब ही हकीकत में लाखो लोगों द्वारा विरोध करने के बावजूद सरकार अपने हठ पर अड्डी हुई है तथा इन नौजवानों को मजबूर हो कर यह फॉर्म भरने पड़ रहे है ना की अपनी मर्जी से। इस योजना को रक्षा क्षेत्र के बड़ा बदलाव के तौर पर उभारने का प्रयास किया गया, इस फायदों को गिनवाकर सरकार इसे लागू करने पर है, जब कि, पिछले अनुभव बताते है कि इस सरकार द्वारा उस के फैसलों से प्रभावित होने वाले हिस्से से बिना बात चीत किये जल्दबाजी में जितने भी फैसले लिए है वो बड़ी गलती साबित हुए है। बावजूद इस के, सरकार अपनी गलतियों से ना सीखते हुए एक और इसी तरह का फैसला लोगों पर थोप रही है।

कुलमिला कर सरकार को यह समझने की जरुरत है की उस का कॉर्पोरेट प्रेम देश के युवाओं की राहों में कांटे बिछा रहा है। और सरकार को जल्द से जल्द ऐसी नीतियों को अपनाने की जरुरत है जो व्यापक सम्मानजनक स्थाई रोजगार की संभावनाओ को बढ़ाये और युवाओं में विश्वास बढायें अन्यथा उनकी बिच उपज रहे गुस्से का सामना करने को तैयार रहे।

□

लाखों किसानों ने देशव्यापी रास्ता रोको कार्रवाइयां की

भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ किए गए विश्वासघात के खिलाफ गत 31 जुलाई को सरदार उधम सिंह के शहीदी दिवस पर लाखों किसानों ने देशभर में सैकड़ों स्थानों पर व्यापक रास्ता रोको कारज्वाइयों और विशाल विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया और पंजाब में तो वास्तव में राज्य के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशाल रेल रोको कारज्वाइयों का आयोजन किया गया।

तीन कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के परिणामस्वरूप गत वषज् 11 दिसंबर को दिल्ली के इदज्–गिदज् चल रहे ऐतिहासिक किसान संघषज् को निलंबित किए जाने के बाद, यह किसानों की सबसे बड़ी देशव्यापी जनकार्रवाई थी। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम), अखिल भारतीय किसान सभा (एआइकेएस) और दूसरे किसान संगठनों के व्हाट्सऐप ग्रुप तथा फेसबुक पेज देश भर में अनगिनत स्थानों पर हुयी इन कार्रवाइयों की तस्वीरों से अंटे पड़े थे।

गत 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुयी अपनी राष्ट्रीय बैठक में एसकेएम ने सरदार उधम सिंह के शहीदी दिवस पर देशव्यापी चक्का जाम कार्रवाई आयोजित करने का आह्वान किया था।

यहां यह याद दिलाना उचित होगा कि सरदार उधम सिंह गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियशन (एचएसआरए) और बाद में इंग्लैंड में इंडियन वर्कसज् एसोसियशन से गहन रूप से जुड़े रहे थे। भगत सिंह से वे गहन रूप से प्रभावित थे। जब 13 अप्रैल 1919 को भयंकर जलियावाला बाग नरसंहार हुआ था तो एक किशोर के रूप में उधम सिंह ने उन हजारों लोगों को पानी पिलाया था, जो वहां उस सभा के लिए एकत्रित हुए थे।

उस बबज्र गोलीबारी के वह स्वयं गवाह थे। उन्होंने इसका बदला लेने की शपथ ली थी। संघर्षो भरे जीवन के बाद वे इंग्लैंड पंहुचे थे। लंबी योजना के बाद, 13 माचज् 1940 को उधम सिंह ने लंदन में एक सभागार में माइकल ओ ड्वायर की गोली मार कर हत्या कर दी थी। माइकल ओ ड्वायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवनज्र था और उसी ने जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश दिया था और घृणित जनरल रेगिनाल्ड डायर ने इस गोलीबारी को अंजाम दिया था। डायर 1927 में ही मर गया था।

जेल में रहते हुए उधम सिंह ने अपने को राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम दिया था। जहां इस नाम के पहले तीन शब्द पंजाब के तीन मुख्य धर्मों को दिखा रहे थे, वहीं चौथे शब्द का अर्थ् था–आजादी। न्यायालय में अपने मुकदमे के दौरान उधम सिंह द्वारा दिया गया पूरा भाषण बहुत ही महत्वपूणज् था।

इस भाषण में उन्होने कहा था कि 'मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मैं उससे नाराज था'। वह इसी लायक था।

वही असली अपराधी था। वह मेरे लोगों की आत्मा को कुचल देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। पूरे 21 वर्ष मैं उससे बदला लेने की कोशिश करता रहा। मुझे खुशी है कि मैंने यह काम कर दिया। मुझे मौत का डर नहीं है। मैं अपने देश के लिए जान दे रहा हूं। मैंने ब्रिटिश राज में भारत में अपने लोगों को भूख से मरते देखा है। मैंने इसका विरोध किया। यह मेरी जिम्मेदारी थी।य उन्होंने श्ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुदाबजद!य के नारे के साथ अपना यह भाषण समाप्त किया था।

सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को इंग्लैंड में फांसी दे दी गयी थी। उनके फूलों को अमृतसर में जलियावाला बाग में सहेज कर रखा हुआ है।

इस महान देशभक्त और क्रांतिकारी का शहादत दिवस मनाने के लिए अन्य राज्यों के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कनाज्टक तथा तमिलनाडु में, व्यापक चक्का जाम कार्रवाइयों तथा विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इन कार्रवाइयों के लिए देश के सैकड़ों जिला केंद्रों और तहसील, ब्लॉक तथा मंडल केंद्रों पर, लाखों किसान एकत्रित हुए। किसानों ने अनेकों राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य स्तरीय राजमार्गों को रोक दिया। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है–पंजाब में रेल रोको कार्रवाई शानदार रही।

भाजपा सरकार का विश्वासघात

भाजपा की केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर, 2021 के अपने पत्र में एसकेएम से जो वादे किए थे और जिनके आधार पर किसान आंदोलन को निलंबित किया गया था, उनमें से उसने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। सरकार अभी भी न्यूनतम समथज्न मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उसने कृषि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एक अर्थहीन कमेटी का गठन किया है, जिसकी विचार शर्तों में एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी का कोई जिक्र नहीं है। उसने इस कमेटी में भाजपापरस्त किसान नेताओं तथा सरकारी अधिकारियों को भर दिया है। परिणामस्वरूप एसकेएम को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करनी पड़ी कि वह इस तरह की शर्मनाक कमेटी के लिए अपने तीन प्रतिनिधियों का नाम नहीं भेजेगा।

कैबिनेट ने बिजली संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे एसकेएम के साथ किसी तरह चचाज् किए बिना ही, जिसका कि वादा किया गया था, संसद में पेश किया जाएगा। न ही संघषज् के दौरान किसानों के खिलाफ दायर किए गए अनेकानेक झूठे मामलों को वापस लिया गया है। अजय मिश्रा टेनी, शर्मनाक ढ़ंग से आज भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बना हुआ है।

एसकेएम ने अपनी छरू मांगों को दोहराया है, जो इस प्रकार सी2+50 फीसद फामूलज् के आधार पर सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएय 'बिजली संशोधन विधेयक 2020–2021' के मसौदे को वापस लिया जाए 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता प्रबंधन के लिए कमीशन कानून 2021' में किसानों को दंडित करने संबंधी प्रावधानों को हटाया जाएय आंदोलन के दौरान किसानों पर थोपे गए सभी झूठे मुकदमे वापस लिए

जाएं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाएय शहीदों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए तथा उनका पुनर्वास किया जाए और सिंघू बॉर्ड पर उनकी स्मृति में स्मारक का निमाज्ण करने के लिए जमीन दी जाए।

आने वाले दिनों में इन मांगों के लिए संघर्ष को और तेज किया जाएगा।

एसकेएम ने 'अग्निपथ योजना' को बेनकाब करने के लिए 7 से 14 अगस्त तक देश भर में 'जय जवान–जय किसान' कन्वेंशनों का आयोजन करने का भी निर्णय लिया है। यह योजना देशविरोधी, युवा विरोधी और किसान विरोधी है। इन कन्वेंशनों की योजना बनाने के लिए गत 19 जुलाई को एसकेएम और एक्स सर्विसमैन एसोसियशन तथा युवा संगठनों के नेताओं की दिल्ली में एक बैठक हुयी थी।

भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह के सिलसिले में एसकेएम आगामी 18–19 तथा 20 अगस्त को लखीमपुर–खीरी में एक 75 घंटे के धरने का आयोजन करेगा, जिसमें अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बखाज्स्त करने तथा उसे गिरफ्तार करने और गिरफ्तार किसानों पर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की जाएगी। इस धरने में देश भर के किसान नेता तथा कार्यकर्ता भाग लेंगे।

सीटू–किसान सभा तथा खेत–मजदूर यूनियन का आह्वान

भारत की आजादी के 75 वर्ष के सिलसिले में सीटू, अखिल भारतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन का 1 से 15 अगस्त तक का पखवाड़े भर लंबा अभियान भारी उत्साह के साथ देश भर में शुरू हो गया है। हाल ही में सी पी आइ (एम) की केंद्रीय कमेटी ने भी इसी तरह के अभियान का आह्वान किया है।

स्वतंत्रता संघर्ष में वामपंथ की अगुवाई में मजदूर वगज्

तथा किसान जनता की भूमिका के बारे में विस्तार से बताने और आरएसएस तथा अन्य सांप्रदायिक संगठनों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के साथ किए गए विश्वासघात को बेनकाब करने के लिए सैकड़ों सभाओं तथा कन्वेंशनों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश तथा देश की जनता पर नव–उदारवादी नीतियों के विनाशकारी प्रभाव के बारे में बताया जाएगा और इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि हमारे संविधान के जनतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के लिए, फासीवादी आरएसएस तथा भाजपा ने कैसे गंभीर खतरे पैदा कर दिए हैं। इन सभाओं तथा कन्वेंशनों के सिलसिले में लाखों पर्चे बांटे जाएंगे।

भाजपा की केंद्र सरकार और हर क्षेत्र में उसकी दीवालिया नीतियों पर हमला बोलने के लिए 8 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस पर देश भर में सैकड़ों केंद्रों पर विशाल लामबंदियां आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर मोदी निजाम के सांप्रदायिक तथा तानाशाहीपूर्ण कदमों की भी कड़ी आलोचना की जाएगी।

14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अनेकानेक स्थानों पर विशाल सामूहिक जागृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, मशाल जुलूसों का आयोजन किया जाएगा और सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जाएंगी।

15 अगस्त को 75वें स्वाधीनता दिवस पर, देश भर में शहरी क्षेत्रों तथा गांवों में हमारे कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। □

दिल्ली और देश भर में धरना तथा विरोध प्रदर्शन

अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध नवगठित डेयरी फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीएफएफआइ) के नेतृत्व में सैकड़ों डेयरी किसानों ने गत 27 जुलाई को नयी दिल्ली स्थित जंतर–मंतर पर धरने का आयोजन किया। ये डेयरी किसान केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र से आए थे।

उनकी मांग थी, दूध की उचित तथा लाभकारी कीमत दी जाए, डेयरी उत्पादों, मशीनरी तथा दूध दुहनेवाली मशीनों पर थोपी गयी जीएसटी को निरस्त किया जाए और साइलेज तथा चारे की सब्सीडी दरों पर आपूर्ति करने के जरिए उत्पादन लागत कम की जाए आदि–आदि।

भरत सिंह ने इस धरने में शामिल हुए दूध उत्पादक किसानों का स्वागत किया और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डा0 अशोक ढवले ने इस धरने का उद्घाटन किया। इस धरने को डीएफ एफ आइ के संयोजकों–पी कृष्णाप्रसाद, वी एस पद्मकुमार तथा वाल्सन पहिली (केरल), इंद्रजीत सिंह, फूलसिंह श्योकंद, सुमित, दिनेश सिवाच तथा डिंपल (हरियाणा), भरत सिंह तथा दिगंबर सिंह (उत्तर प्रदेश), संदीप मील (राजस्थान) और ए बी पाटिल (महाराष्ट्र) ने संबोधित किया।

केरल के तीन सांसद–वी शिवदासन, ए ए रहीम तथा ए एम आरिफ धरनास्थल पर पंहुचे और उन्होंने इन डेयरी किसानों की मांगों का समर्थन किया। इन्हीं सांसदों के जरिए केंद्रीय मछलीपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को इस सिलसिले में एक ज्ञापन दिया जाएगा। इसके लिए मंत्री महोदय से समय मांगा गया था।

यहां यह ध्यान दिला देना उचित होगा कि जीएसटी काउंसिल ने गत 28–29 जून की अपनी 47वीं बैठक में डेयरी उत्पादों पर 5 फीसद जीएसटी तथा डेयरी मशीनरी पर 18 फीसद जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी। डीएफएफआइ की यह राय है कि उचित तथा लाभकारी मूल्यों के अभाव में और हरे चारे की बढ़ती कीमतों के साथ, यह कदम छोटे डेयरी किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो भारत में डेयरी उत्पादन में लगे 9 करोड़ परिवारों का 75 फीसद हिस्सा हैं।

इसके खिलाफ 27 जुलाई को जंतर–मंतर पर आयोजित उपरोक्त धरने के साथ ही साथ इसी दिन डीएफएफआइ के देशव्यापी आह्वान के तहत स्थानीय मिल्क बूथों, कोऑपरेटिवों और डी सी कार्यालयों पर डेयरी किसानों ने प्रदर्शनों का आयोजन किया और जीएसटी वापस लेने तथा दूग्ध क्षेत्र में एफआरपी लागू करने की मांग की।

कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्रदर्शन आयोजित किए गए। इससे एक ह ते पहले ही डीएफएफ आइ के कार्यकर्ताओं ने इन राज्यों में नयी जीएसटी व्यवस्था को खारिज किए जाने की मांग पर, डेयरी उत्पादकों के हस्ताक्षर एकत्रित किए थे। □

खेत मज़दूरों का अखिल भारतीय विरोध दिवस सफल रहा

– विक्रम सिंह

देश के खेत मज़दूर 1 अगस्त को अपनी मांगो को लेकर आंदोलन में सड़को पर उतरे। इस दिन देश के पांच खेत मज़दूर संगठनो ने अखिल भारतीय आंदोलन का आह्वान किया था जिसके तहत जिला स्तर पर बड़े धरने प्रदर्शन किये गए व राष्ट्रपति के नाम मांगपत्र भेजा गया। इन प्रदर्शनों में खेत और ग्रामीण मज़दूरों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस अखिल भारतीय विरोध दिवस का आयोजन अखिल भारतीय खेत मज़दूर यूनियन, भारतीय खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मज़दूर सभा, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा और अखिल भारतीय अग्रगामी कृषि श्रमिक यूनियन ने संयुक्त रूप से किया। इस आंदोलन का मुख्य नारा था सबके लिए रोजगार, मज़दूरी, घर, ज़मीन, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता।

दिल्ली के हरिकिशन सिंह सुरजीत भवन में गत 16 मई, 2022 को आयोजित खेत मज़दूरों के अखिल भारतीय अधिवेशन में 1 अगस्त के विरोध दिवस का निर्णय लिया गया था। पिछले कुछ वर्षो से अखिल भारतीय खेत मज़दूर यूनियन ने खेत मज़दूरों के संयुक्त आंदोलन को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किये है। खेत मज़दूरों के मूलभूत मुद्दों जैसे मनरेगा, सार्वजानिक वितरण प्रणाली और जातीय हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर अंदोलन किये गए है। दलित हिंसा के खिलाफ अधिवेशन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी किया गया था। इन आंदलनों से ही खेत मज़दूरों की एकता बनी।

अखिल भारतीय स्तर पर खेत मज़दूरों के संयुक्त मुद्दों को चिन्हित करने और भविष्य के आंदोलनों के लिए अधिवेशन में मांगपत्र पारित किया गया था। इस मांगपत्र को लेकर 15 से 31 जुलाई तक सघन प्रचार अभियान चलाया गया था। गांव के स्तर पर नुक्कड़ और जन सभाएं आयोजित की गई थी। देश के विभिन्न राज्यों में अपनी भाषा में पर्चे वितरित किया गए । दीवार लेखन और पोस्टरों के माध्यम से मांग पत्र में शामिल मांगो को ग्रामीण जनता में प्रचारित किया गया। अखिल भारतीय किसान सभी और सीटू (CITU) ने अखिल भारतीय विरोध दिवस का समर्थन किया था।

यह आंदोलन ऐसे समय में आयोजित किया गया जब ग्रामीण बेरोजगारी अपने चरम पर है। कृषि में मज़दूरों के लिए काम लगातार कम हो रहा है। ऐसी स्तिथि में मनरेगा खेत और ग्रामीण मज़दूरों का मुख्य सहारा है जो उनको सो दिन का रोजगार देने का प्रावधान करता है। लेकिन केंद्र सरकार मनरेगा को लागू करने के लिए आवश्यक बजट कभी भी आबंटित नहीं करती है। इस बजट कटौती का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीण भारत के खेत मजदूरों पर पड़ रहा है। देश के मनरेगा मजदूरों की मजदूरी राज्यों की न्यूनतम कृषि मजदूरी से भी कम है। उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी भी नहीं है। रोजमर्रा की खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजें महँगी होने से हालात ख़राब हो रहे हैं। राज्य सरकारें राशि के अभाव में मजदूरों को काम देने से सीधे मना कर रही हैं।

वहीं सरकार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे लोग मनरेगा में काम करने से खुद ही कतराने लगे, इसके लिए तरहदृतरह की तकनीकी बाधाएं खड़ी कर रही है। पहले सरकार ने अव्यवहारिक जातिवार एफटीओ सृजित करना प्रारंभ किया। पिछले दिनों मई के महीने से आदेश निकाले है कि हाजरी सिर्फ स्मार्ट फोन के जरिये ही सीमित समय अवधि के अंदर लगानी है। साथ में सुबह और शाम दो बार मजदूरों को कार्यस्थल के साथ फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। 1 अगस्त से नया आदेश है कि किसी भी ग्राम पंचायत में 20

से ज्यादा योजनाएँ नहीं चलाई जाएँगी।

1 अगस्त का विरोध दिवस सफल रहा और लगभग सभी राज्यों में व्यापक प्रदर्शन किये गए। पश्चिम बंगाल ग्रामीण जिलों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए जिसमे लाखों खेत मज़दूरों ने भाग लिया। बंगाल में मुख्य मुद्दा मनरेगा ही रहा। गौरतलब है कि प्रदेश में मनरेगा के तहत मजदूरों को पिछले एक वर्ष से मज़दूरी नहीं मिली है। प्रदेश सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। यही हालात मनरेगा के कार्यान्वयन में भी है जिसमे करोडो रूपये का भ्रष्टाचार हुआ है। इसका तर्क देकर केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा के बजट पर रोक लगा दी है। इसलिए पश्चिम बंगाल के 2620.87 करोड़ रुपये मनरेगा में मज़दूरी के मद में केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं किये गए है। केंद्र सरकार भी इसका हल निकालने की बजाय इस पर केवल राजनीती कर रही है। इस सब के बीच मज़दूरों को मज़दूरी नहीं मिली है जिसके चलते उनमे भरी गुस्सा है। हमारी यूनियन की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी ने पुरजोर तरीके से इसे उठाया और मज़दूर भी बड़ी तादाद में 1 अगस्त को आंदोलन में शामिल हुए। केरल में भी सभी जिलों में मज़दूरों की जोरदार भगीदारी रही। मुख्य कार्यक्रम त्रिवेंद्रम में आयोजित किया गया था जिसको राज्य की इकाई KSKTU के राज्य सचिव ने सम्बोधित किया।

त्रिपुरा में भाजपा सरकार ने किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद सभी जिलों में विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। अगरतला में भी एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। अखिल भारतीय खेत मज़दूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव बी वेंकट ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के खेत और ग्रामीण मज़दूरों से मुद्दों के आधार पर प्रदेश की और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट आंदोलन विकसित करने का आहवाहन किया।

दक्षिण भारत के सभी राज्यों के लगभग ग्रामीण जिलों में यह प्रदर्शन आयोजित किए गए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सभी ज़िलों में बड़ी संख्या में खेत मज़दूरों ने इस आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित की। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी ज्यादातर जिलों में संयुक्त कार्यवाईयां आयोजित की गई। कर्नाटक के माण्डिया में उग्र अंदोलन हुआ जिसमे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया।

हिंदी भाषीय प्रदेशो में अखिल भारतीय विरोध दिवस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए

बिहार में सभी खेत मज़दूर संगठनों ने तय किया था कि प्रदर्शन प्रखंड स्तर पर आयोजित किये जाएंगे। अखिल भारतीय खेत मज़दूर यूनियन, भारतीय खेत मज़दूर यूनियन और अखिल भारतीय एवं ग्रामीण मज़दूर सभा ने मिलकर ज्यादातर प्रखंडों में प्रदर्शन आयोजित किये जिसमे बड़ी सख्या में मज़दूरों की हिस्सेदारी रही। उत्तर प्रदेश में 32 जिलों में संयुक्त कार्यवाईयां आयोजित की गई। विशेष तौर पर देवरिया जिले में विशाल प्रदर्शन किया और रैली भी निकाली गई जिसमे हज़ारों की संख्या में खेत मज़दूर शामिल हुए। कई जिलों में निचले स्तर पर भी प्रदर्शन किये गए। पंजाब में पहले से ही खेत मज़दूरों के आंदोलन राज्य के मुद्दों पर चल रहें है। अभी हाल ही में खेत मज़दूरों ने पंजाब के मुख्यमंत्री के घर का भी घेराव किया था। पहली अगस्त ने आंदोलन को निरंतरता दी और भागीदारी में भी बढ़ौतरी दर्ज की गई है। हरियाणा और राज्यस्थान में भी अच्छे प्रदर्शन आयोजित किए गए।

भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा नव–उदारवादी नीतियों और हिंदुत्व के एजेण्डे का अनुसरण खेत मज़दूरों और ग्रामीण गरीबों के जीवन को कठिन बना रहा है। इससे एकजुट संघर्षो द्वारा ही लड़ा जा सकता है लेकिन जनता को विभिन्न पहचानों के आधार पर उन्हीं ताकतों द्वारा विभाजित किया जा रहा है, जो हमारे देश पर शासन कर रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए खेत मज़दूरों के बीच काम करने वाले संगठनों ने मज़दूरों के साझा मुद्दों के आधार पर एकजुट कार्रवाइयों द्वारा एकता का विकास किया है। 1 अगस्त को हुई विरोध प्रदर्शनों ने इस एकता को मज़बूत किया है। देश का खेत मज़दूर अपने मुद्दों और एकता के आधार पर सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है। □

राजस्थान में स्थानीय मुद्रदा पर किसान का आन्दोलन

– छगन लाल चौधरी

राजस्थान कि अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में तीनों कृषि कानुनों की वापसी में भाहजहांपुर बार्डर पर शानदार जीत के बाद हम एक वर्ष के बाद राजस्थान में आये। भाहजहांपुर बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा और देश भर कि किसान सभा की शानदार भागीदारी रही जिसके लिए सभी को बहुत–बहुत धन्यवाद।

11 दिसम्बर 2021 को भाहजहांपुर से ''किसान विजय यात्रा'' भुरू की जो झुझनु, सीकर, चुरू, हनुमानगढ़, बिकानेर, नागौर, जयपुर, कोटा, बुन्दी, बारा जिलों में लगभग 100 मीटिंगों में स्वागत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ विजय यात्रा का नेतृत्व अमराराम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पेमाराम राज्य अध्यक्ष छग्गन लाल राज्य महामंत्री ने किया झुझनु जिलामंत्री मदनसिंह यादव जिला अध्यक्ष विधाधर सिंह गिल, चुरू जिला मंत्री उमराव सिंह जिला अध्यक्ष इन्द्रजीत सिंह नीर्मल कुमार राज्य कमेटी सदस्य, सीकर जिला मंत्री सागर खाचारीया, हरफूल सिंह राज्य संयुक्त मंत्री मंगलसिंह राज्य उपाध्यक्ष रूद्र सिंह बैगाराम मोहन सिहं फोजी, राम प्रसाद जांगीड़ महावीर राज्य कमेटी सदस्य, हनुमानगढ़ जिला से रामे वर वर्मा सीटू राज्य उपाध्यक्ष चन्द्रकला जनवादी महिला समिति राज्य अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बलवान पुनिया (विधायक) बिकानेर जिलाध्यक्ष गिरधारी माहिया (विधायक) जेठाराम जिला मंत्री, मोहन राम भादु राज्य कमेटी सदस्य सन्तलाल पुनिया (रिटार्यड प्रिसिपल) नागौर जिलामंत्री मोतीलाल भार्मा, जिला अध्यक्ष भागीरा नेतड़, कामरेड भागीरथ यादव, नारायण रामडुडी राज्य उपाध्यक्ष कानाराम बिजारणीया चुनाराम पालीयाल राज्य कमेटी सदस्य जयपुर रामजीलाल यादव जिला अध्यक्ष, भगवान राम भदाला जिलामंत्री गुरूचरण सिंह मोड़ राज्य को ाध्यक्ष, कोटा दुलीचन्द्र बोरदा राज्य उपाध्यक्ष हंसराज चौधरी, बुन्दी बाबुलाल के अलावा यात्रा में लगातार साथ रहने वाले हरीशंकर सांवरमल माण्डीया, लीलाधर यादव,

सुखाराम सेपट, सावंरपल डुडी बुद्धाराम महला सहित किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने किसान विजय यात्रा को शानदार बनाने में तन मन धन से शानदार सहयोग दिया। इलाके के किसानों कृ ा मंडियों ने विजय यात्रा में सहयोग किया।

राज्य के किसान विजय यात्रा 1 जनवरी 2022 तक पूरी हुई। उसके बाद जिला कमेटियों ने इस यात्रा को लेकर गावों तक गये और आन्दोलन की जीत को संगठन में परिवर्तन करते हुए राजस्थान कि सबसे बड़ी किसान सभा सदस्यता 3,28,505 वर्ष 2021–22 की बनाई गई जो पिछले वर्ष से लगभग दुगनी हो गई।

स्थानीय मुद्रदा को ले कर संघर्ष

राष्ट्रीय आंदोलन के बाद अखिल भारतीय किसान सभा ने राजस्थान में स्थानीय मुद्रदों पर आन्दोलनों का आगाज शुरू किया जिसमें सबसे महात्वपूर्ण और लम्बा आन्दोलन चूरू जिले का खरीफ 2021 के कृषि बीमा क्लेम के लिये तारानगर में 7 मार्च 2022 से धरना लगातार साढ़े तीन माह से जारी है। जिसमें नहर का मुद्दा भी है सरदार शहर में 24 मई 2022 से धरना एक माह से ज्यादा हो गया। चुरू जिला मुख्यालय पर 8 जून 2022 से और राजगढ़ सहित चुरू जिले के 181 पटवार मंडलों की राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के खिलाफ क्रोप कंटिग रिपोर्ट को केन्द्र और राज्य सरकार ने खारिज करते हुए सेटेलाइट से कषि बीमा क्लेम र्निधारण करना एस बी आई जनरल इन्सोरेंस कम्पनी के पक्ष में है।

जिले भर में धरना प्रद ान रास्ता जाम, बड़ी मीटिगों का आयोजन किया गया जिले में किसानों को 6 घन्टे अच्छी बिजली बकाया कृषि कनेक्शन देने, बकाया कृषि बीमा क्लेम के सीधे संघर्ष जारी है।

सीकर जिले के दातांराम गढ में पीने के पानी के सीधे भाानदार आन्दोलन किया और सफलता हासिल की गई। अभी सीकर जिले में टैक्टर की ट्रॉली के रजिस्ट्रेसन की बाध यता के खिलाफ आन्दोलन में लगभग एक हजार ट्रेक्टरों का धरना एक पखवाड़े से जारी है।

नागौर जिले के डिडवाडा में पीने के पानी के लिये भाानदार आन्दोलन किया गया। जिले भर में खान मज़दूरों को संगठित करने में जिले की किसान सभा सहयोग कर रही है।

झुझंनु जिलें में टोल टैक्स के खिलाफ लगभग एक माह से धरना जारी है कृषि कुंओं को छः घन्टे बिजली देने के आन्दोलन भी हुए। कोटा सान्भाग में लहसुन की सरकारी खरीद की मांग के लिये आन्दोलन जारी है।

हनुमानगढ़, गंगानगर बीकानेर जिलों में जिसमें नहरी पानी के लिये आन्दोलन हुए । श्री गंगानगर जिलें की किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चे ने आन्दोलनों को जीत में तब्दील किया।

□

महाराष्ट्र के नासिक में वनाधिकार कानून तथा अन्य मुद्दों पर विशाल रैली

– जे पी गावित

अखिल भारतीय किसान सभा की नासिक जिला काउंसिल ने गत 20 जून को डिवीजनल कमिश्नर कार्यालय पर 25,000 आदिवासी किसानों, महिलाओं तथा युवाओं की एक विशाल रैली का आयोजन किया। जिले की सभी 15 तहसीलों से हजारों की तादाद में आए आदिवासी किसानों ने इस रैली में भाग लिया। रैली में आए लोगों में हजारों की संख्या में महिलाएं तथा युवा भी शामिल थे।

गत 12 जून को नासिक जिले की सुरगाना तहसील के उम्बरथान में शहीद दिवस पर हुयी करीब 10,000 किसानों की एक आम सभा में अखिल भारतीय किसान सभा ने इस रैली का आह्वान किया था, जिसे अन्य लोगों के अलावा सी पी आइ (एम) पोलिट ब्यूरो सदस्यों– बृंदा कारात तथा अशोक ढवले और पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य जे पी गावित ने भी संबोधित किया था।

20 जून की नासिक रैली के मुख्य मुद्दे और मांगें इस प्रकार थींरू वनाधिकार कानून (एफआरए) को कड़ाई से लागू किया जाए– क्योंकि वर्ष 2006 में एफआरए पारित होने के बाद पिछले 16 वर्षों में इसका क्रियान्वयन बेहद असंतोषजनक रहा हैय मोदी निजाम की प्रस्तावित नदी जोड़ो योजना को निरस्त किया जाए–क्योंकि इससे महाराष्ट्र तथा गुजरात के कुछ जिलों के अनेक आदिवासी गांव डूब जाएंगेय प्रधानमंत्री आवास योजना को समुचित ढ़ंग से लागू किया जाए–क्योंकि लाखों आवेदक इससे बाहर छूट गए हैं और साथ ही इस योजना के लिए राशि को बढ़ाकर प्रति आवास 3 लाख रु0 किया जाएय सभी फसलों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए और उनकी खरीद की जाए–क्योंकि नासिक जिले में प्याज की कीमत में हाल में भारी गिरावट आयी हैय और मनरेगा का विस्तार किया जाए।

वर्ष 2018 के मार्च महीने में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से मुंबई तक आयोजित किसानों के लॉन्ग मार्च के बाद राज्य सरकार वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन को खाासतौर से नासिक, ठाणे–पालघर तथा अहमदनगर जिलों में तेज करने पर मजबूर हुयी थी, जहां अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में निरंतर संघर्ष

चलते रहे हैं। बहरहाल, आदिवासी किसानों के हजारों–हजार दावे अभी भी लंबित पड़े हैं। हजारों मामलों में वन जमीनों के पट्टे उस रकबे से कम के लिए दिए गए हैं, जितने रकबे पर ये किसान पीढियों से खेती करते आ रहे थे।

इससे भी बदतर बात यह कि 712 भूमि रिकॉर्डों में ऐसे भी मामले हैं कि जहां जमीनों के पट्टे तो दे दिए गए हैं, लेकिन उन जमीनों के मालिक के रूप में अभी भी वन विभाग को ही दिखाया जा रहा है और किसानों के नाम अन्य अधिकारों के कॉलम में दिए गए हैं। इन रिकॉर्डों में जमीन की गुणवत्ता श्खेती के योग्य न होनेच्य के रूप में दिखाई गयी है, जबकि वास्तविकता यह है कि किसान वर्षों से इन जमीनों पर फसल उगा रहे हैं। इन सब ने मिलकर किसानों के लिए किसी सरकारी योजना से लाभ लेना या बैंकों से ऋण लेना असंभव बना दिया है।

हजारों आवेदकों को इसके बावजूद प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना के तहत घर नहीं दिए गए हैं कि वे तमाम जरूरतों को पूरा करते हैं। इस योजना के तहत जो मामूली सी रकम मंजूर की जाती है, वह घर बनाने के लिए नाकाफी होती है। भारी बेरोजगारी के बावजूद केंद्र सरकार से मिलनेवाले फंड की कमी के चलते मनरेगा का क्रियान्वयन बेहद खराब है। पैट्रोल, डीजल तथा गैस की आकाश छूती कीमतों से जनता के तमाम तबके प्रभावित हो रहे हैं। यही वे कुछ मुद्दे थे, जिन्हें रैली के दौरान उठाया गया।

अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष तथा पूर्व–विधायक जे पी गावित के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और मांगपत्र पर उनसे बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो आनेवाले दिनों में संघर्ष को और तेज किया जाएगा।

रैली के बाद हुयी विशाल आम सभा की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डा0 अशोक ढवले ने की। जे पी गावित, सीटू उपाध्यक्ष डा0 डी एल कराड, अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष किशन गूजर, सीटू राज्य उपाध्यक्ष सीताराम थोंब्रे, अखिल भारतीय किसान सभा के नासिक जिले के नेताओं–सावलीराम पंवार, इरफान शेख, सुनील मालुसरे, सुभाष चौधरी तथा भीखा राठौड़ और डीवाइएफआइ के जिला अध्यक्ष, इंद्रजीत गावित ने इस सभा को संबोधित किया।

रैली के मुख्य मुद्दों के अलावा वक्ताओं ने भाजपा की केंद्र सरकार और उसकी देशविरोधी तथा युवाविरोधी अग्निपथ योजना और उसकी घृणित सांप्रदायिक तथा तानाशाहीपूर्ण साजिशों की कड़ी आलोचना की। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निगम तथा अनेक ग्राम पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी वक्ताओं ने आह्वान किया कि भाजपा को हराने और वामपंथी तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत बनाने के दोहरे उद्देश्य के साथ, पूरी ताकत से इन चुनावों की तैयारियां करें।

मुख्यधारा के मीडिया तथा सोशल मीडिया के तमाम हिस्सों ने इस रैली को शानदार कवरेज दिया।

□

हरियाणा किसान सभा सम्मेलनों व संघर्षों को सफल बनाने का आह्वान

– इंद्रजीत सिंह

हरियाणा राज्य कमेटी के निर्णय अनुसार 9 जुलाई को हिसार में किसान सभा के कार्यकर्ताओं का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें भूमि अधिग्रहण कानून (हरियाणा संशोधन),न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली विधेयक 2020, संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक, अग्निपथ योजना, प्रदेश में चल रहे आंदोलनों और संगठन संबंधी कामों पर चर्चा हुई।

इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए सम्मेलन से पूर्व हिसार जिला के खेदड़ गांव में 3 महीने से थर्मल पावर प्लांट और गौशाला कमेटी के बीच प्लांट से निकलने वाली राख के विषय को लेकर संघर्ष कर रहे आंदोलनकारियों पर 8 जुलाई को किये गए पुलिस लाठीचार्ज में शहीद किसान धर्मपाल को श्रद्धांजलि दी गई और खट्टर सरकार का पुतला फूंका गया।

फूल सिंह श्योकंद, शमशेर नंबरदार, डिंपल, छत्रपाल सिंह व दयानंद पूनिया पर आधारित अध्यक्ष मंडल की संयुक्त प्रधानता में कार्रवाई की शुरुआत हिसार जिला सचिव सतवीर धायल द्वारा विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं का स्वागत करने से हुई।

कार्यकर्ता सम्मेलन के उद्देश्यों पर साथी सुमित ने संबोधित किया और इंद्रजीत सिंह ने मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान में नरवाना, आदमपुर, बालसमंद, सिवानी ,बहल, तोशाम आदि स्थानों पर फसल खराबे के मुआवजे और अन्य ज्वलंत समस्याओं पर चल रहे धरनों से अर्जित उपलब्धियों पर आंदोलनकारी साथियों को क्रांतिकारी बधाई दी। इस पर जोरदार तालियों से हॉल गूंज उठा। उल्लेखनीय है कि ऑल इंडिया किसान काउंसिल ने आह्वान किया था कि संयुक्त आंदोलनों के अलावा स्वतंत्र तौर पर स्थानीय मुद्दों पर भी निरंतर आंदोलन द्वारा सफलताएं अर्जित करने की कार्य नीति पर चलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन करके इसे फिर से 2015 की तर्ज़ पर कर डाला जिसे मोदी सरकार करने में सफल नहीं हो पाई थी। इसी प्रकार आंदोलनों में संपत्ति क्षतिपूर्ति का एक अन्य खतरनाक कानून भी किसान आंदोलन के दौरान ही बना दिया।

इंद्रजीत सिंह साथियों को चंडीगढ़ व सतलुज–यमुना नहर आदि के मुद्दों को फिर से सुलगा कर हरियाणा और पंजाब की जनता की एकता को तोड़ने के प्रयासों के प्रति सचेत रहने की अपील की ।

इसके उपरांत जिलों से आए साथियों ने अपने अपने विचार व अनुभव रखे। राष्ट्रीय सह सचिव साथी वीजू कृष्णन ने उपस्थित साथियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्तर के ऐतिहासिक किसान आंदोलन में हरियाणा के संगठनों व जनता के योगदान की सराहना की। उन्होंने आज के संदर्भ में संयुक्त किसान मोर्चा को मजबूत करते हुए नई चुनौतियों का मुकाबला करने का आह्वान किया ।उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय किसान सभा देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है। पिछले साल की तुलना में किसान सभा की सदस्यता में 19 लाख की वृद्धि हुई है।

सीटू नेता सतवीर सिंह ने भी इस अवसर पर बोलते हुए किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और सीटू के संयुक्त नेतृत्व में ग्रामीण हरियाणा में वर्गीय आंदोलन को तेज करने की बात कही । राज्य प्रधान साथी फूल सिंह ने प्राथमिक इकाइयों के गठन की प्रक्रिया के बाद तहसील व जिलों के सम्मेलनों को करते हुए 29 –30 सितंबर को महम (रोहतक)में दो दिवसीय राज्य सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढावले व वित्त सचिव कृष्ण प्रसाद मौजूद रहेंगे।

महिला साथियों ने इस अवसर पर संघर्ष गीत गाया

अंत में राज्य कमेटी द्वारा प्रकाशित "आगे और लड़ाई है" पुस्तिका जारी की गई । गत 3 जुलाई को गाजियाबाद में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक के निर्णयों को लागू करने के लिए जिला स्तर पर सभी संगठनों से तालमेल करने को कहा गया। समापन के उपरांत साथी वीजू कृष्णन राज्य के नेतृत्व व अन्य साथियों सहित खेदड़ गांव गए और विशाल सभा में धर्मपाल सहारण को श्रद्धांजलि अर्पित की। □

हिमाचल किसान सभा (HKS) का 16वां सम्मेलन सम्पन्न

– सत्यवान पुण्डीर

हिमाचल किसान सभा का 16वां राज्य सम्मेलन 27–28 जुलाई 2022 को सोलन में ध्वजारोहण तथा आन्दोलन एवं संघर्षों के दौरान बिछुड़े साथियों को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुआ।

''कृषि में आज केवल समस्या नहीं बल्कि गहरा संकट है। इस संकट के चलते अब तक 4 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कृषि में लागत मूल्य तीन से चार गुणा बढ़ गया है लेकिन उस अनुपात में फसल का दाम नहीं मिल रहा'', इस बात का जिक्र 8 बार पश्चिम बंगाल से सांसद रहे अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) के राष्ट्रीय महासचिव कॉ. हन्नन मौल्ला ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए किया। उन्होंने कहा कि किसान सभा फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करती आ रही है लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अग्नीवीर जैसी योजना लाकर सेना को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। कॉ. हन्नन मौला ने कहा कि किसानों के सामने आज बहुत सी चुनौतियां हैं लेकिन सबसे बड़ा संकट उनके समक्ष कर्ज़ और फसल का उचित दाम न मिलना है। इसलिए किसान सभा को दोनों मोर्चों पर संघर्ष करना होगा।

उन्होंने कहा कि आज के निज़ाम में बिना संघर्ष किए कोई भी मांग हासिल नहीं की जा सकती। किसान आंदोलन के अनुभव सांझा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने आंदोलन को बदनाम करने और तोड़ने की भरपूर कोशिश की लेकिन किसानों की एकता के आगे सरकार को झुकना पड़ा। किसान विरोधी कानून वापिस लेने पड़े मगर सरकार अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के वायदे को पूरा करने में आनाकानी कर रही है जिसके लिए किसानों को संघर्ष तेज करना होगा।

सम्मेलन के पहले दिन किसान सभा के राज्य महासचिव डॉ. ओंकार शाद ने रिपोर्ट पेश की जिस पर प्रतिभागियों ने किसान सभा के समक्ष चुनौतियों, संगठन की कमज़ोरियों और मज़बूतियों पर चर्चा की।

किसान सभा के दूसरे दिन प्रदेश के 6 प्रमुख मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किये जिसमें 1) सेब की खेती पर संकट, 2) दूध के दाम एवं पशुपालन, 3) सब्ज़ी उत्पादन से जुड़े मुद्दे, 4) मनरेगा, 5) सार्वजनिक सेवाओं की मज़बूती तथा 6) भूमि अधिग्रहण प्रभावितों के मुद्दे पर प्रस्ताव शामिल थे।

हिमाचल किसान सभा तथा सेब उत्पादक संघ के पूर्व राज्य महासचिव तथा ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की रीढ़ सेब की अर्थव्यवस्था पर आज संकट मंडरा रहा है। सिंघा ने

बताया कि आज किसान–बागवान 1987 एवं 1990 की तर्ज पर लामबंद होने शुरू हुए हैं। क्योंकि सरकार ने कार्टन, ट्रे, खाद, कीटनाशकों की कीमतों में भारी वृद्धि करके ऊपर से GST बढ़ा दिया। ऐसे में किसानों के पास संघर्ष के इलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ***किसानों ने 5 अगस्त को 'संयुक्त किसान मंच' के बैनर तले प्रदेश सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन करने का फैसला किया है, सिंघा ने इसे सफल बनाने की अपील की।***

इस राज्य सम्मेलन के मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव कॉ. हन्नान मौल्ला तथा राष्ट्रीय सह सचिव एवं हिमाचल प्रदेश इकाई के प्रभारी डॉ बिज्जू कृष्णन ने भी सम्बोधित किया तथा देश के स्तर पर कृषि संकट के बढ़ते खतरों पर प्रतिनिधियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इन देशव्यापी नीतियों का स्थानीय स्तर पर भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता से चिन्हित करते हुए संघर्ष विकसित करने होंगे। कॉ. हन्नान मौल्ला ने कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री द्वारा वापस लिए जाने को ऐतिहासिक किसान आन्दोलन की ज़बरदस्त जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि अभी किसान आन्दोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि 6 सशर्त मांगों के साथ इसे वापस लिया गया है। लेकिन आज केन्द्र की सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है तथा आनन–फानन में उल्टे–सीधे निर्णय ले रही है जो किसानों के पक्ष में नहीं हैं।

डॉ बिज्जू कृष्णन ने केंद्र सरकार की 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल कोरे नारे देने से किसानों की स्थिति नहीं बदलने वाली। सरकार किसानों को गुमराह करती है और बड़े उद्योगपतियों को लाभ देती है, इन नीतियों को हमारे आम किसानों को समझना होगा और एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। डॉ बिज्जू ने फसल आधारित संगठनों को सक्रिय करने व व्यापक आंदोलन विकसित करने का भी आह्वान किया।

हिमाचल इकाई के राज्य के प्रभारी डॉ बिज्जू कृष्णन ने सम्मेलन में 37 सदस्यीय कमेटी का प्रस्ताव को पास कराया तथा नाम सदन में प्रस्तुत किए। 34 सदस्सीय कमेटी का चुनाव किया गया, 3 पद महिलाओं के लिए रिक्त रखे गए। 11 सदस्यों का सचिवमण्डल चुना गया। राज्याध्यक्ष की पुनः ज़िम्मेदारी डॉ कुलदीप सिंह तंवर को, राज्य महासचिव होतम सोंखला, राज्य वित्त सचिव पुनः सत्यवान पुण्डीर, उपाध्यक्ष की ज़िम्मेवारी कुशाल भारद्वाज, नारायण चौहान, पूर्ण ठाकुर व सतपाल को तथा राज्य सह सचिव की देवकीनंद, गीता राम, प्यारेलाल वर्मा एवं राजेन्द्र ठाकुर को ज़िम्मेदारी दी गयी। जिला कमेटियों के अध्यक्ष एवं सचिव तथा फसल आधारित संगठनों के अध्यक्ष एवं सचिव को राज्य कमेटी में शामिल किया गया। इसके साथ डॉ ओम प्रकाश तथा डॉ राजेंद्र चौहान को विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। साथ ही उन्होंने प्रदेश से 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमण्डल को अखिल भारतीय किसान सभा के केरल के कन्नूर में होने वाले राष्ट्रीय महासम्मेलन के लिए चुनाव किया।

सम्मेलन के समापन सत्र में कॉ. हन्नान मौल्ला ने अखिल भारतीय किसान सभा तथा संयुक्त किसान मोर्चा के भावी कार्यक्रमों पर चर्चा की तथा हिमाचल इकाई से देश के साथ चलकर प्रदेश में व्यापक किसान आंदोलन विकसित करने की अपील की।

नवनिर्वाचित राज्य महासचिव तथा राज्याध्यक्ष ने राज्य कमेटी सोलन, सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बिरादराना जनवादी संगठनों तथा मदद करने वाले सहयोगियों का योगदान के लिए धन्यवाद किया। साथ ही आगामी समय में प्रदेश में किसान आन्दोलन को व्यापकता से विकसित करने तथा संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने का आश्वासन दिया। □

मध्यप्रदेशः जीते किसान – रुका चम्बल का विनाश

चम्बल के किसान जीत गए हैं। अटेर से लेकर श्योपुर तक के किसानो के जोरदार आक्रोश और आंदोलन, उसे मिले समर्थन तथा अब ज्यादा बड़े आंदोलन की तैयारी से सहमी सरकार ने चंबल के बीहड़ में 404 किलोमीटर लंबा अटल एक्सप्रेस हाईवे बनाने की योजना फिलहाल रोक दी है। इस रोके जाने के पीछे उसने पर्यावरण मंत्रालय की आपत्ति को भैंस की पूँछ बनाया है मगर असली कारण पूरे चंबल के किसानो की जबरदस्त नाराजगी है। इसकी झलक हाल में हुए नगर और गाँवों के स्थानीय निकायों के चुनावों में दिखी जब कृषि मंत्री और इस चंबल का विनाश करने वाली परियोजना के सूत्रधार नरेंद्र सिंह तोमर के दोनों जिलों मुरैना और ग्वालियर में भाजपा बुरी तरह हार गयी।

इस योजना के तहत भिंड जिले के पास इटावा उत्तर प्रदेश से कोटा राजस्थान तक 404 किलोमीटर लंबी सड़क "अटल प्रोग्रेस वे" चंबल के बीहड़ों से होकर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था । अभी हाल ही में जमीन अधिग्रहण के नाम पर 10 हजार किसान परिवारों जिनके पास भूमि स्वामी स्वत्व है, को भिंड मुरैना श्योपुर कलां जिलों से विस्थापित किया जा रहा था। जिन्हें नाम के वास्ते जमीन या कुछ मुआवजा दिया जाना प्रस्तावित किया। इनके अलावा पीढ़ियों से बीहड़ की जमीन को समतल बनाकर खेती कर रहे लगभग 30 हजार किसान परिवारों को भी उजाड़ने की योजना, प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई। इन किसान परिवारों को किसी तरह की कोई जमीन या मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा था।

कुल मिलाकर थोड़ा बहुत कम नगण्य मुआवजा देकर किसानों को विस्थापित कर हाईवे का निर्माण कराने के उपरांत, चंबल के बीहड़ की बेशकीमती लाखों एकड़ जमीन को कॉरपोरेट्स को सौंपने की योजना प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई। यह जमीन कारपोरेट्स को सड़क के दोनों ओर एक एक किलोमीटर के कॉरिडोर में दी जानी थी। जिसमें न तो किसानों का हित देखा गया और न हीं पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र के नुक़सान का मूल्यांकन किया गया। जल्दबाजी में योजना स्वीकृत कर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। स्थानीय किसानों ने मध्य प्रदेश किसान सभा (अखिल भारतीय किसान सभा) के नेतृत्व में मार्च में भिंड, मुरैना और श्योपुर कलां में व्यापक आंदोलन किए। उसके बाद भी लगातार कार्यवाहियां जारी रही।

यह किसानों की बड़ी जीत है। मध्यप्रदेश किसान सभा

ने इस कथित राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा होते ही इसके खिलाफ खुद अपनी पूरी ताकत झोंक कर और बाकी सब को जोड़कर लड़ाई का एलान कर दिया था। भिंड के अटेर से मुरैना के श्योपुर तक यात्राएं निकाली थीं। गाँव गाँव जाकर सभाएं की थी , जिनमे इस एक्सप्रेस वे की आड़ में कारपोरेट के हाथों चम्बल की अत्यंत उपजाऊ जमीन सौंपने और हजारों परिवारों को बेघर करने तथा सड़क के दोनों तरफ एक एक किलोमीटर का कॉरिडोर बनाने की साजिशों की असलियत जनता के बीच रखी थी। किसान सभा के इस अभियान को सभी किसानो का समर्थन मिला था और एक चिंगारी देखते देखते एक ज्वाला में तब्दील होती जा रही थी।

किसान सभा ने इस अभियान में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इस आंदोलन के समन्वयक और मध्यप्रदेश किसान सभा के उपाध्यक्ष अशोक तिवारी और मुरैना जिले के प्रमुख वामपंथी नेता, सीपीएम जिला सचिव इस अभियान के दौरान एक गंभीर सड़क दुर्घटना के शिकार और गंभीर रूप से घायल हुए थे।

अखिल भारतीय किसान सभा ने चम्बल के किसानो तथा मप्र किसान सभा के साथियों को इस कामयाबी पर बधाई दी है। एआईकेएस अध्यक्ष डॉ अशोक ढवले तथा संयुक्त सचिव बादल सरोज ने उम्मीद जताई है कि अब किसानो को इस तरह से एकजुट किया जाएगा कि भविष्य में आने वाली साजिशों के खिलाफ उनके पास मजबूत संगठन हो।

चम्बल किसानो की जीत के चार सबक

इन दिनों की ख़ास बात "क्या हो रहा है नहीं है", इन दिनों की विशिष्ट पहचान या प्रभावी सिंड्रोम "अब कुछ नहीं हो सकता" का अहसास है। बड़े जतन, बड़े भारी खर्चे और योजनाबद्ध तरीके से इसे समाज के बड़े हिस्से पर तारी कर दिया गया है। यह भान पैदा कर दिया गया है कि जैसे अब उजाला सिर्फ स्मृतियों में रहेगा, कि अब कभी सूर्योदय नहीं होगा, कि अब सिर्फ भेड़ियों की गश्त हुआ करेगी – इंसान दड़बों में कैद रहा करेंगे, कि जैसे ये और जैसे वो, जैसे हैन और जैसे तैन, जैसे आदि और इत्यादि !!

ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ आम लोगों तक सीमित बात है, इन दिनों ये तकरीबन सबकी बात है दो चार दस की बात नहीं। उनकी भी जिन्हे समाज के प्रभु–वर्ग ने हमेशा दबाकर रखा, असहमति जताना तो दूर की बात थी, सवाल उठाने तक की इजाजत नहीं दी। इनकी बात समझ आती है मगर इन दिनों उनकी भी यह दशा है जिन्होंने खुद अपने जीवन में अनगिनत जुझारू लड़ाइयां लड़ीं, अक्सर तेवर दिखाए और कुर्बानियां दीं। उनकी भी नजर आती है जो अन्धेरा चीरने के लिए खुद शमा भी बने और लौ सुलगाये रखने के लिए उसी में भस्म हो जाने वाले परवाने भी बन गए , जिन्होंने सोते हुयों को जगाया लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हें भी, उनमे से अनेक को, लगने लगा है कि अब हालात बड़े मुश्किल हैं , कि अब कुछ नहीं हो सकता। यह पूरी तरह अनैतिहासिक है। लेकिन सवाल यह है कि है तो क्यों है ?

यह अचानक नहीं हुआ – इसे सायास किया गया है। हुक्मरानो ने अपने सारे घोड़े, गधे और खच्चर काम पर लगाकर अपने लिए, अपने अनुकूल, अपने लायक जनता और उसकी मानसिकता तैयार की है। हुक्मरानी की असली कलाकारी यही है। जैसा कि कार्ल मार्क्स कह गए हैं ; "पूँजीवाद सिर्फ लोगों के लिए माल नहीं पैदा करता, वह अपने माल के लिए लोग भी पैदा करता है।" उसने अपना वैचारिक वर्चस्व मजबूत किया है ; टीना (अब कोई विकल्प नहीं है) के सिंड्रोम को "अब यही नियति है" की नई नीचाई तक पहुंचाया है। यह मनुष्यता को उसके स्वाभाविक गुण – सवाल उठाने, असहमति जताने, प्रतिरोध करने, सुधार और बदलाव करने से वंचित करने का उपक्रम है। व्यक्ति को अधिकार सम्पन्न सजग नागरिक बनाने की जगह दास और गुलाम बनाने की कोशिश है।

ऐसा नहीं है कि यह अपने आप हो गया। इसके लिए ढेर सारे जाल बिछाये गए। इस शताब्दी की शुरुआत जिस धमाकेदार दिलचस्प उपन्यास "हैरी पॉटर" की सीरीज से हुयी थी उसमे इस तरह के द्वन्द की बहुत जबरदस्त गाथा है। इसमें डिमेंटर्स (दम पिशाच) हुआ करते थे, जो जैसे ही परिदृश्य में आते थे माहौल में अजीब सी नकारात्मकता और मुर्दगी छा जाया करती थी। वे व्यक्ति का उत्साह, जिजीविषा छीन लिया करते थे, उसे हताश बना देते थे। जिसे आलिंगन में ले लेते थे या चूम लेते थे उसकी आत्मा चूस लिये करते थे ; व्यक्ति एक अनुभूतिहीन, संवेदनाहीन निढाल देह बनकर रह जाया करता था। ठीक वैसे ही दमपिशाच आज चहुंओर हैं। वे सुबह सुबह अखबार की शक्ल में आ धमकते हैं, दिन भर, यहां तक कि रात में भी टीवी के रूप में बैडरूम में विराजे होते हैं। मोबाइल में भरे जेब में बैठे रहते हैं और दिन रात हिन्दू मुस्लिम करते हुए कान भरते रहते हैं, परिवार में नीची ऊंची जात और आदमी औरत के फर्क के रूप में विद्यमान होते हैं। वे एक साथ डराते भी हैं भड़काते भी हैं, सुलाते भी हैं, भटकाते भी हैं।

मगर मनुष्य सोचने समझने वाला प्राणी है – अक्सर वह कसमसा उठता है और इस मायाजाल को तोड़ देता है। मध्यप्रदेश में चम्बल किसानो की चम्बल, उसके बीहड़, गाँव और खेती बचाने की लड़ाई ऐसी ही कसमसाहट का ताजा उदाहरण है। केंद्र सरकार को इस विनाशकारी परियोजना को वापस लेने के लिए मजबूर कर देना एक बड़ी कामयाबी है ; इसी के साथ यह "अब कुछ नहीं हो सकता" सिंड्रोम का नकार भी है, इस सत्य का स्वीकार भी है कि संघर्ष अभी भी नतीजा पाने का सबसे कारगर तरीका है।

मप्र किसान सभा द्वारा छेड़ी गयी यह मुहिम यूं तो अपने आप में ही एक नजीर है , इसकी विस्तृत केस स्टडी कर दस्तावेजीकरण किया जाना , मगर फिलहाल इसके तीन पहलू अभी रेखांकित किये जाने की जरूरत है। एक ; किसी भी मुद्दे पर संघर्ष की अच्छी शुरुआत वही होती है जो उस विषय से जुड़े सारे तथ्यों को इकट्ठा करने और उसके आगामी फौरी तथा दूरगामी प्रभावों का अध्ययन करने से की जाती है। दूसरा ; जब नीयत, इरादे और आशंकाओं को सरल तरीके से रखने के लिए कष्ट और जोखिम उठाकर, जनता के बीच में जाया जाता है तो वह अपनी राजनीतिक – जातिगत संकीर्ण चेतना से बाहर निकलती है और उस मुद्दे के गिर्द एकजुट होती है। तीसरा यह कि उसकी यह जाग्रति और बेचैनी हर तरह से अभिव्यक्त होती है ; चम्बल और उससे जुड़े जिलों में हाल के चुनावों में सत्ता पार्टी की पराजय इसका एक उदाहरण है।

चम्बल के किसानो की यह पहली जीत नहीं है। इसके पहले दो बार सत्ता पोषित–संरक्षित मगरमच्छों के जबड़ों से उसने अपनी बीसियों हजार हैक्टेयर जमीन वापस निकाली है, जौरा नगर के 3000 घरों पर बुलडोजर चलाने की मंशा नाकाम की है। ऐसा ऐंवेई नहीं हुआ, इन सभी लड़ाईयों के नायकों और सैनिकों का श्रम, पाँव पाँव गाँव गाँव जागरण इसके पीछे है। जाहिर है कि सिर्फ जीतना भर काफी नहीं होता। इसकी एक क्रोनोलॉजी होती है ; अभियान सूखे मिट्टी के टीलों को भुरभुरा बनाता है, आन्दोलन उसे गीला करता है, संघर्ष उस गीली माटी को ईंटों का आकार देता है, जीत इन ईंटों को पकाती है। मगर फिर वही बात कि सिर्फ इतना भर काफी नहीं होता। इन ईंटों को व्यवस्थित तरीके से चिनकर भविष्य के लिए मजबूत दुर्ग, किले बनाने होते हैं। क्योंकि एक बार रगेद दिए गए भेड़िये दोबारा हमला बोल सकते हैं, ये किले उनसे बचाव और उनके मुकाबले के लिए जरूरी हैं।

उम्मीद है चम्बल किसानो ने अपने अभियान, आंदोलन, संघर्ष और जीत से जो ईंटे बनाई हैं वे तार्किक परिणाम तक पहुँचेंगी ; किसानो और मेहनतकश जनता के संगठन के मजबूत किलों में बदलेंगी।

□

हरियाणा पशुपालक व दुग्ध उत्पादक किसानों की राज्य कन्वेंशन

– दिनेश सिवाच

अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से पशुपालन व दुग्ध उत्पादक किसानों की राज्य स्तरीय कन्वेंशन 25 जून को जींद में आयोजित की गई कन्वेंशन की अध्यक्षता किसान सभा के राज्य अध्यक्ष फूल सिंह श्योकंद, राज्य कमेटी सदस्य योगेंद्र भूथन ने संयुक्त रूप से की। कन्वेंशन में पशुपालकों की रोजमर्रा की समस्याओं पर विचार किया गया और उनके समाधान के लिए संघर्ष की रूपरेखा बनाई। कन्वेंशन में किसान सभा हरियाणा के राज्य उपाध्यक्ष कामरेड इंद्रजीत सिंह एवं दिनेश सिवाच ने हरियाणा में पशुपालन किसानों की दशा, सरकार की योजनाएं और उनका धरातल पर लागू होने की स्थिति तथा नई आर्थिक नीतियों का प्रभाव आदि विषयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में नोट किया गया कि पशुपालकों का देश के विकास में बड़ा योगदान है। दुनिया में भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है ऐसे ही प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन में हरियाणा पहले स्थान पर है। हरियाणा की जीडीपी में पशुपालन का 5 प्रातिशत का योगदान है। हालांकि दुग्ध उत्पादन में हमारा देश पहले स्थान पर है परंतु घरेलू मांग पूरी करने के लिए भी और ज्यादा दूध की उत्पादन की जरूरत है। इसकी गुंजाइश भी है यदि सरकार का सहयोग हो तो ना केवल मांग पूरी हो सकती है बल्कि किसानों की आमदनी की बढ़ाई जा सकती है। परंतु नई आर्थिक नीतियों के लागू होने पर पशुपालन पर विपरीत असर पड़ा है। डब्ल्यूटीओ के दबाव के चलते दुग्ध उत्पादों पर आयात कर कम हो रहे हैं। आयात के लिए लगातार समझौते किए जा रहे हैं। डेनमार्क के साथ समझौता हुआ है। यदि वहां का दूध उत्पाद यहां आता है तो हमारा पशुपालन जो पहले से ही संकट में है उसको उजड़ना निश्चित है। विदेशी के साथ–साथ निजी पूंजी भी यहां मुनाफा देख रही है।

बीजेपी के सत्ता में आने के बाद गाय के नाम पर तथाकथित गौ रक्षकों के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी और आरएसएस गाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन कानून 2015 हरियाणा विधानसभा में पास किया है। पशु मेले बंद कर दिए गए हैं। इस कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। गाय पालने वालों पर, खरीद कर ले जाने वालों पर या बेचने वालों पर शारीरिक हमले किए जा रहे हैं। मुस्लिम और दलित इन हमलों का आसान शिकार बन रहे हैं। ये केवल मुस्लिम के खिलाफ ही नहीं जाते बल्कि जिस हिंदू समाज के नाम पर ये करते हैं उसके खिलाफ भी ये सीधे तौर पर हैं। कम दूध और राजनीतिक उद्देश्यों के कारण गाय वहनीय नहीं बची है। और वह आवारा सड़कों पर घूम रही है। किसान की फसल को खराब कर रही है।

हरियाणा में पशुपालन में गरीब और सीमांत किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर कारीगर दलित महिलाएं आदि तमाम तबके लगे हुए हैं। इन तमाम तबकों के बीच में महिलाओं का पशुपालन में भारी योगदान है जैसे सुबह चारा डालने, दूध निकालने, गोबर उठाने, पानी पिलाने, और शाम तक यह प्रक्रिया दोहराने में उनकी प्राथमिक भूमिका रहती है। पुरुषों की भूमिका पशुपालन में पशुओं का काम करने में कम की दूध बिक्री, बिक्री के पैसे लाने, पशु खरीद और बिक्री में ज्यादा रहती है। इसलिए बिना महिलाओं के पशुपालकों का संगठन सफल नहीं हो सकता। वहीं इसमें क्योंकि सभी तबके लगे हुए हैं इसलिए उन तमाम तबकों की समस्याओं उठाते हुए और उनको संगठन में बराबर की भागीदारी देने की जरूरत है।

रिपोर्ट में हरियाणा में पशुओं की बढ़ती हुई कीमतों और पशुपालन पर बढ़ती लागत पर भी चिंता प्रकट की गई। पशुपालकों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता है। लोन लेने में व्यापक भ्रष्टाचार है। सरकार का रुख भी पशुपालकों के पक्ष में नहीं दिखता। बीमा करने में, लोन देने में पशुओं के लिए चिकित्सा उपलब्ध कराने में, राज्य सरकार धीरे–धीरे कदम पीछे खींच रही है। दूध के लिए एमएसपी की गारंटी, जनतंत्र फंक्शनिंग वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़ी किए बगैर पशुपालन को मुनाफा देय नहीं बनाया जा सकता। कॉरपोरेट का मुकाबला कॉपरेटिव से ही किया जा सकता है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पशु पालन पर आने आने वाले खर्च, उन पर लगने वाली मजदूरी और उसके साथ 50 प्रतिशत जोड़कर रेट की गारंटी करने के लिए संघर्ष करना होगा। तथा साथ ही सोसाइटीज में जो किसान दूध देता है उसको मुनाफे में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और उत्पादों में भी हिस्सा मिले जैसे शुगर मिल में गन्ना कीमत के साथ–साथ से नहीं मिलती रही है।

हरियाणा में 1970 में जींद में विटा को ऑपरेटिव सोसाइटी बनी और उसके बाद नीचे गांव–गांव में सहकारी समितियां गठित की गई। जिसने यहां श्वेत क्रांति में भारी योगदान दिया पशुपालकों की भी इससे आमदनी पड़ी थी। परंतु धीरे–धीरे इस कोऑपरेटिव का चरित्र भी बदला है राजनीतिक हस्तक्षेप भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के चलते ढांचा कमजोर हुआ है। विटा मिल्क प्लांट में भी ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है। पशु पालकों को पेमेंट भी लेट मिल रही है। इसके दो तीन प्लांट भी बंद हुए हैं। ये सोसाइटी किसान से दूध सस्ता लेती हैं और बाजार में उत्पाद महंगे होते हैं। ये किसान और उपभोक्ता दोनों के लिए शोषण की स्थिति है। किसान सभा को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए जैसे महम शुगर मिल में कुछ हद तक कर पाए हैं। हालांकि वहां भी और ज्यादा जरूरत है। प्राइवेट सोसायटी भी मुनाफा कमाने के लिए आगे आ रही हैं। जिनमें स्थापित लक्ष्य डेयरी इसका उदाहरण है इसके अलावा यहां अमूल, नेस्ले और कुछ अन्य सोसाइटी के भी खरीद सेंटर हैं।

हरियाणा में 2019 की गणना के अनुसार भैंसो की संख्या 43 लाख है जो 2012 में 57.64 लाख थी वहीं गायों की संख्या 2019

में 19.32 लाख है जो 2012 में 18 लाख के मुकाबले कुछ बढ़ी है। गायों की संख्या बढ़ने के पीछे मेले बंद होना, कथित गौ रक्षकों के पशुपालकों पर हमले भी हो सकते हैं।

हरियाणा में डेयरी संचालक फैट के आधार पर दूध की कीमत तय करते हैं 100 प्रातिशत फैट पर 77 रुपए किलो के हिसाब से तय किए गए हैं। जबकि आमतौर पर फैट 55 से 65 प्रतिशत तक रहती है। औसत तौर पर देखें तो भैंस के दूध की कीमत 40 से 50 रुपये के बीच में मिलती है और गाय के दूध की कीमत 30 से 40 प्रति किलो के हिसाब से है। कुछ साथियों का मानना है कि गाय के दूध को कोप्रेटिव सोसाइटी ज्यादा ही कम रेट यानी 24 से 38 रुपए के बीच में लेती हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि डेयरी क्षेत्र में केरल मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। जहां किसानों को सहकारी समितियों में सघनता से जोड़ा गया है। और इन सहकारी समितियों को चलाने की जिम्मेदारी पशुपालकों की बीच से चुनी गई कमेटी की होती है। एक आदर्श सहकारी समिति अपनी आमदनी/टर्न आउट का 75 प्रतिशत उसके हिस्से दारों को लौटाने का होता है वही वहां की सहकारी डेयरी मिल्मा अपने हिस्से दरों को 83 प्रतिशत हिस्सेदारी देती है। इसके साथ–साथ पशुओं का और पशुओं के बच्चों का मुफ्त बीमा किया जाता है, सोसायटी सदस्यों को समय–समय पर बोनस व अन्य सुविधाएं दी जाती है। वहां की एलडीएफ सरकार द्वारा भी लोन देने की सरल प्रक्रिया के साथ–साथ पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हेल्थ सेंटर की नजदीकी व्यवस्था करती है, वही चारे पर भी दो से ढाई रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। हालांकि वह भी सुधार की जरूरत है और सहकारी समिति को कॉरपोरेट से मुकाबला करना पड़ रहा है फिर भी अन्य राज्यों की तुलना में उनका काम उदाहरणीय है।

कन्वेंशन को कन्वेंशन को डॉ रमेश चंद्र वह डॉ ने भी संबोधित किया। इसके साथ ही विभिन्न जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों ने गंभीरता से चर्चा करते हुए रिपोर्ट को समृद्ध किया।

अंत में एक 9 सदस्यीय कमेटी चुनी गई जिसका कन्वीनर दिनेश सिवाच को बनाया गया। कन्वेंशन में फैसला किया गया कि रूटीन गतिविधियों को छोड़कर मांग पत्र बनाते हुए स्थानीय स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा बनानी होगी। स्थानीय स्तर की समस्याओं पर फोकस करते हुए सी 2 प्लस 50 प्रतिशत फार्मूले के आधार पर आगे बढ़ना होगा और आने वाले समय में यह संगठन जिला स्तर और ग्रामीण स्तर पर बने। किसान, मजदूर, दलित, महिलाए, कारीगर, दुकानदार आदि सभी तबकों को संगठन में शामिल करने की योजना बनाई गई। इसके लिए एक अलग से सदस्यता अभियान भी चलाया जा सकता है।

रिपोर्ट में 9 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया और इसे बाद में और समृद्ध करने का फैसला भी लिया। तथा इन मांगों पर 27 जुलाई को जिला उपायुक्त को मांग पत्र देने का फैसला भी किया।

मांग पत्रदृपशुपालन और पशुपालकों पर आ रही समस्याओं पर अध्ययन की जरूरत है। अलग–अलग जिलों और क्षेत्रों में सर्वे करना होगा। दूध उत्पादन करने वाले किसानों का अध्ययन करके ही सही मांग पत्र तैयार किया जा सकता है ताकि सामने आ रही समस्याओं पर आंदोलन की ठोस योजना बनाई जा सके शुरुआती तौर पर निम्न मांगे जोड़ी जा सकती है।

1 स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दूध पर सी 2 प्लस 50 प्रतिशत फार्मूले के तहत एमएसपी दी जाए।

2 विदेशों से आने वाले दूध उत्पादों को खुली छूट ना दी जाए और उन पर आयात शुल्क बढ़ाया जाए।

3 सहकारी समिति विटा में सुधार किया जाए।

4 दूध समितियों के मुनाफे का उनके सदस्यों को भी हिस्सा मिले और दुग्ध उत्पादों को भी सदस्यों के बीच बांटा जाए।

5 पशुओं पर केसीसी और मुद्रा लोन की तर्ज पर लोन मिले।

6 आवारा पशुओं पर रोक लगाओ, पशु मेले खोले जाएं और तब तक पशुओं की खरीद सरकार करे।

7 सभी तरह के पशुओं के बीमा की जिम्मेदारी सरकार की हो और ब्याज रहित लोन दिया जाए।

8 पशुओं के लिए अस्पताल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और दवाइयां नजदीक उपलब्ध हो।

9 तथाकथित गौ रक्षकों पर रोक लगे और गांव की शामलात भूमि बे जमीनें किसानों के लिए उपलब्ध हो।

□

छत्तीसगढ़ में भूमि अधिकार आंदोलन का राज्यस्तरीय सम्मेलन

छत्तीसगढ़ के अनेक आदिवासी, किसान तथा सामाजिक संगठन, भूमि अधिकार आंदोलन तथा छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के राज्यस्तरीय सम्मेलन के लिए 29 जून को रायपुर में इक्कठे–हुए। दिन भर चले इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ के छत्तीसों स्थानों पर जल, जंगल, जमीन, खनिज और अन्य प्राकृतिक संपदा की रक्षा करने तथा जनतंत्र बचाने के लिए चल रहे आंदोलनों और उन पर किये जा रहे जुल्म तथा अत्याचारों का विवरण दिया तथा विस्थापन की बेदर्दी और पीड़ा को सामने रखा।

आलोक शुक्ला के संचालन में हुए इस सत्र में हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति से मुनेश्वर पोर्ते, रावघाट संघर्ष समिति से नरसिंह मंडावी, दलित आदिवासी मंच से राजिम केतवास, बेचाघाट आंदोलन के सरजू टेकाम, नया रायपुर किसान आंदोलन से रूपन चंद्राकर, आदिवासी महासभा के मनीष कुंजाम, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के जनकलाल ठाकुर, छत्तीसगढ़ किसान सभा के ऋषि गुप्ता, सर्व आदिवासी समाज से पूर्व सांसद अरविंद नेताम सहित जशपुर, कोरबा, धमतरी व अन्य स्थानों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इन सभी स्थानों पर मौजूदा सरकार सहित छग की सरकारें किस तरह कारपोरेट कम्पनियों के लिए आदिवासियों की बेदखली और गिरफ्तारियां, यहां तक कि फर्जी मुठभेड़ें तक करने में लगी रही हैं, उनकी हत्यारी मुहिम को संरक्षण देने में लगी रही हैं। सम्मेलन ने इन सभी जन आंदोलनों के साथ एकजुटता व्यक्त की।

सारकेगुड़ा नरसंहार की 10वीं बरसी के दिन हुए सम्मेलन में वक्ताओं ने बताया कि इस नरसंहार में आधा दर्जन से अधिक नाबालिग बच्चों सहित 18 आदिवासी मार दिए गए थे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस सारकेगुड़ा और एड्डसमेटा नरसंहार को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ी थी। पूरे बस्तर ने कांग्रेस को जिताया था और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे। तीन साल पहले एड्डसमेटा और सारकेगुड़ा नरसंहार की जांच आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। इन दोनों रिपोर्टों में दोषी पुलिस अधिकारियों को नामजद चिन्हित किया जा चुका है। लेकिन, किसी भी रिपोर्ट की एक भी सिफारिश लागू नहीं हुई है, एक भी हत्यारे के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। अभी 24 जून को ही कई महीनों से धरने पर बैठे पुसनार के आदिवासियों का मंच जेसीबी से ढहा दिया गया और सरकार के इस गैर–लोकतांत्रिक कुकृत्य के खिलाफ भी, आदिवासी बहादुरी से लड़ रहे हैं।

सम्मेलन में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, कश्मीर सहित 15 राज्यों के प्रतिनिधि भी शिरकत करने पहुंचे थे। इन राज्यों से आये प्रतिनिधियों ने कहा कि पूरे देश के किसान छत्तीसगढ़ के किसानों एक साथ खड़े हैं। किसान संघर्ष समिति के सुनीलम, लोक संघर्ष मोर्चा की प्रतिभा शिंदे, लोकशक्ति अभियान के प्रफुल्ल सामंत्रा, सर्वहारा जन आंदोलन की उल्का महाजन, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन के मनीष श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश किसान सभा के बादल सरोज, भारत जन आंदोलन के विजय भाई, आदि ने अपने–अपने राज्यों में चल रहे भूमि आंदोलनों का विस्तृत ब्यौरा रखा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आज देश में संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो लोग अपने हक़–अधिकारों की वकालत कर रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। देश की अधिकांश सरकारें, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के मुकाबले कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता दे रही हैं और देश के जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण को खुले आम कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए बेच रही हैं। इसलिए, सभी को मिलकर इस कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ, जनतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर आना होगा और ताकतवर भूमि आंदोलन खड़ा करना होगा। छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों की बातें सुनने के बाद उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार जाने के बाद और कांग्रेस के आने से भी, कोई

बदलाव आया नहीं है।

भूमि अधिकार आन्दोलन – छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के इस सम्मेलन की शुरुआत देश के वरिष्ठ किसान नेता, अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मौल्ला ने की। उन्होंने कहा कि मोडानी मॉडल जल, जंगल, जमीन और जनतन्त्र को मिटाकर, प्राकृतिक सम्पदाओं को लूटने वाला मोदी–अडानी मॉडल नही चलेगा। उन्होंने कहा कि इन प्राकृतिक संसाधनों पर समाज का अधिकार है, लेकिन आज इसे पूंजी की ताकत और सत्ता के संरक्षण में हड़पने की कोशिश की जा रही है। भूमि अधिकार आंदोलन के विकास की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस मंच के जरिये सरकार की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ एक नया प्रतिरोध आंदोलन विकसित हो रहा है। उन्होंने घोषणा की कि इस राज्य सम्मेलन के बाद, 17–18 अगस्त को भोपाल में भूमि अधिकार आंदोलन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा, जिसमें देश भर के आंदोलनों पर बात कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा जनांदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की मेधा पाटकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में असंवैधानिक रूप से जमीन हड़पने की कोशिशें हो रही हैं, जिनका विरोध किसान और आदिवासी समाज कर रहा है। यह आर्थिक शोषण का दौर है, जो जीवन के अधिकार का हनन कर रहा है। विकास के जिस मॉडल की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसका स्पष्ट उदाहरण आज देश के हर राज्य में जंगलों के विनाश, खेती की जमीन को बांध बना कर डुबो देने, विस्थापन के माध्यम से लोगों को उजाडने़, के रूप में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़, झारखण्ड और ओडिशा में आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधनों पर हमले तेज हुए हैं। हम सब लोग मिल कर नहीं लड़ेंगे, तो न हम बचेंगे और न समाज बचेगा। इस संदेश को गांव–गांव तक पहुंचाना होगा और विकास की वैकल्पिक नीति को देश के सामने रखना होगा। उन्होंने कहा कि जिस हसदेव अरण्य को बचाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विपक्ष में रहकर प्रतिबद्धता जता रहे थे, आज वही इसे उजाडने़ के लिए अनुमति दे रहे हैं। हसदेव के साथी मजबूती से अपने जंगल–जमीन बचाने के लिए आंदोलनरत हैं और पूरा देश आज उनके साथ खड़ा हुआ है।

सर्वहारा जन आंदोलन, महाराष्ट्र की उल्का महाजन ने कहा कि हसदेव अरण्य की लड़ाई किसी एक प्रदेश या किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं है। यह पूरे देश की आबोहवा और पर्यावरण को बचाने की लड़ाई है, जिसे हर हाल में जीतना ही होगा। हमें यह घोषणा करनी होगी कि हमारे जंगल, हमारी जमीन, हमारा पानी, बिकाऊ नहीं हैं। इन पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, इसलिए ये मुनाफा कमाने की वस्तुएं नहीं हैं। हम इसे आजीविका के साधन के तौर पर देखते हैं।

सम्मेलन की शुरुआत में छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज देश में सत्ताधारी पार्टियां जहां एक तरफ सांप्रदायिकता, धार्मिक विभेदीकरण जैसे मुद्दे पर चुप्पी लगाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट लूट को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। ऐसे समय में जनांदोलनों के ऐसे सम्मेलन का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने जन आंदोलनों और संगठनों के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित किया।

सम्मेलन ने 8 सूत्रीय मांग पत्र स्वीकार किया, जिस पर अगले दो महीनों तक पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा तथा जिलों में भी सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे और अक्टूबर में राज्यव्यापी आंदोलन संगठित किया जाएगा। मांग पत्र इस प्रकार है

1. छत्तीसगढ़ में पेसा कानून के प्रावधानों सहित 5 वीं अनुसूची के क्षेत्रों में अनुसूची के संरक्षात्मक प्रावधानों का अक्षरशरू पालन करते हुए कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए भू–हस्तांतरण पर रोक लगाई जाये।
2. हसदेव, सिलगेर, बस्तर और कोरबा सहित पूरे प्रदेश में विकास के नाम पर आदिवासियों के हो रहे विस्थापन व ज़मीनों के डायवर्जन पर पूरी तरह रोक लगाओ।
3. भूमि–अधिग्रहण कानून, 2013 का शब्दशरू पालन करो। बिना इस कानून को लागू किए जो भूमि अधिग्रहीत की गयी है, उसे मूल किसानों को वापिस किया जाये।
4. बस्तर में हुए जनसंहार की जांच रिपोर्टों पर तत्काल कार्यवाई करो ताकि दोषियों को उचित सज़ा दी जा सके। बस्तर में हो रहे सैन्यीकरण पर रोक लगाओ व फर्जी मामलों में जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को तत्काल रिहा करो।
5. शांतिमय और लोकतान्त्रिक जनवादी आंदोलनों के आयोजनों पर थोपी गईं गैर–कानूनी पाबंदियों को वापस करो और जनअधिकार व मानवाधिकार के लिए आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लो।
6. विकास के नाम पर विस्थापन व पर्यावरण विनाश की योजनाएं तुरंत रद्द हों।
7. संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाये और ठेका पद्धति द्वारा मजदूरों के शोषण की परिपाटी को खत्म किया जाये।
8. छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये और सी–2 लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य मिलने की गारंटी कानून बनाकर दी जाए। □

खेत, खेती, गांव बचाओ–किसान बचाओ– देश बचाओ
बिहार में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की प्रमंडल स्तरीय किसान कन्वेंशन

– मदन प्रसाद

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से प्रमंडल स्तरीय किसान कन्वेंशन का आयोजन 2 जून को मुजफ्फरपुर के भगवानपुर स्थित सहजानंद सरस्वती किसान भवन में किया गया।

कार्यक्रम की शुरूआत महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने एवं बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के साथियों द्वारा किसानों की समस्याओं पर रचित गीत की प्रस्तुति से हुई।

कन्वेंशन का संचालन 8 सदस्यीय अध्यक्षमंडल द्वारा किया गया जिसमें किसान सभा के चंद्रेश्वर प्रसाद चौधरी, एआइकेएफ के चंद्रमोहन प्रसाद, एआइकेकेएमएस के तारकेश्वर गिरी, एआइकेएमकेएस के उदय चौधरी, एआइकेएमएस के रूदल राम, स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान संगठन के शंभू शरण ठाकुर, एआइकेएस के मदन प्रसाद एवं नागरिक समाज के शाहिद कमाल शामिल थे।

कन्वेंशन में सर्वसम्मति से 5 सूत्री प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें उत्तर बिहार की नदियों से प्रभावित परिवारों तथा विशेषज्ञों की राय से, जलप्रबंधन कर सिंचाई तथा जलनिकासी की योजना बनाने, तटबंध का खेल सरकार द्वारा बंद करने, चार जिलों को बाढ़ से सुरक्षा के नाम पर बागमती नदी के बेलवा तथा बूढ़ी गंडक नदी पर मीनापुर (मुजफ्फरपुर) तक नदी जोड़ (65किमी) योजना की लूट पर रोक लगाने, बागमती नदी पर नये तटबंध निर्माण के सवाल पर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी के इलाके में जनविरोध को देखते हुए, तटबंध निर्माण तथा तटबंध ऊंचीकरण योजना पर सरकार द्वारा पूर्व में गठित रिव्यू कमिटी की बैठक जल्द बुलाने, जलवायु परिवर्तन के कारण विगत चार वर्षों से असमय आने वाली आंधी, वर्षा, ओलावृष्टि, बाढ़ से खरीफ गेहूं, दलहन, तिलहन, आम, लीची, सब्जी, केला की व्यापक क्षति से किसानों की सुरक्षा हेतू सरकार द्वारा ठोस प्रबंध किए जाने, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर तथा पूर्वी–चम्पारण के किसानों तथा मजदूरों के जीवन की सुरक्षा हेतू बंद पड़ी चीनी मिल को चालू कराने हेतु बिहार सरकार द्वारा शीघ्र पहल किए जाने की मांगें शामिल हैं।

कन्वेंशन का उद्देश्य प्रस्तुत करते हुए, बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव अशोक प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में किसान आंदोलन को खड़ा करना आज वक्त की जरूरत है।

कन्वेंशन को संबोधित करने वालों में अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री नंदकिशोर शुक्ला भी थे। उन्होंने विस्तार से ऐतिहासिक किसान आंदोलन की चर्चा की और जोर दिया कि एमएसपी सहित आज की समस्याओं जैसे लंबित अन्य मांगों, बिहार की विशेष समस्याओं, बंद चीनी मिलों, वैज्ञानिक जल प्रबंधन की कमी, जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष बिहार को बाढ़ या सूखे का सामना करना पड़ता है, फसलों की खरीद के लिए खरीद केन्द्रों की भयंकर कमी, पशु पालकों को दूध की उचित कीमत ना मिलना और मंहगा चारा खरीदने की मजबूरी, गरीब भूमिहीनों को सरकारी जमीन से बेदखल किया जाना, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों की बस्तियों को बुलडोजर द्वारा तोड़ कर बेदखल किया जाना और समाज की एकता को तोडने के लिए साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण तेज करना, इन सभी के खिलाफ एक मजबूत अभियान और संयुक्त संघर्ष तेज करने की जरूरत है।

अन्य वक्ताओं में डॉ आनंद किशोर, अशोक बैठा, मुकेश मिश्रा, रामबृक्ष राम, लालबाबू महतो, अमरेश कुमार सिंह, भूपनारायण सिंह, भवचंद्र पांडे भानु, अरुण शुक्ला, जयप्रकाश यादव, काशीनाथ सहनी, त्रिभुवन राय, रामनाथ राय, जालंधर यादव, नमिता सिंह, आफताब अंजुम आदि शामिल थे।

कन्वेंशन में जल जमाव, बाढ़–सुखाड़ एवं आवारा पशुओं के आतंक से मुक्ति, एपीएमसी एक्ट 1960 की पुनरू बहाली, सभी के लिए प्रीमियम मुक्त फसल बीमा, सभी फसलों के लिए सी–2 के आधार पर लागत का डेढ़ गुना दाम की कानूनी गारंटी, दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर,दूध पर 10 रुपया बोनस, धान एवं गेहू अधिप्राप्ति में हो रही लूट पर पूर्ण पाबंदी, लीची एवं आम सहित सभी तरह के फल उत्पादकों को सरकारी सहायता, सभी प्रकार के कर्जों से किसानों की मुक्ति, बंद चीनी मिलों को चालू कराने तथा गन्ने का दाम 600 रुपया क्विंटल तय करने, जमीन का सरकारी लगान एवं रजिस्ट्री फीस में बेतहाशा वृद्धि वापस लेने, चकबंदी के नाम पर हो रहे किसानों की लूट पर रोक, प्रस्तावित बिजली बिल 2021 की वापसी, आसमान छूती महंगाई से मुक्ति, साठ साल की उम्र से सभी पुरुष एवं महिला किसानों को 10000 रुपया मासिक पेंशन की मांग को लेकर, आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया गया।

कन्वेंशन में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, राकेश टिकैत पर जानलेवा हमले के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। □

उत्तराखंड में किसान दिवस मनाया गया

– गंगाधर नौटियाल

राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाकर किस तरह ईष्ट इंडिया कम्पनी के देश पर कब्जा कर देश को गुलाम बनाया,जब उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में दो राजाओं का एक कुमायूं व एक गढ़वाल का राजा थे, 1803 में नेपाल के राजा ने इन दोनों राजाओं पर हमला किया, जिसे गोरख्याणी के नाम से जाना जाता है, दोनों को हराकर अपना राज्य स्थापित कर दिया था। गढ़वाल में 1803 में भयंकर भूकम्प भी आया था और आर्थिक रूप से भी राजा काफी कमजोर हो गया था,गढ़वाल का राजा उस युद्ध में भाग कर देहरादून चला या था, जहां गोरखा सेना ने उनका कत्ल कर दिया था। जब अंग्रेजों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने राजा के वंशजों से संम्पर्क कर पुनः अपना राज्य हासिल करने के लिए मदद दी और नेपाली राजा हार गया, अंग्रेज अच्छी तरह जानते थे कि राज परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी मदद के एवज में मोटी रकम का मांग की और पैसा न होने की वजह को राज परिवार को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा, अब राज्य जिस हिस्से पर अंग्रेजों का शासन हो गया था वह ब्रिटिश गढ़वाली कहा जाने लगा, और अंग्रेजों ने उसे गढ़वाल जिला बना दिया, शेष भाग पर पुनः राजा का शासन हो गया जो, टिहरी रियासत हो गयी। कुमायूं को अंग्रेज पहले ही गुलाम बना चुके थे और अंग्रेजों के शासन में नैनीताल व अल्मोड़ा के नाम से दो जिले भी बन गये, अंग्रेजों ने नैनीताल, अल्मोड़ा व ब्रिटिश गढ़वाल को मिलाकर कुमायूं कमिशनरी बनाई, जिसका मुख्यालय नैनीताल था। पहले पूरे पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों का प्रबन्धन जनता के हाथ में था गांव के लोग अपनी पंचायत में जंगल को पालने व काश्त करने का स्वयं निर्णय लेते थे और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, किन्तु अंग्रेजों ने अपने ब्योपार के लिए जंगलों का इस्तेमाल करने के लिए गांवों की सरहद पर मुन्यारे(पत्थरों के पिलर) बनाकर गांवों के चारों ओर सीमित सीमा छोड़कर सारे जंगलों को आरक्षित वन बनाकर लोगों से उनके जंगल छीनकर जनता के कश्य पर प्रतिबंध लगा दिया वन विभाग की स्थापना कर , वनाधिकारियों के साथ गांवों में फोरेस्ट गार्ड नियुक्त कर दिये, गांव की महिलायें व लोगअपने पशुओं की चार पत्ति, या जलाऊ लकड़ी व आदि के लिए जंगल में जांय तो फोरेस्ट गार्ड उनके हथियार छीन दे, चालान करें और लोगों को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाकर मनमाना जुर्माना भरना पडे। इस व्यवस्था से तंग आकर सम्पूर्ण कमिशनर के लोगो द्वारा 1911 से 1921 तक लम्ब आन्दोलन चला, लोगों ने यह कहकर कि हमारा इन जंगलों से कोई सम्बन्ध नहीं है तो जंगलों को जला दो, जंगलों को फूंकना शुरू किया गया, कई मुकदमा दर्ज हुए लोग जेल गये किन्तु आन्दोलन रुका नहीं और जनांदोलन के सामने झुककर ब्रिटिश सरकार ने कुमायूं कमिशनर की अध्यक्षता में आन्दोलन के कारणों की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसने जात के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पहाड़ के लोगो का जंगलों से गहरा रिश्ता है, यहां तक कि म ई और जून के दो माह में लोगों के पास अपने पशुओं के चारे के लिए बांझ की पत्तियों के अतिरिक्त कोई साधन नही है और सरकार द्वारा उनके अधिकारों पर हस्तक्षेप करने से लोगों में गुस्सा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगो के जंगलों के हक तय किये गये तथा 1930 में वन पंचायत ऐक्ट बनाकर पंचायती वों का प्रबन्धन गांववासियों को दिये गये। अंग्रेजों के तर्ज पर टिहरी के राजा ने भी जंगलों पर प्रतिबंध लगाये, जिसके बिरोध में किसानों का अपना कोई संगठन न होने के बावजूद हजारों किसान तिलाड़ी के मैदान में इकठ्ठा हुए जिस पर राजशाही की पुलिस नेत्र अन्धाधुन्ध गोलियां चलाई कार किसान शहीद हुए, लेकिन किसान बिचला नहीं हुआ और प्रभामंडल ककी स्थापना कर राजशाही के खिलाफ लम्बा संघर्ष चला, शार्दूल सुमन की जेल में 84 दिन की भूखहड़ताल व शहादत के बाद 11जनवरी 1948 को कीर्तनगर में राजशाही की पुलिस की गोली से का. नागेन्द्र सकलानी व मोलू भरदारी की शहादत और चन्द्रसिंह गढ़वाली के नेतृत्व में दोनों शहीदो की अर्थी के साथ लाखों किसानों ने टिहरी राजा के राजमहल पर तिरंगा झंडा हराकर राजशाही का अन्त कर टिहरी रियासत का भी स्वतंत्र भारत में विलय कर दिया।

उत्तराखंड किसान सभा हर वर्ष 30 मई को किसान दिवस के रूप में मनाती है, 30 मई को सीटू का स्थापना दिवस भी है इसलिए इस वर्ष भी 30 मई को किसान सभा व सीटू ने सामूहिक रूप से किसान दिवस व सीटू के स्थापना दिवस पर जगह–जगह सामुहिक कार्यक्रम आयोजित किये।

किसान दिवस के मौके पर चन्दनगर, जनपद रुद्रप्रयाग में किसानों व मजदूरों ने सामूहिक रूप से तिलाड़ी के शहीदौ को श्रद्धांजलि दी, किसान दिवस के साथ साथ सीटू के स्थापना दिवस के रुप में वक्ताओं ने वर्तमान हालात को बदलने के लिए मजदूर किसानों की व्यापक एकता पर जोर देते हुए संगठित आन्दोलन बनाने की अपील की।

उत्तराखंड बनने केबाद यहां बनने वाली सरकार की योजनाओं में पुनः पंचायतों व जनता को दरकिनार कर घोर अलोकतांत्रिक तरीके से कम्पनियां के माध्यम से बहुत ही क्रूर तरीके से उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन को नष्ट किया जा रहा है, इनकी हिफाजत के लिए भी किसान सभा सहित अनेक संगठनों द्वारा लगातार संघर्ष जारी हैं। □

झारखंड को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर राहे प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन

– सुफल महतो

ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग पर राहे प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए में झारखंड राज्य किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष सुफल महतो ने कहा झारखंड में सूखे की भयावह स्थिति है, इस वर्ष 65 से 75 प्रतिशत कम वर्षा होने से धान की रोपनी की स्थिति चिंताजनक है। खेती,किसानी खतरे में है। राहे सहित झारखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्यव्यापी धरना/प्रदर्शन किया गया। सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने पर केन्द्र एवं राज्य सरकार गंभीर नहीं है। पूर्व जिला परिषद सदस्य रंगोवती देवी ने कहा सुखाड़ के मुद्दे पर जनप्रतिनिधि बहरे गूंगे बने हुए हैं। इस मुद्दे पर आर–पार की लड़ाई लड़ना होगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम 10 सूत्री ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। मुख्य मांगों में झारखंड को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने,राहे को पूर्ण सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने, किसान के सारे कर्ज माफ़ करने, सूखे के मद्देनजर किसानों को प्रति एकड़ 17 हज़ार रुपए मुआवजा देने, वैकल्पिक खेती हेतु किसानों को निशुल्क बीज,खाद की गारंटी करो, सुखाड़ की परिस्थिति में काम के बदले अनाज सहित राहत योजनाओं को चालू करो, मनरेगा में 200 दिन काम एवं 600 रुपए मजदूरी, सुखाड़ की परिस्थिति में बिजली विल माफ़ करो, प्रति परिवार 40 किलो मुफ्त अनाज की गारंटी, किसानों को यूरिया,डी,ए,पी, उचित दर पर देने की गारंटी करो, मनमानी दर पर बिक्री पर रोक लगाने आदि मांगे शामिल थे।इस अवसर पर किसान नेता जयपाल मुंडा, सुरेन्द्र बैठा,पोलीराम गोंझू,श्रवन मुंडा,मुंगा महली,शंकर मुंडा, अनन्त मुंडा,नरेश चन्द्र महतो ,तेवारी मुंडा, नेपाल बड़ाइक, विष्णु महतो,घासी राम महतो, राजेश्वर प्रजापति, श्रीकांत मुंडा सहित काफी संख्या में किसान उपस्थित थे। □

हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच की ऐतिहासिक किसान आक्रोश रैली व सचिवालय घेराव

– संजय चौहान

5 अगस्त को संयुक्त किसान मंच के बैनर तले ऐतिहासिक किसान आक्रोश रैली व सचिवालय घेराव का सफल आयोजन किया गया। शिमला, कुल्लू, किन्नौर, चंबा और मंडी जिले के पहाड़ी इलाकों के हजारों सेब उत्पादक नवबहार चौक पर एकत्र हुए और सचिवालय तक मार्च निकाला। यह विशाल रैली विभिन्न रंगों से भरी हुई थी, स्थानीय वाद्ययंत्रों की गूंज नारों से मिल कर उत्साहजनक धवनी को जन्म दे रही थी। पुरे जोशा के साथ सरकार से आर–पार की लड़ाई के इरादे लिए प्रदेश भर से किसान राज्य की राजधानी में पहुचें थे।

इस रैली के दबाव के चलते सरकार को पुनः संयुक्त किसान मंच द्वारा दिए गए 20 सूत्रीय मांगपत्र पर बैठक के लिए मजबूर होना पड़ा। सचिवालय से मुख्यमंत्री व मंत्रियों की अनुपस्थिति में मुख्यसचिव, कृषि विभाग के सचिव, बागवानी विभाग के सचिव, एचपीएमसी के प्रबन्ध निदेशक तथा मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक प्रदेश सरकार की तरफ से इस बैठक में उपस्थित रहे, संयुक्त किसान मंच के सभी घटक संगठनों के 30 प्रतिनिधियों ने इस में भाग लिया। बैठक में 28 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता हुई बैठक में संयुक्त किसान मंच द्वारा दिए गए 20 सूत्रीय मांगपत्र पर पुनः चर्चा की गई। अधिकारी संयुक्त किसान मंच के प्रतिनिधमंडल द्वारा उठाये गए मुद्दों का कोई भी संतोषजनक उत्तर नही दे पाए और इन मांगों के अमल के लिए फिर से 10 दिन का और समय मांगा। इसके बाद संयुक्त किसान मंच की बैठक आयोजित की गई तथा इसमे निर्णय लिया गया कि यदि सरकार 16 अगस्त तक इन मांगों को मानकर इन पर अमल नही करती तो 17 अगस्त से जेल भरो आंदोलन आरम्भ किया जाएगा।

संयुक्त किसान मंच मांग कर रहा है कि, कृषि व बागवानी के लिए इस्तेमाल होने वाले पैकेजिंग सामग्री जिसमे कार्टन व ट्रे शामिल हैं पर जीएसटी समाप्त किया जाए तथा जो सरकार ने फिलहाल 6 प्रतिशत जीएसटी वापिस करने का निर्णय लिया है उसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि बागवानों को परेशानी न उठानी पड़े। सरकार द्वारा तय की गई प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और इससे लाखों बागवानों को परेशानी होगी। छोटा व सीमान्त बागवान को इसमे सबसे अधिक नुकसान पहुचेगा। संयुक्त किसान मंच सरकार से मांग कर रहा है की बाज़ार में कार्टन के दाम कम करे तथा कार्टन निर्माता को जीएसटी ई– वे बिल की उचित जांच पड़ताल कर उसे सरकार जीएसटी वापिस करे। इससे जीएसटी की चोरी पर भी रोक लगेगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। इसके साथ बागवानों को भी राहत मिलेगी।

संयुक्त किसान मंच प्रदेश में सभी मंडियों में एपीएमसी कानून, 2005 को सख्ती से लागू करने की मांग भी करता रहा है। एपीएमसी व आढ़तियों व खरीददारों की मिली भगत से प्रदेश के लाखों किसानों व बागवानों से हर वर्ष सैंकड़ों करोड़ रुपए की लूट की जा रही है। मंडियों में 20 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति पेटी की गैर कानूनी कटौती, लेबर, छूट, बैक चारजिज, ढाला आदि के नाम पर की जाती है। जबकि 20 किलो की पेटी की मजदूरी केवल 5 रुपये प्रति पेटी तय की गई है और कानून के अनुसार इसके अतिरिक्त कटौती किसान बागवान से नही की जा सकती है। इस पर सरकार का ढुलमुल रवैया है और स्टाफ की कमी का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। इसके अतिरिक्त किसानों व बागवानों से शोघी व अन्य चैक पोस्ट पर ली जा रही गैर कानूनी मार्किट फीस पर रोक तथा इन चैक पोस्टों को बन्द करने की मांग करते रहे है । इसके अतिरिक्त सेब व अन्य सभी कृषि उत्पाद वजन के हिसाब से बेचने के लिए बैठक में अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि किनौर की टापरी मण्डी में इसी वर्ष से वजन के हिसाब से सेब बेचना आरम्भ कर दिया जाएगा तथा धीरे धीरे सभी मंडियों में लागू किया जाएगा।

प्रदेश सरकार के साथ बात चीत में मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि कश्मीर की तर्ज ओर मण्डी मध्यस्थता योजना(एमआईएस) लागू करने व सेब पर आयात शुल्क 100 प्रतिशत करने के लिए सरकार केन्द्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाएगी।इसके अतिरिक्त किसानों के द्वारा लिये गए कर्ज को माफ करने तथा कर्जा वसूली के नोटिस वापिस लेने की मांग पर मुख्यसचिव ने आश्वासन दिया कि कर्जा

मुआफी की मांग को सरकार के समक्ष रखेंगे क्योंकि यह नीतिगत फैसला है जहां तक कर्जा वसूली के बैंक द्वारा जारी नोटिस पर रोक के लिए वह आदेश जारी करेंगे।

मुख्यसचिव की बैठक के पश्चात संयुक्त किसान मंच की बैठक आयोजित की गई जिसमे सरकार के किसानों व बागवानों की मांगों को लेकर लचर रवय्ये पर हैरानी जताई गई और बावजूद इसके कि 28 जुलाई को मुख्यमंत्री द्वारा सभी मांगों को उचित मानने के बावजूद एक भी माँग को जमीनी स्तर पर नही उतारा गया है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि सरकार 10 दिनों में इन मांगों व आश्वासनों पर अमल नहीं करती तो मंच अपने इस आंदोलन को और अधिक तेज करेगा तथा तब तक जारी रखेगा जबतक सभी मांगों पर सरकार अमल नहीं कर लेती।

संयुक्त किसान मंच का 20 सूत्रीय मांगपत्र

1 सेब व अन्य फलों, फूलों व सब्जियों की पैकेजिंग में इस्तेमाल किये जा रहे कार्टन पर जीएसटी समाप्त किया जाए व ट्रे की कीमतों में की गई भारी वृद्धि वापिस ली जाए तथा इनकी गुणवत्ता पर भी सरकार नियंत्रण करे।

2 हिमाचल प्रदेश में भी कश्मीर की तर्ज पर मण्डी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) पूर्ण रूप से लागू की जाए तथा सेब के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत ए, बी व सी ग्रेड के सेब के लिए क्रमशः 60 रुपये, 44 रुपये व 24 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य पर खरीद की जाये।

3 एचपीएमसी व हिमफेड द्वारा गत वर्षों में बागवानों से लिए गए सेब का बकाया भुगतान तुरन्त किया जाए।

4 सेब पर आयात शुल्क कम से कम 100 प्रतिशत किया जाए तथा इसे मुक्त व्यापार संधि (फ़ टी ए) से बाहर किया जाए।

5 प्रदेश की विपणन मण्डियों में ए पी एम सी कानून को सख्ती से लागू किया जाए। मंडियों में खुली बोली लगाई जाए व किसान से गैर कानूनी रूप से की जा रही मनमानी वसूली जिसमें मनमाने लेबर चार्ज, छूट, बैंक डी डी व अन्य चार्जिज को तुरन्त समाप्त किया जाए।

6 कसानों से प्रदेश में विभिन्न बैरियरों पर ली जा रही मार्किट फीस वसूली पर तुरन्त रोक लगाई जाए। शोघी बैरियर को बन्द किया जाए तथा जिन किसानों से इस प्रकार की गैर कानूनी वसूली की गई है उन्हें इसे वापिस किया जाए।

7 प्रदेश की सभी मंडियों में सेब व अन्य सभी फसले वजन के हिसाब से बेची जाए।

8 किसानों के आढ़तियों व खरीददारो के पास बकाया पैसों का भुगतान तुरन्त करवाया जाए तथा मंडियों में ए पी एम सी कानून के प्रावधानों के तहत किसानो को जिस दिन उनका उत्पाद बिके उसी दिन उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जिन खरीददार व आढ़तियों ने बकाया भुगतान नहीं किया है उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए।

9 खाद, बीज, कीटनाशक, फफूंदीनाशक व अन्य लागत वस्तुओं पर दी जा रही सब्सिडी को पुनः बहाल किया जाए और सरकार कृषि व बागवानी विभागों के माध्यम से किसानों व बागवानों को उचित गुणवत्ता वाली लागत वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाए।

10 कृषि व बागवानी के लिये प्रयोग में आने वाले उपकरणों स्प्रेयर, टिलर, एन्टी हेल नेट आदि की वर्षों से लंबित सब्सिडी तुरन्त प्रदान की जाए।

11 प्रदेश में भारी ओलावृष्टि व वर्षा, असामयिक बर्फबारी, सूखा व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों व बागवानों को हुए नुकसान का सरकार उचित मुआवजा प्रदान कर राहत प्रदान करे।

12 किसानों व बागवानों के द्वारा विभिन्न बैंकों व संस्थाओं से लिये गये ऋण की माफी की जाए तथा बैंकों द्वारा जारी वसूली के नोटिस तुरन्त प्रभाव से वापिस लिए जाए।

13. प्रदेश में सभी जिलों में आधुनिक सुविधाओं से लैस विपणन मण्डियों का विकास व विस्तार किया जाए। तथा पुरानी मंडियों के विस्तार व आधुनिकीकरण के लिए योजना बनाकर इनका कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

14 प्रदेश में बागवानी विकास के लिए बागवानी बोर्ड का गठन कर इसमें बागवानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

15 सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर इसे कानूनी रूप से लागू किया जाए।

16 प्रदेश में धान, गेहूं, मक्की व अन्य फसलों की खरीद के लिए मंडिया स्थापित कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीद करे।

17 प्रदेश में अदानी व अन्य कंपनियों के सी ए स्टोर में लिये जाने वाले सेब के दाम तय करने व निगरानी के लिए बागवानी विश्विद्यालय, बागवानी विभाग के विषय विशेषज्ञ व बागवानों की एक कमेटी का तुरन्त गठन किया जाए तथा इसके निर्माण के समय शर्तों के अनुसार बागवानो को 25 प्रतिशत सेब रखने के प्रावधान को तुरंत सख्ती से लागू किया जाए।

18 किसान सहकारी समितियों को स्थानीय स्तर पर सी ए स्टोर बनाने के लिए सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाए।

19 प्रदेश में सरकार भूमि अधिग्रहण,2013 कानून (पुनर्स्थापना, पुनर्वास व चार गुणा मुआवजा) को लागू करे।

20 बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए तथा मालभाड़े में की गई वृद्धि वापिस ली जाए। □

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में ऐतिहासिक तिभागा आन्दोलन के 75वें वर्ष को मनाते हुए।

भूमि अधिकार आन्दोलन की छत्तीसगढ़ इकाई के सम्मेलन को संबोधित करते किसान सभा के महासचिव हन्नान मौल्ला।

WE REMEMBER

one of the founding leaders of

ALL INDIA KISAN SABHA

HARKISHAN SINGH SURJEET

AUGUST 1

Death Anniversary

मूल्य : 20 रुपये

अखिल भारतीय किसान सभा

36, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन (केंनिंग लेन), नई दिल्ली–11000 1

फोन व फैक्स : 011–23782890 ई–मेल : kisansabha@gmail.com

प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए 21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली–110095